सत्यमेव जयते

असंशोधित

# बिहार विधान–सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

## 12 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — वृहस्पतिवार, तिथि 12 फरवरी, 2026 ई॰
द्वितीय सत्र — 23 माघ, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री अजय कुमारः महोदय, देश के मजदूरों ने हड़ताल कर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बाद में होगा । शून्यकाल में पढ़वाएंगे हम । प्लीज बैठ जाइए, अजय जी से बात हो गई है । अजय बाबू से मेरी बात हुई है हमने कहा है कि शून्यकाल में इस विषय को लाया जाएगा ।

## प्रश्नोत्तर काल

### अल्पसूचित प्रश्न सं॰–21, श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र सं॰–100, बरौली)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मंजीत कुमार सिंह जी ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : महोदय, जी पूछता हूं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए । उत्तर मिला है न ?

श्री मंजीत कुमार सिंह : महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : 1. अल्पसूचित प्रश्न की विषय वस्तु मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना से संबंधित है । इस हेतु उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के निमित्त विभागीय पत्रांक–98, दिनांक–11.02.2026 के द्वारा पत्र प्रेषित है ।

2. उल्लेखनीय है कि असर्वेक्षित भूमि के क्रय–विक्रय से संबंधित दस्तावेज में भूमि का खाता एवं खेसरा अंकित नहीं रहने के कारण दाखिल–खारिज किए जाने में व्यावहारिक कठिनाई है ।

असर्वेक्षित भूमि के संबंध में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत असर्वेक्षित ग्राम के श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्रामों में असर्वेक्षित श्रेणी के भूमि की विशेष सर्वेक्षण कराए जाने का निदेश भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–1110, दिनांक–29.10.2024 एवं पत्रांक–996, दिनांक–04.03.2025 के द्वारा सभी बंदोबस्त पदाधिकारी को निदेश

भेजा गया है कि विशेष सर्वेक्षण के उपरान्त सभी अंचलों के असर्वेक्षित ग्रामों में भी विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य पूर्ण किया जाए ।

उक्त से स्पष्ट है कि विशेष सर्वेक्षण में कार्य पूर्ण होने के पश्चात् असर्वेक्षित भूमि के संबंध में विशेष सर्वेक्षण कराया जाएगा ।

उल्लेखनीय है कि असर्वेक्षित भूमि के स्वामित्व एवं अधिकार के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के स्तर से विधि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया है । प्राप्त परामर्श के आलोक में विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

3. उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार में असर्वेक्षित भूमि का 18.4 लाख हेक्टेयर बिहार का असर्वेक्षित भूमि है, जो क्षेत्रफल का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा है । महोदय, बिहार स्पेशल सर्वे बंदोबस्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसमें तीन साल से अधिक का वक्त लगेगा । अध्यक्ष महोदय, एक समय–सीमा बिहार के अंदर जो असर्वेक्षित भूमि है, जिसके कारण कई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, सरकार एक समय–सीमा निर्धारित कर दें कि जिससे कि असर्वेक्षित जमीनों का सर्वेक्षण का कार्य हो, उसकी जमाबंदी और लगान निर्धारित हो जाए ताकि जो फसल क्षति है और किसानों की जो समस्या है उसका भी निदान हो सके ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है । सर्वे का काम वर्ष 2012 से शुरू हुआ, वर्ष 2015 में इसकी समीक्षा हुई, फिर वर्ष 2019 में कई बदलाव हुए, सर्वे के काम को हमलोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दो वर्ष के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा है ।

महोदय, असर्वे लैंड के कारण सच्चाई यह है कि आज कई लघु सीमांत किसान सरकार के अनुदान से वंचित है, वह जमीन की खरीद–बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी परेशान हैं, महोदय, हम खुद चिंतित हैं कि इसको जल्द से जल्द पूरा करें । महोदय, ऐसे जानकारी मैं दे दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा–निर्देश पर हमलोगों ने जो भूमि सुधार जन–कल्याण संवाद किए हैं जिसमें कई ऐसे पीड़ित लोग आ रहे हैं या उनकी समस्याएं हैं, क्योंकि इसके कारण परिमार्जन का 40 लाख आवेदन हमारे यहां लंबित है, सिर्फ परिमार्जन का, जिसमें नाम, पिता का नाम या खाता–खेसरा, ऐराजी, हमने लक्ष्य रखा है टोटल 46 लाख आवेदन में 40 लाख परिमार्जन का, इसकी प्राथमिकता पर निदान कर दें । उससे भी बहुत सारी हमारी समस्या का समाधान होगा और लघु सीमांत किसान का जो अनुदान से वंचित हैं, उस पर भी हमलोगों ने एक बार बैठकर संबंधित विभाग से, जिस पर कोई विवाद नहीं है, पुश्त दर पुश्त उसके अधीन है, चल रहा है, उस पर हमलोग विचार कर सकते हैं और जिस पर विवाद है उसमें राजस्व न्यायालय या सक्षम न्यायालय के द्वारा उसके समाधान तक हम इंतजार कर सकते हैं ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी कि चिंता एकदम सही है, इस बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट के तहत सर्वेक्षण कराने का आज कार्य चल रहा है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2024 से ही यह निर्देश जारी है लेकिन हमारी जानकारी में यह है कि असर्वेक्षित जमीनों का सर्वेक्षण का कार्य सरकार के निर्देश के बाद भी जारी नहीं है और माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो स्पेशल सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती का कार्यक्रम के तहत गांव में सीमा सत्यापन एवं तीन सीमाना निर्धारण की जो कार्रवाई चल रही है, असर्वेक्षित जमीनों में उसका भी सत्यापन कराया जाए ताकि आने वाले दिनों में असर्वेक्षित जमीनों का सर्वेक्षण हो सके और किसानों और भूदाता को न्याय मिल सके ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट किया है और बताया है कि सरकार बिहार के जमीन के विवाद से मुक्ति के लिए पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ काम की प्रगति को आगे बढ़ा रही है और आज उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है पूरे बिहार के अंदर, नई सरकार की, नई पहल लोगों को यह आश्वस्त कर रहा है कि हम इस तरह के भूमि–विवाद से बिहार को मुक्त करेंगे क्योंकि आने वाली पीढ़ी के ऊपर हम इस विवाद को जाने नहीं दें, अभिशाप बनने नहीं दें, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, इसका समाधान करने का और समाधान के लिए सरकार संकल्पित है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री शुभानंद मुकेश ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं॰–22, श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र सं॰–155, कहलगाँव)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । बिहार राज्य बीज निगम द्वारा वर्ष 1979 से 1983 तक कृषकों के माध्यम से आलू बीज उत्पादन कर गैर सरकारी कोल्ड स्टोरेज में बीज का भण्डारण किया जाता था । निगम के पास स्वयं के पास कोई कार्यरत कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण वर्ष 1983 में गैर–सरकारी कोल्ड स्टोरेज में भंडारण किया गया, परन्तु गैर सरकारी कोल्ड स्टोरेज के कुप्रबंधन के कारण बहुत अधिक मात्रा में आलू बीज सड़ गया, जिसके कारण निगम को व्यापक क्षति का सामना करना पड़ा । उसी समय से आलू बीज उत्पादन एवं भंडारण का कार्य स्थगित है ।

वर्तमान में निगम द्वारा 14 प्रकार के विभिन्न फसलों का बीज उत्पादन कर, उत्तम गुणवत्ता वाले बीज को कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है । विभाग आलू उपजाने वाले कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है । इसके लिए उद्यान निदेशालय के माध्यम से अनुदानित दर पर आलू बीज कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्री शुभानंद मुकेश : जी महोदय, उत्तर मिला है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि बिहार राज्य बीज निगम के वर्तमान से अग्रिम मांग के आधार पर बीज वितरण किया जा रहा है । मेरा यह आग्रह है कि यहां पटना में Central Potato Research Institute, जो भारत में मात्र 7 जगहों पर है, वैसी संस्था होने के बावजूद भी हमलोगों को निजी क्षेत्रों की भूमिका बीज के वितरण के मामले में बढ़ रही है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री रामकृपाल यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के आलू के उत्पादक कृषकों को उन्नत और गुणवत्तायुक्त आलू बीज उपलब्ध कराने हेतु कृषि विभाग प्रतिबद्ध है । वर्तमान में यह कार्य उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कृषकों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि निजी स्रोतों पर निर्भरता कम हो तथा उत्पादन लागत में कमी आए । इसके अतिरिक्त आवश्यकता और व्यवहार्यता के आधार पर बीज निगम के माध्यम से आलू बीज उत्पादन भंडारण वितरण के संबंध में विभागीय स्तर पर उचित परीक्षण पर विचार किया जाएगा ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, यह Central Potato Research Institute की बात है और यह विश्वस्तरीय पटना में Institute है और उसके माध्यम से उत्कृष्ट बीज हमलोगों को नहीं मिल पा रहा है और पूरे भारत में हमलोग तीसरे स्थान पर आलू उत्पादन में हैं और आज नालंदा जैसे जगहों पर बीज पंजाब से लाना पड़ता है तो इस सरकार से यही आग्रह है कि इस तरह के उत्कृष्ट संस्थानों का सहयोग लेकर हमलोगों को, किसानों को बीज मिले और उत्कृष्ट बीज मिले तो यह सरकार दें और व्यवस्था को बहाल करने का समय बताएं कि कब तक यह काम कर देंगे ?

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : महोदय, आपकी चिंता वाजिब है और उस चिंता को देखते हुए निदान करने के लिए हर संभव प्रयास सरकार रही है, विभाग कर रहा है । उद्यान निदेशालय द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान पर आलू बीज का वितरण किसानों के बीच कराया जा रहा है । पटना के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पटना द्वारा उत्पादित बीज को किसानों को भी कराया जाता है ।

टर्न–2 / पुलकित / 12.02.2026

अल्पसूचित प्रश्न सं0–23, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र सं0–16, कल्याणपुर)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत सत्तरकटैया प्रखंड के बिजलपुर पैक्स का चयन जिला टास्क फोर्स के द्वारा अधिप्राप्ति कार्य हेतु किया गया है तथा उक्त समिति अधिप्राप्ति कार्य कर रही है ।

बांका जिलान्तर्गत अमरपुर व्यापार मंडल, प्रखंड–अमरपुर में चावल मिल भी स्थापित है । यह व्यापार मंडल अधिप्राप्ति वर्ष 2012–13 का राज्य खाद्य निगम का प्रमादी मिलर है । राज्य खाद्य निगम द्वारा अमरपुर व्यापार मंडल को पूर्व बकाया शून्य करने तक अधिप्राप्ति से अलग रखने हेतु पत्र दिया गया है ।

धान अधिप्राप्ति हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में अमरपुर व्यापार मंडल का अद्यतन अंकेक्षण नहीं कराने के कारण इस समिति को अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित अर्हता प्राप्त नहीं है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब इस प्रश्न का प्राप्त है लेकिन यह जवाब कम्पलीट असत्य है । क्योंकि जिस पैक्स की मैंने चर्चा की है, सहरसा प्रखंड के सत्तर कटैया प्रखंड के बिजुलपुर पैक्स की और दूसरा बांका जिला के अमरपुर पैक्स की । सरकार ने जो जवाब दिया है कि वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत सत्तरकटैया प्रखंड के बिजलपुर पैक्स का चयन जिला टास्क फोर्स के द्वारा अधिप्राप्ति कार्य हेतु किया गया है तथा उक्त समिति अधिप्राप्ति कार्य कर रही है ।

जिस पैक्स पर महोदय 3 करोड़ 88 लाख 14 हजार 783 रूपये का बकाया है, दिनांक– 16.04.2015 को इस पर एफ0आई0आर0 हुई । मामला कोर्ट में पेंडिंग है । उसको किस परिस्थिति में अधिप्राप्ति कार्य हेतु आदेशित किया गया ?

दूसरी जगह, जो अमरपुर पैक्स है, वहां भी पैसा बकाया है । 2 करोड़ 8 लाख 32 हजार, उस पर भी एफ0आई0आर0 हुई और उसको अधिप्राप्ति का आदेश नहीं दिया गया । एक बार जिला टास्क फोर्स ने, जिसमें कलेक्टर साहब ने आदेशित भी किया, तो उसको जिला को–ऑपरेटिव पदाधिकारी ने निरस्त कर दिया, बजाब्ते उसका लेटर नंबर भी है । महोदय, पूरे राज्य में को–ऑपरेटिव के मामले में जो पदाधिकारी इस प्रकार का खेल कर रहे हैं, इससे सम्बंधित मैं पूर्वी चम्पारण जिले के विषय में भी बता रहा हूँ कि जो पैक्स सुपरसीड है, उस पैक्स में अगर दूसरा कोई वहां चुनाव जीत गए हैं, तो उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी गिरवी करके उनको अधिप्राप्ति हेतु आदेश दिया जा रहा है ।

महोदय, यह जो खेल पूरे जिला में, पूरे राज्य में हो रहा है और जो पदाधिकारी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं । जहां इतना रुपया, तीन करोड़, चार करोड़ रुपया बकाया है । वर्ष 2012 से 2015 तक में लगभग 154 पुराने पैक्स जिस पर 40 लाख, 50 लाख, एक करोड़, सवा करोड़, ऐसे पैसे बकाये हैं। क्या सरकार, जिन पर भी पैसा बकाया है, उसमें से कितना पैसा प्राप्त कर चुकी है, मंत्री महोदय जरा यह बताएंगे और किस परिस्थिति में बिजुलपुर पैक्स को धान अधिप्राप्ति का आदेश दिया गया, किसने आदेश दिया, जरा इस विषय में क्लियर करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था है कि यदि किन्हीं के पास पैसे का बकाया है, तो जमानत पर उतना पैसा जमा करके वह धान की अधिप्राप्ति करवा सकते हैं प्रशासक नियुक्त करके । यह टास्क फोर्स में ऐसा को–ऑपरेटिव का नियम है । दूसरा है कि जो अमरपुर व्यापार मंडल की बात कर रहे हैं तो यह वर्ष 2012–13 ने ही एस0एफ0सी0 ने ही उनको डिफाल्टर किया है । वह इसलिए किया था क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी कि पैक्स से धान एस0एफ0सी0 लेता था और फिर वह राइस मिलर को सी0एम0आर0 गिराने के लिए कहता था । अमरपुर व्यापार मंडल का जो राइस मिलर हैं, वह धान लिए, लेकिन वो चावल नहीं गिराए, तो इसपर प्रतिबंध इनको जो लगाया है उस पर एस0एफ0सी0 ने ही कहा है कि इनको राज्य खाद्य निगम द्वारा अमरपुर व्यापार मंडल को पूर्व बकाया शून्य करने तक अधिप्राप्ति से अलग रखने हेतु प्रपत्र दिया है । यानी स्टेट फूड कारपोरेशन ने दिया है । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ, हर समिति का हर वर्ष अंकेक्षण होता है, ऑडिट होता है । इन्होंने एक बार भी ऑडिट नहीं करवाया । दूसरा, यह मामला पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । पटना उच्च न्यायालय में भी मुकदमा है और यह विचाराधीन है । ऐसी परिस्थिति में इनको कैसे धान अधिप्राप्ति की सहमती दी जाएगी ?

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य को पूरक पूछने दीजिए ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये अमरपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बिजुलपुर की बात नहीं कर रहे हैं । बिजुलपुर का भी मामला जब न्यायालय में लंबित है, 3 करोड़ 88 लाख रुपया बकाया है, तो क्या पैसे की रिकवरी हो गयी ? जो वहां आदेश दे दिया गया कि वहां आप धान अधिप्राप्ति करिए ।

दूसरा, जो यह कह रहे हैं कि जमानत की राशि जमा करने के बाद उस पैक्स को आदेश दे दिया जाता है जो पैक्स सुपरसीड है । उसमें ऐसा है क्या कि व्यक्तिगत प्रॉपर्टी आप गिरवी करा लें ? पैक्स अध्यक्ष की व्यक्तिगत

प्रॉपर्टी गिरवी कराकर, मैं पूर्वी चम्पारण मोतिहारी जिले की बात कर रहा हूँ, तीन ऐसे पैक्स हैं जिस पैक्स के अध्यक्ष की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी गिरवी कराकर तब वहां आदेश दिया गया है कि धान की अधिप्राप्ति करिए । किस नियम के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रॉपर्टी आप गिरवी करा रहे हैं, जरा हम जानना चाहते हैं।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्टेट फूड कॉरपोरशन मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, उसने अमरपुर पर लगाया है । धान अधिप्राप्ति का लगाया है । मेरा विभाग सहकारिता है । सहकारिता में यह व्यवस्था है कि यदि किन्हीं के पास बकाया राशि है तो जमानत देकर के उसको भुगतान दे सकते हैं । यह हमारा विभाग है और वह अलग विभाग है । दोनों का विभाग अलग–अलग है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य को अपना अंतिम पूरक पूछने दीजिए ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री मेरे पूरक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं । हम यह पूछ रहे हैं कि बिजुलपुर पैक्स को आपने किस परिस्थिति में आदेश दिया ? किस पदाधिकारी ने उसको आदेश दिया जबकि उस पर 3 करोड़ 88 लाख रुपया बकाया है । उसको कैसे अधिप्राप्ति का आदेश मिला ? दूसरा, अमरपुर पैक्स उसी के साथ है । उसके यहां भी बकाया है तो उसको आदेश क्यों नहीं मिला ? फिर जो आप बात कर रहे हैं कि आप पैसा जमा करिये, आपको जमानत के तौर पर पैसा जमा करियेगा ऐसा किस नियम के अंतर्गत, जरा मंत्री महोदय क्लीयर करें ।

अध्यक्ष : बिजुलपुर वाला बता दीजिए ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, यहां वाला भी बता दीजिए । यहाँ वाला भी, नहीं हमारे चम्पारण में भी । एक मिनट मंत्री जी, हमारे पूर्वी चम्पारण में भी तीन पैक्सों की पर्सनल प्रॉपर्टी गिरवी कराकर अध्यक्षों को धान अधिप्राप्ति का आदेश दिया गया । किस नियम के अंतर्गत है ? जरा, यह बताइये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह विषय बांका का और सहरसा का है जो आपने प्रश्न उठाया है। इस समय आप जो सवाल मोतिहारी के बारे में पूछ रहे हैं, आपने दो जिले का आपने उठाया है बांका जिले का और सहरसा का । हम चाहेंगे बिजुलपुर का जो मामला है एक बार बता दीजिये ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये टास्क फोर्स में जिलाधिकारी होते हैं, सभी अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, कृषि पदाधिकारी होते हैं, डी0सी0ओ0 होते हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी होते हैं, ये सब लोग मिल कर के निर्णय लेते हैं टास्क फोर्स में कि हमको क्या करना है ? और कहीं ना कहीं

नियमानुकूल है । यदि ऐसा कुछ है विषय तो माननीय सदस्य लिखकर दें हम उस पर दिखवा लेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप लिखकर के दे दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिले का एक प्रश्न है....

अध्यक्ष : आप वहां मत जाइये, बैठ जाइये । बांका और सहरसा जिले की चर्चा कीजिए।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि...

अध्यक्ष : यह अल्पसूचित प्रश्न है । आप अलग से लिखकर के मंत्री जी को दे दीजिए ।

(व्यवधान)

आप पूर्वी चम्पारण के बारे में कह रहे हैं । उसके बारे में अलग से लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दीजिए ।

(व्यवधान)

बिलकुल । बोलने के बजाए मेरा आपसे आग्रह है कि पूर्वी चम्पारण के बारे में लिखित लिखकर के माननीय मंत्री जी को दे दीजिए । सरकार देखेगी ।

(व्यवधान)

प्रमोद बाबू, मेरा आपसे आग्रह है क्योंकि आप सीनियर सदस्य हैं और मंत्री भी रहे हैं । आपके जिले का प्रश्न नहीं है, आप लिखकर मंत्री जी को दे दें । माननीय मंत्री जी निश्चित तौर पर जांच कराकर कार्रवाई करेंगे । बैठ जाइये ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–24, श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र सं0–219, गोह)</u>

(लिखित उत्तर)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : 1– स्वीकारात्मक ।

2– आंशिक स्वीकारात्मक । यह सही है कि कृषि विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान की पैदावार ज्यादा हुई है, लेकिन लक्ष्य कम होने के बावजूद किसानों का धान क्रय करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है और किसानों को धान का सही मूल्य प्राप्त हो रहा है।

3– राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा धान के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ राज्य के अधिक से अधिक किसानों को दिलाने हेतु संकल्पित है । इस वर्ष भारत सरकार द्वारा अधिप्राप्ति लक्ष्य गत वर्ष की तुलना में कम निर्धारित किया गया है । राज्य के किसानों के हितों को देखते हुए बिहार राज्य के लिए निर्धारित धान अधिप्राप्ति लक्ष्य में वृद्धि किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से लगातार अनुरोध किये जाने के साथ सतत प्रयास जारी है ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : महोदय, उत्तर मिला है । राज्य में इस वर्ष धान का उत्पादन ज्यादा होने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा राज्य में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य घटा दिया गया है । लक्ष्य को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा केंद्र

सरकार से कब–कब बैठक की गई और इसके समाधान के लिए कौन सी कार्रवाई की गई ?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में ही हमने स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार से लक्ष्य की वृद्धि के लिए लगातार संपर्क में हैं । अभी भी व्यक्तिगत तौर पर माननीय मंत्री जी से मिलने का भी समय लिया गया है । जैसे ही वहां से समय मिल जाएगा तो हम मिल के भी अनुरोध करेंगे । हमारे विभाग के सचिव स्तर से भी कई बार विभाग में वहां अपनी बात को रखा गया है । हम लोग भी बात रख रहे हैं । हम लोगों को लगता है जल्द ही कि इसमें समाधान होना चाहिए ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, समय भी बता दिया जाए ।

अध्यक्ष : मंत्री जी प्रयास कर रही है भारत सरकार से बात चल रही है ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : महोदय, दूसरा पूरक है महोदय कि सरकार ने खंड दो में जवाब दिया है, उसको मैं चुनौती देता हूँ । सरकार का जवाब है कि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही है । पदाधिकारियों द्वारा गलत जवाब देकर सदन को गुमराह किया जा रहा है । सरकार, सदन को गुमराह करने वाले पदाधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ?

टर्न–3 / हेमन्त / 12.02.2026

अध्यक्ष : वैसा कोई मामला है, तो लिखकर दे दीजिए, तो कार्रवाई होगी।

(व्यवधान)

श्री अमरेन्द्र कुमार : महोदय, मामला है। इस सदन के माध्यम से कई सदस्यों ने....

अध्यक्ष : एक–एक करके। सब लोग मत खड़े होइये। मौका देंगे, तब बोलियेगा। मंत्री जी, इनका जवाब दे दीजिए।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यदि किसी किसान के साथ कहीं परेशानी है, तो स्पेसिफिक बता देंगे, उसकी जांच करायेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसानों से धान लेने के बाद 48 घंटे में पेमेंट किया जाता है। यदि माननीय सदस्य को कहीं किसी स्पेसिफिक किसान की परेशानी हो रही है, बता दें, जांच करायेंगे। जो दोषी पाये जायेंगे, कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष : कुमार सर्वजीत जी।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि किसान को कोई परेशानी नहीं है। महोदय, बिहार में डेढ़ करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं । महोदय, लक्ष्य आपने रखा 36 लाख। अभी तक की खरीदारी जो है 20 लाख मीट्रिक टन। उसके बावजूद महोदय, मंत्री महोदया कह रही हैं कि किसान को परेशानी नहीं है। आप अभी भारत सरकार के मंत्री से समय ले रहे हैं और यह फरवरी का महीना हो गया। बाकी जितने गरीब किसान हैं, उनका सारा धान आप बिहार

में जा कर देखिएगा, यूपी और बंगाल के ट्रक खड़े हैं और सारा औने–पौने दाम पर बिहार के किसानों का धान खरीद करके दूसरे राज्यों में जा रहा है। तो आप किसान के लिए क्या कर रहे हैं ? महोदय, भारत सरकार से आप टाइम लीजिए। आपकी सरकार है, किसान क्यों पिसेगा ?

अध्यक्ष : मंत्री जी दिल्ली जाने वाली हैं। समय उन्होंन लिया है, समय अभी है।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मंत्री महोदय तो मिलेंगी जब पूरे बिहार का धान बंगाल और यूपी में गरीब किसानों का धान बिक जाएगा। तब आप जाकर मिलियेगा।

अध्यक्ष : वह नौबत नहीं आयेगी। सरकार चिंतित है। लक्ष्य बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है। वह दिल्ली जायेंगी।

श्री बीरेन्द्र कुमार।

(व्यवधान)

सारी बातें आ गयी हैं।

(व्यवधान)

आग्रह है, बिना अनुमति के मत खड़ा होइये। जब अनुमति दें, तब बोलिये। आप एक अच्छे सदस्य हैं।

(व्यवधान)

वह होगा। पिछली बार मैं स्वयं सहकारिता में था, तिथि बढ़वाये थे। प्रावधान है।

(व्यवधान)

निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी का प्रयास है। तिथि बढ़ाने के लिए प्रयास जारी है। वह निश्चित रूप से बढ़ेगी। यह समय बढ़ाने का प्रयास करेंगी।

श्री बीरेन्द्र कुमार।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–25, श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या–139, रोसड़ा (अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : 1–आंशिक स्वीकारात्मक।

बिहार राज्य कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम, 2006 के लागू होने के कारण बाजार प्रांगणों को सरकारी निःशुल्क घोषित किया गया है और किसान एवं इस कार्य में संलिप्त व्यापारी निःशुल्क और भयमुक्त होकर बाजारों में कार्य कर रहे हैं।

सम्पूर्ण राज्य में कृषि उपज विपणन हेतु एकल एकीकृत मुक्त बाजार की व्यवस्था की गई है। बाजार शुल्क लागू नहीं रहने के कारण किसानों को अपने कृषि उपजों का उचित मूल्य प्राप्ति में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कृषि उपज से संबंधित विपणनकर्ताओं को उपयुक्त वातावरण प्राप्त हुआ है जिसमें बिचौलियों की श्रंखला घटी है।

2– पुरानी जर्जर मंडियों के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इन बाजारों सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं विकास के मॉडल के तौर पर RIDF योजना अंतर्गत 21 बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास संबंधी कार्ययोजना का क्रियान्वयन कुल 1289.07 करोड़ से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी एक बाजार प्रांगण (बिहारशरीफ) का आधुनिकीकरण किया गया है।

उक्त कार्य को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा इसकी निरंतर समीक्षा की जा रही है ताकि कार्य में अपेक्षित प्रगति लायी जा सके। आधुनिकीकरण एवं विकास से बाजार प्रांगण का उपयोग किसानों के लिए बेहतर ढंग से हो सकेगा।

सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को बेहतर विपणन सुविधा प्रदान करने हेतु कई स्तर पर कार्य किये जा रहे हैं।

किसानों के हित में e-NAM trading platform को बिहार के 20 मंडियों में लागू किये गये हैं जो कि ऑनलाईन माध्यम से व्यापार की सुविधा दी गयी है।

राज्य स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक व्यवसायियों के लिए मंडी की समुचित व्यवस्था प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर ग्रामीण मंडी के सुदृढ़ीकरण का कार्य सात निश्चय कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है, लेकिन उत्तर प्रश्न के प्रतिकूल है।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए।

श्री बीरेन्द्र कुमार : महोदय, पूरक है, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं सड़क किनारे व्यवसायी बेचते हैं, उनकी कहीं व्यवस्था नहीं की गई है। पूरे बिहार की कहानी है और पुलिस अतिक्रमण के नाम पर जाकर हटाती है और पुनः वहां पर व्यवसायी अपनी दुकान लगाते हैं। फल और सब्जी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। उसके बिना व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता है। अध्यक्ष महोदय, उसकी क्या व्यवस्था की जाती है, यह हम जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण हाट बाजारों को आधुनिक तरीके से विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार कुल 1784 ग्राम हाट बाजार मेला हैं। इनमें से 20 डिसमिल क्षेत्रफल के हाटों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार 20 डिसमिल रकबा वाले वर्तमान में कुल 934 ग्रामीण हाट बाजार मेला को आधुनिक तरीके से विकसित करने हेतु शीघ्र चालू किया जाना है। माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत जीराम की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हाट बाजारों के निर्माण से किसानों को अपने क्षेत्र में ही बाजार की सुविधा मिलेगी। मैं पूरे विश्वास के

साथ कहना चाहता हूं कि यह प्रयास किसानों की आय वृद्धि, पारदर्शी बाजार व्यवस्था और ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। बिहार सरकार किसानों के साथ है और उनकी उपज को सम्मानजनक मूल्य दिलाने में हमारी प्राथमिकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहले वीरेंद्र बाबू को हो जाने दीजिए।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, आबादी के अनुकूल शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, कहीं हाट की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हाट खुल भी गया है, तो वहां पर विक्रेता पहुंच नहीं पा रहे हैं। उचित स्थान पर हाट का निर्धारण हो, खासकर शहरी क्षेत्र में। पटना में ही देख लिया जाए। एक इनकम टैक्स गोलंबर के बाद जितने भी फल विक्रेता हैं, सड़क के किनारे बेचते हैं और समाज के अंतिम कड़ी के व्यक्ति हैं। दैनिक सूद पर पैसा लेकर अपना व्यवसाय करते हैं और पुलिस हटा देती है। वह ऋण के जंजाल में फंस कर आत्महत्या करने के लिए विवश होता है।

अध्यक्ष : हम सदस्य को बताना चाहेंगे राजधानी पटना में सरकार ने वेंडिंग जोन जो बनाया है, हमने स्वयं देखा है और बहुत अच्छे तरीके से जो दुकानदार है व्यवस्थित करके बेच रहे हैं। कहीं दिक्कत नहीं हो रही है।

विजय कुमार खेमका जी।

(व्यवधान)

वहां तैयारी चल रही है वहां के लिए भी। बिल्कुल, गया में तैयारी हो रही है।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिहार का मामला है और ये सरकार एन0डी0ए0 की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किसान को समर्पित सरकार है और आप आसन पर बैठे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री काल में, 21 मार्केटिंग यार्ड जो है उसके आधुनिकीकरण का आपने उस समय आदेश दिया था और माननीय मंत्री जी काफी विद्वान मंत्री हैं, उन्होंने भी उसका जिक्र किया है, लेकिन इस प्रश्न में जो भाव है कि जो हमारे किसान हैं, जो अपने उत्पादन को भी सड़क पर रख कर बेचते हैं, व्यवसायी भी सड़क पर रख कर बेचते हैं।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए आप।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछ रहा हूं और मंत्री जी ने कहा 1708 ऐसे राजस्व हाट हैं बिहार में, जहां कि क्रय–विक्रय का काम होता है। अध्यक्ष महोदय, इन राजस्व हाटों की स्थिति बहुत बुरी है। वहां पर किसान और व्यवसायी व्यवस्थित रूप से अपने उत्पादन का और क्रय–विक्रय करने का वहां से व्यापार नहीं कर पाते हैं।

अध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ अंतिम पूरक है, और 934 हाट, जो 20 डिसमिल में है, मंत्री जी ने कहा है कि चौथे...

अध्यक्ष : सरकार देख लेगी।

श्री विजय कुमार खेमका : रोडमैप में जो है, कब तक ऐसा हाट, जो है किसानों के पक्ष में और व्यवसायी के पक्ष में तैयार होगा, जिसका कि उपयोग वह कर सकेंगे ?

अध्यक्ष : सरकार प्रयास करेगी। अब तारंकित प्रश्न लिए जाएंगे।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब आ जाता।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से....

अध्यक्ष : मंत्री जी, एक मिनट। आप बताइए क्या कह रहे हैं, माननीय सदस्य। पूछ लीजिए आप भी

श्री निरंजन कुमार मेहता : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करते हुए हम आग्रह करेंगे माननीय कृषि मंत्री महोदय यहां हैं, अभी उपस्थित हैं, इससे संबंधित मेरा भी एक सवाल आता है। हमारे बिहारीगंज विधानसभा में कृषि उत्पादन बाजार समिति की बहुत बड़ी..

अध्यक्ष : अलग से लिखकर आप दे दीजिएगा, सरकार देखेगी।

श्री निरंजन कुमार मेहता : बहुत बड़ा कैंपस है। सरकार देगी। उसमें सब्जी हाट, गुजरी हाट को, जैसा कि कदम कुआं में बन रहा है....

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, बात आ गयी। कृपया, बैठ जाइये।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय मुख्यमंत्री महोदय बराबर कहा करते हैं आज हर घर नल जल देकर...

अध्यक्ष : बैठ जाइए, प्लीज। मंत्री जी खड़े हो गये हैं।

श्री निरंजन कुमार मेहता : देहात का सपना शहरों के बराबर पूरा किये हैं....

अध्यक्ष : सरकार खड़ी हो गई है। बैठ जाइये। आप सत्ता पक्ष के सदस्य हैं।

श्री निरंजन कुमार मेहता : बिहारीगंज बाजार समिति के यार्ड में सब्जी मंडी, गुजरी मंडी और बस स्टैंड बनाकर चकाचक कर दें...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में ही विस्तार से उसकी चर्चा की है और मैं आपके माध्यम से सदन को और सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम शीघ्र ही सभी ग्रामीण हाटों को आधुनिक तरीके से विकसित करेंगे। यह निर्णय ऑलरेडी लिया जा चुका है।

अध्यक्ष : अब तारंकित प्रश्न लिए जाएंगे।

माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता।

(व्यवधान)

बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्य, आप वरीय सदस्य हैं, बिना अनुमति के नहीं बोलें। सरकार ने साफ कहा है कि इसके लिए कार्रवाई की जा रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या–816, श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (क्षेत्र संख्या–11, सुगौली)

(लिखित उत्तर)

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : 1–अस्वीकारात्मक।

पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत प्रखंड सुगौली के राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र सुगांव में कुल 10 हे0 में से 06 हे0 में बीजोत्पादन की महत्वाकांक्षी योजना विभिन्न फसलों यथा धान, गेहूं एवं दलहन तथा तेलहन इत्यादि का आधार बीज उत्पादन का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है।

शेष 04 हे0 में कृषि फार्म का कार्यालय, गोदाम एवं बीज सुखाने हेतु चबूतरा (थ्रसिंग फ्लोर) के रूप में उपयोग हो रहा है।

राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र सुगांव फार्म की जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

2– आंशिक स्वीकारात्मक।

पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत कुल 16 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में से छौड़ादानो, घोड़ासहन, नूनफोरवा, भवानीपुर, तेतरीया एवं परेवा प्रक्षेत्रों की चहारदीवारी निर्माण के कार्य कराए जा रहे हैं।

शेष राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में नयी योजना लेकर आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत करा कर चहारदीवारी निर्माण के कार्य पूर्ण करा लिये जायेंगे।

टर्न–4 / संगीता / 12.02.2026

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर प्राप्त है लेकिन ये अपने आप में ही भ्रामक और गलत है चूंकि ये लिखते हैं कि 10 हेक्टेयर भूमि है जिसमें 6 हेक्टेयर भूमि में बीज का उत्पादन का काम चल रहा है । धान, गेहूं, दलहन इत्यादि फसलों का और 4 हेक्टेयर में कार्यालय, गोदाम और बीज सुखाने हेतु चबूतरा बना हुआ है । महोदय, 4 हेक्टेयर में लिख रहे हैं कि कार्यालय गोदाम...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए, सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : जी । मात्र 25 डिसमिल में ये कार्यालय है तो या तो उसकी भूमि अतिक्रमित है और नहीं तो उसमें कम से कम साढ़े नौ हेक्टेयर में खेती हो रही है, ये दोनों विषय है । ये भ्रामक है, क्या इसकी जांच मंत्री महोदय कराना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : नहीं अध्यक्ष महोदय, इसी में हम दूसरा भी पूछ लेते हैं.. .

अध्यक्ष : आप तीनों पूछ लीजिए ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : जी । इसमें दूसरा पूछ लेते हैं, इन्होंने लिखा है, मंत्री महोदय ने कहा है कि 2026–27 में इसका चहारदिवारी का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा तो 2026–27 में कब तक हो जाने की उम्मीद है, ये मंत्री महोदय बता दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत प्रखंड– सुगौली के राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र सुगांव में कुल 10 हेक्टेयर में 6 हेक्टेयर में बीजोत्पादन की महत्वाकांक्षी योजना विभिन्न फसलों तथा धान, गेहूं, दलहन, तिलहन इत्यादि के आधार पर बीज उत्पादन का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है । शेष 4 हेक्टेयर में कृषि फार्म का कार्यालय है, गोदाम और बीज सुखाने का चबूतरा के रूप में उपयोग हो रहा है । राष्ट्रीय बीज गुणन प्रक्षेत्र सुगांव फार्म की जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का आग्रह है चहारदीवारी नहीं है, उससे अतिक्रमण हो रहा है उसकी व्यवस्था करा दीजिए ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा, ऐसी कोई बात होगी तो मैं इसको जरूर दिखवाऊंगा ।

अध्यक्ष : भी भाई बिरेंद्र ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : माननीय मंत्री जी इसमें मेरा यह कहना है कि आपको यह उत्तर गलत दे रहा है, ये सारे खेतों में सिर्फ गेहूं की खेती कर रहा है, 6 हेक्टेयर में आपको बता रहा है और साढ़े 9 हेक्टेयर में खेती करके बाकी साढ़े 3 हेक्टेयर का पैसा ये अपने घर ले जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी समीक्षा करके...

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : यह जांच का विषय है, यह जांच का विषय है माननीय मंत्री महोदय।

अध्यक्ष : बब्लू बाबू, माननीय मंत्री जांच करके समीक्षा करके जांच करायेंगे, ऐसा होगा तो देखा जाएगा । श्री भाई बिरेंद्र ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–817, श्री भाई बिरेंद्र (क्षेत्र संख्या–187, मनेर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1– आंशिक स्वीकारात्मक।

पटना जिलान्तर्गत प्रखंड–मनेर में 19 पंचायतों के कुल 247 वार्डों में तथा बिहटा के 22 पंचायतों के कुल 293 वार्डों में लगभग 400 फीट गहरे नलकूप का प्रावधान करते हुए पाईप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को पेय जलापूर्ति की जा रही है ।

विभाग द्वारा नियमित रूप से जल गुणवता की जाँच की जाती है । जल जाँच के क्रम में उक्त प्रखंड के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं में आर्सेनिक की मात्रा अनुमान्य सीमा से कम पाई गई है । भविष्य में आर्सेनिक की मात्रा अनुमान्य सीमा से अधिक पाये जाने की स्थिति में विभागीय मापदंड के अनुसार ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर आर्सेनिक मुक्त पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी ।

प्रखंड मनेर अंतर्गत दरवेशपुर उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या–6 में गौरेयास्थान (शिव मंदिर) स्थित है । उक्त वार्ड में पाईप जलापूर्ति योजना के माध्यम से ग्रामीणों को आर्सेनिक मुक्त पेयजलापूर्ति नियमित रूप से की जाती है। गौरेयास्थान (शिव मंदिर) के प्रांगण में स्थित साधारण चापाकल के जल जाँच में आर्सेनिक अनुमान्य सीमा से अधिक पाया गया है। वैसे चापाकल जिसके जल जाँच में आर्सेनिक अनुमान्य सीमा से अधिक पाई गई है उसे लाल रंग से रंग कर पेयजल स्रोत के रूप में उपयोग नहीं करने हेतु ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है ।

नगर परिषद् मनेर के वार्ड सं0–15 अंतर्गत आजादनगर मोहल्ला के नल जल योजना में आर्सेनिक की मात्रा अनुमान्य सीमा से अधिक पाई गई है । ग्राम–महिनावां प्रखंड– मनेर नगर परिषद से संबंधित है, जिसकी जल स्रोत में जल जाँच के उपरांत आर्सेनिक की मात्रा अनुमान्य सीमा से कम पाई गई है । जिसका संबंध नगर विकास एवं आवास विभाग से है ।

बिहटा प्रखंड अंतर्गत जल स्रोतों में आर्सेनिक की मात्रा अनुमान्य सीमा से कम पाई गई है ।

खंड–2– उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : भाई बिरेंद्र जी, उत्तर मिला है न ।

श्री भाई वीरेंद्र : जी । अध्यक्ष महोदय, जवाब जो है भेगपूर्ण है । जवाब से हम संतुष्ट नहीं है । जांच कब कराया गया उसकी तिथि बताया जाय तथा जांच के क्रम में उक्त प्रखंडों के गांव में कितना प्रतिशत आर्सेनिक की मात्रा पायी गयी । माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करें तथा जवाब में यह कहा गया है कि अनुमान्य सीमा से आर्सेनिक की मात्रा कम है तो अनुमान्य सीमा कितना है, यह भी स्पष्ट करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न का उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । महोदय, पटना जिलान्तर्गत प्रखंड–मनेर में 19 पंचायतों के कुल 247 वार्डों में तथा बिहटा के 22 पंचायतों के कुल 293 वार्डों में लगभग 400 फीट...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप पूरक बता दें ।

(व्यवधान)

प्लीज, शांति रखें । सप्लीमेंट्री पूछा है न, कब कराया गया है ये बता दीजिए ।

(व्यवधान)

तैयार हैं मंत्री जी, चिन्ता मत कीजिए । भाई बिरेंद्र तैयार रहिए, जवाब आ रहा है आपका ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : पूरक फिर से पूछ लिया जाय ।

अध्यक्ष : जांच कब करायी गयी, इसकी जानकारी ।

श्री भाई वीरेंद्र : असल में माननीय मंत्री जी तैयार होकर आए नहीं हैं...

अध्यक्ष : तैयार हैं । आप सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए ।

श्री भाई वीरेंद्र : और जो हमारा पूरक है उसमें कई पूरक है । एक ही बार में सब पूरक को रख दिया । आपका तो भेगपूर्ण है एक जवाब मैं पूछा हूं जांच कब कराया गया, उसकी तिथि बताया जाय तथा जांच के क्रम में उक्त प्रखंडों के गांव में कितना प्रतिशत आर्सेनिक की मात्रा पाया गया और माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें तथा जवाब में कहा गया कि अनुमान्य सीमा से आर्सेनिक की मात्रा कम है तो अनुमान्य सीमा कितना यह भी स्पष्ट करें । अभी तो स्पष्ट है बोल रहे हैं, आपका लिखकर दिया ही नहीं है तो क्या बोलिएगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिनांक–09.02.2026 को इसकी जांच करायी गयी है ।

अध्यक्ष : देखिए, सरकार तैयार है जवाब के लिए ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : और आर्सेनिक की मात्रा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप बोलिए ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : माननीय सदस्य, और आर्सेनिक की मात्रा 0.01 एम0जी0 से कम है और अनुमान्य सीमा 0.01 एम0जी0 लीटर है ।

अध्यक्ष : श्रीमती शीला कुमारी ।

(व्यवधान)

डेट बता दिया इन्होंने । डेट बता दिए, मात्रा बता दिए, अब क्या है ?

श्री भाई वीरेंद्र : आर्सेनिक का मामला है, आर्सेनिक मामला से हमलोग जूझ रहे हैं । हमारा दीयारा और उपरवार रोड साइड में लोग कई रोगों से ग्रसित हो गए हैं आर्सेनिक पानी से । डिपार्टमेंट इनको जो जवाब दिया है वह गलत है और भेगपूर्ण है, पुनः इसकी जांच कराया जाय और माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, आर्सेनिक पानी से कितना रोग से लोग ग्रसित हैं हमारे क्षेत्र में । मैं रोज जाता हूं न क्षेत्र में कि ये जाते हैं, ये तो पदाधिकारी की बात पर...

अध्यक्ष : आप....

श्री भाई वीरेंद्र : नहीं, ये हमारे साथ चलकर जांच करवायें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्वस्थ हैं न, आप स्वस्थ हैं न ।

श्री भाई वीरेंद्र : तो हम पटना...

अध्यक्ष : और बाकी जनता को सरकार देखेगी ।

श्री भाई वीरेंद्र : जनता के लिए भाई वीरेंद्र न है । हम तो हर तरह के सरकार के द्वारा...

अध्यक्ष : आप पर आर्सेनिक का प्रभाव नहीं है और...

श्री भाई वीरेंद्र : साधन मिलता है न...

अध्यक्ष : और गांव के लोगों के लिए सरकार देखेगी मामले को ।

श्री भाई वीरेंद्र : नहीं, नहीं, सर । ये हमलोगों के सामने...

(व्यवधान)

आप ही न लिए हैं सर, आप ही न दिए हैं । ये कपड़ा तो आप ही दिए हैं, पिछले बार भी आपने दिया था, पिछले बार भी तो आप दिए थे । आप भी पिछले बार दिए थे तो मैं पहना हूं । आप छोटे भाई को देकर भूल जाते हैं इसीलिए मैं कहता हूं कि समय पर दवा खाना चाहिए । नहीं खाइएगा तो ऐसे ही भुलाते रहिएगा।

अध्यक्ष : आप खाते हैं न ।

श्री भाई वीरेंद्र : मैं कहता हूं सर, ये आपने दिया है हमने पहना है, आप बड़े भाई हैं मैं तो छोटा भाई हूं । ये आर्सेनिक का मामला है बहुत गंभीर मामला है और...

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जांच चाहते हैं या साथ में जाकर जांच कराना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : बस बता दीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : जांच होगा...

श्री भाई वीरेंद्र : नहीं, ये जांच और ट्रीटमेंट प्लांट भी लगावें ताकि आर्सेनिक पानी जो है नहीं मिले ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : और सबसे बड़ा चीज है मुख्यमंत्री जी की चिन्ता है कि कपड़ा तो कम पहनिए इतना ठंढ़ा थोड़े ही है । आप जो इतना ठंढ़ा में...

श्री भाई वीरेंद्र : मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं कि जो वो कपड़ा खरीदकर दिए हैं उसको मैं धारण...

अध्यक्ष : श्रीमती शीला कुमारी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–818, श्रीमती शीला कुमारी (क्षेत्र संख्या–39, फुलपरास)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक ।

नगर पंचायत फुलपरास एक नवगठित नगर निकाय है, फुलपरास नगर क्षेत्र में एन०एच०–27 के सर्विस रोड पर ग्रामीण हाट लगाया जाता है, ग्रामीण हाट के बगल में सर्विस रोड के निर्मित नाला की उड़ाही समय–समय पर नगर पंचायत फुलपरास द्वारा करवायी जाती है।

नगर पंचायत घोघरडीहा अन्तर्गत एक मात्र डेवढ राजस्व हाट विद्यमान हैं। जहां पूर्व में बरसात के दिनों में जल जमाव की समस्या बनी रहती थी। उक्त स्थल पर मिट्टीकरण करवाकर जल जमाव की समस्या को दूर करवा दिया गया है।

घोघरडीहा नगर पंचायत अन्तर्गत अधिकांशतः व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रधान मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित है जहां मच्छहट्टा पुल से पुराना ब्लॉक गेट तक नाला का निर्माण करवा दिया गया है एवं पुराना ब्लॉक गेट से पेट्रोल पंप तक नाला निर्माण कार्य हेतु मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजनांतर्गत बुडको, मधुबनी द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना 12/2025–26 के ग्रुप सं०–04 द्वारा निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है।

अध्यक्ष : श्रीमती शीला कुमारी ।

श्रीमती शीला कुमारी : अध्यक्ष महोदय, पूछती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती शीला कुमारी : जी, पढ़ दिया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्वीकारात्मक है । नगर पंचायत फुलपरास एक नवगठित नगर निकाय है, फुलपरास नगर क्षेत्र में एन०एच०–27 के सर्विस रोड पर ग्रामीण हाट लगाया जाता है, ग्रामीण हाट के बगल में सर्विस रोड के निर्मित नाला की उड़ाही समय–समय पर नगर पंचायत फुलपरास द्वारा करवायी जाती है।

नगर पंचायत घोघरडीहा अन्तर्गत एक मात्र डेवढ राजस्व हाट विद्यमान हैं। जहां पूर्व में बरसात के दिनों में जल जमाव की समस्या बनी रहती थी। उक्त स्थल पर मिट्टीकरण करवाकर जल जमाव की समस्या को दूर करवा दिया गया है।

घोघरडीहा नगर पंचायत अन्तर्गत अधिकांशतः व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रधान मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित है जहां मच्छहट्टा पुल से पुराना ब्लॉक गेट तक नाला का निर्माण करवा दिया गया है एवं पुराना ब्लॉक गेट से पेट्रोल पंप तक नाला निर्माण कार्य हेतु मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजनांतर्गत बुडको, मधुबनी द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना 12/2025–26 के ग्रुप सं०–04 द्वारा निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है।

अध्यक्ष : कितना अच्छा जवाब है ।

श्रीमती शीला कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपने नाला का तो निर्माण करा दिया लेकिन उसका जो जल निकासी होता है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है । नाला के बाद जो पानी होता है, वहां गड्ढ़ा हो जाता है । उस जगह पर मच्छर और दुर्गंध आते रहता है और

सड़क पर भी पानी आ जाता है । इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन हमको चाहिए।

अध्यक्ष : हो जाएगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिखवा लेते हैं । जब नाला का निर्माण और निविदा होता है तो प्राक्कलन के पूर्व ये सारे विषय पर लोग चिंतन करते हैं और माननीय सदस्य की चिन्ता है तो इनकी चिन्ता को हमलोग देखते हैं ।

अध्यक्ष : श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता ।

टर्न–5 / यानपति / 12.02.2026

तारांकित प्रश्न संख्या–819, श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं0–75, सहरसा)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : नगर निगम सहरसा में शहरी गरीब आवासहीन भूमिहीन परिवारों को वासित करने हेतु बहुमंजिली इमारत निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है। भूमि उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न, उत्तर मिला है । सहरसा नगर निगम के सफाई कर्मचारी के लिए बहुमंजिली इमारत बनाकर उनको घर देने की बात थी । लेकिन जो उत्तर मिला है उससे तो कोई भी सहमत नहीं हो सकता है कि जवाब मिला है जिससे लगता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को गुमराह किया गया है । आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, देश का बिहार इकलौता राज्य है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वैसे लाभुक जिसके कवर नहीं हो रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना निकाल कर वैसे लोगों को घर दिया है । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । यह जो पूरा शहर है, यह जो सफाई कर्मचारी हैं, पूरे शहर को साफ करता है मैं उसके गांव में, घर में गया । एक–एक घर में तीन–तीन, चार–चार फैमिली रह रहे हैं और यह जवाब आया...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, भूमि ही नहीं है, मैं चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार के सफाई कर्मचारी जो आपके शहर को साफ करता है अगर जमीन नहीं है तो सरकार क्या कर रही है, लेकिन मैं जानता हूं कि जमीन है और चार कंपोनेंट प्रधानमंत्री आवास योजना में होता है, बी0एल0सी0 होते हैं, पी0आर0एच0 होते हैं, ए0पी0एच0 होता है, ओराइसेस होता है यह भी प्रोवीजन है कि यदि सरकारी बिल्डिंग वहां यूं ही

पड़ा है खंडहर की तरह तो रेंटल पर दीजिए । जमीन दीजिए, सहरसा नगर निगम में जमीन है, माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी बैठे हुए हैं उनको पता है कि सहरसा में जमीन है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : वो रहे हैं मंत्री इसलिए वहां एक बार जांच करवाइये सर, वहां पर जमीन है और मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी पॉलिसी लाइये जिससे कि जो आपके शहर को साफ करते हैं उसको घर दीजिए हुजूर, यह मेरा है।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री विजय बाबू ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब बहुत स्पष्ट है, माननीय सदस्य भी स्वीकार कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि बहुमंजिली इमारत निर्माण के लिए, तो भूमि उपलब्ध होगा तो अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी, सरकार आपके विषय पर तो गंभीर है ही और ऐसे भी ये अनुभवी हैं । जिस विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को, भूमिहीनों के लिए पूरी तरह से सजगता के साथ काम कर रही है इनका तो अपना भी अनुभव है । ये जानते भी हैं कि प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत लोगों को उपलब्धता की सूची नियमानुकूल बना हुआ है ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार सजग नहीं है, संवेदनशील भी है, 10 वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है और मैं जानता हूं जमीन है, आपको जो रिपोर्ट मुहैया कराया गया है वह सही नहीं है । एक बार आप उसको दुबारा दिखवा लीजिए सर ।

अध्यक्ष : दिखवा लेंगे ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : लेकिन मैं कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, एक पॉलिसी लाइये जो सफाई कर्मचारी के लिए आसानी हो, यही मेरा कहना है।

अध्यक्ष : सरकार सारी बातों को देखेगी, समाधान करायेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–820, श्री जनक सिंह (क्षेत्र सं0–116, तरैया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अस्वीकारात्मक।

सारण जिला के तरैया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 341 जलापूर्ति योजना है। इनमें 39 योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा एवं 302 योजना पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित है। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में पंचायती राज विभाग से क्रियान्वित योजनाओं को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा हस्तांतरण लिया गया है तथा मरम्मति एवं रख–रखाव विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

PHED के नियंत्रणाधीन वार्डों के योजनाओं का परिचालन एवं रख–रखाव चयनित संवेदक द्वारा किया जाता है। एकरारनामा के प्रावधानों के आलोक में संवेदक द्वारा ही पम्प चालक को रखा जाता है तथा मानदेय का भुगतान किया जाता है।

विभागीय संकल्प संख्या–1676 दिनांक–12/08/2024 के आलोक में पंचायती राज विभाग से PHED को हस्तांतरित योजनाओं के परिचालन हेतु पम्प चालकों/अनुरक्षकों के मानदेय का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाता है।

नल जल योजना के ऑपरेटर की स्थायी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं, उत्तर प्राप्त है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री जनक सिंह : माननीय मंत्री महोदय से हम यह जानकारी लेने हेतु प्रश्न किया है इसमें हमने स्पष्ट दिया है कि तरैया विधान सभा सहित पूरे राज्य में पंप ऑपरेटरों की नियुक्ति के संबंध में हमने स्पष्ट रूप से कहा है तो माननीय मंत्री महोदय ने क्यों तरैया विधान सभा क्षेत्र के 341 जो जल प्रबंधन का कार्य चल रहा है उसके लिए है । हम पूरे राज्य के विषय में हमने यह मांगा है, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए, आप चाहते हैं नियुक्ति हो वहां पर ।

श्री जनक सिंह : लेकिन जब पूरे राज्य की बात हमने कहा, हमने यह कहा कि तरैया विधान सभा सहित पूरे राज्य की बात की है तो उसमें जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुद्ध पेयजल पहुंचाने की इस योजना में राज्य भर में 56 हजार लग गए । और पूरे राज्य में लगभग डेढ़ लाख से अधिक...

अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिए ।

श्री जनक सिंह : तो मेरा यह कहना है कि इन्होंने कहा है कि दो चरण में इन्होंने जवाब दिया है एक तो दिया है कि पी0एच0ई0डी0 के द्वारा, जो पंप्स पर बैठते हैं जो देखते हैं तो उसको और दूसरा है पंचायत प्रबंध का तो मेरा यह कहना है कि कुल कितने हैं और यह स्पष्ट दें ।

अध्यक्ष : आ गया आपका विषय । माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जाहिर है लेकिन हम बताना चाहेंगे कि पंचायती राज विभाग द्वारा 15वीं वित्त आयोग से पंचायत हेतु देय प्रदत्त अनुदान मद से अनुरक्षक का मानदेय प्रतिमाह 2 हजार रुपये की दर से वार्षिक, 24 हजार, पंचायत के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था जिसका भुगतान डब्लू0आर0सी0 के द्वारा अनुरक्षक को

किया गया था और वहीं पर जो तरैया का इन्होंने क्वेश्चन किया है उसके हिसाब से महोदय PHED के नियंत्रणाधीन वार्डों के योजनाओं का परिचालन एवं रख–रखाव चयनित संवेदक द्वारा किया जाता है। एकरारनामा के प्रावधानों के आलोक में संवेदक द्वारा ही पम्प चालक को रखा जाता है तथा मानदेय का भुगतान किया जाता है।

महोदय, विभागीय संकल्प संख्या–1676 दिनांक–12/08/2024 के आलोक में पंचायती राज विभाग से PHED को हस्तांतरित योजनाओं के परिचालन हेतु पम्प चालकों/अनुरक्षकों के मानदेय का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है । महोदय, इन्होंने कहा है कि सिर्फ इन्होंने तरैया की बात नहीं किया है तो वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिले के तरैया के अलावा भी जो उन्होंने 302 योजनाओं की बात की है उसके लिए लगातार हमलोग उसमें लगे हुए हैं और वर्तमान में वहां का ऑपरेटर का जो है, वर्तमान में सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जो हमारे ऑपरेटर बैठते हैं उनका भुगतान सही रूप से, सुआ न सुतारी, क्या करिहें व्यापारी । अगर हमारे पास ऑपरेटर नहीं रहेंगे तो कैसे जन–जन तक पानी जायेगा । चूंकि प्यासा इंसान के सामने आईने रखते हैं, पानी का हर एक बूंद मायने रखते हैं तो बिहार के अंदर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की यह महत्वपूर्ण योजना है, हर घर तक जल जाय तो नहीं जा रहा है । यह सदन साक्षी है कितने प्रश्न आ गये, हमारा सीधे कहना है कि जन–जन तक कैसे पानी जाय, हम सामान्य रूप से बात करना चाहते हैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चाहे इनका पी0एच0ई0डी0 का हो, चाहे पंचायत प्रबंधन का हो, उससे नहीं, हमें यह है कि आमजनों तक कैसे होगा तो जब तक इनके पास सुआ–सुतारी नहीं रहेगा तो कैसे रास्ता, जब तक इनके पास मैनपावर नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा । चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 56 हजार के आसपास...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में लगभग 1 लाख 20 हजार वार्ड्स स्तरीय जलापूर्ति योजना है जिसमें से 70 हजार योजना में बी0आर0डी0ए0 द्वारा 2 हजार की दर से मानदेय दिया जाता है । लगभग 50 हजार योजना पी0एच0ई0डी0 के द्वारा निर्मित है जिनमें से ऑपरेटर का भुगतान संवेदक के द्वारा किया जाता है ।

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार ।

श्री जनक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा यह कहना है कि...

अध्यक्ष : हो गया, सारी बात आ गई । अजय कुमार जी ।

श्री जनक सिंह : राज्य की बात है ।

अध्यक्ष : अच्छा है, राज्य की बात है न, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसपर विचार सरकार कर लेगी, सरकार का प्रयास है । होगा–होगा, बैठ जाइये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–821, श्री अजय कुमार (क्षेत्र सं0–138, विभूतिपुर)</u>

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : 1– आंशिक स्वीकारात्मक है।

समाहर्त्ता, समस्तीपुर से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के पंचायत–कल्याणपुर बस्ती पश्चिम के पंचायत भवन की भूमि जिसका खाता संख्या–320, खेसरा–3328, रकबा– 02 कट्ठा जमीन माननीय राज्यपाल, बिहार सरकार के नाम से 21–12–1987 को दस्तावेज सं०–10807/1987 द्वारा दान में दी गई है। इस भूमि पर वर्तमान में पंचायत भवन कल्याणपुर बस्ती पश्चिम संचालित है। शेष भूमि परती के रूप में है, जिसपर सीमांकन के संबंध में दिनाक–10–02–2026 की तिथि अंचल मोहिउद्दीननगर के पत्रांक–85, दिनाक–20–01–2026 द्वारा निर्धारित की गई है।

2– आंशिक स्वीकारात्मक है।

उपरोक्त भूमि का सीमांकन के संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पत्रांक–237/पं०, दिनाक– 17–01–2026 के आलोक में सीमांकन हेतु दिनांक– 10–02–2026 निर्धारित किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC वाद संख्या–1009/2024 में याचिकाकर्ता श्री जय चन्द्र राय, पिता–स्व० राम सागर राय को अंचल कार्यालय में याचिका देने का आदेश देते हुए CWJC वाद को समाप्त किया गया था। न्यायालय के आदेश के अक्षरशः अनुपालन हेतु सीमांकन एवं अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

3– सीमांकन उपरांत अवरोध उत्पन्न करने एवं अतिक्रमण करने पर लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं और जवाब भी माननीय मंत्री जी के द्वारा मिला है लेकिन मैं...

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री अजय कुमार : पूरक मैं पूछ रहा हूं कि 10 फरवरी को उक्त भूमि के सीमांकन का फैसला, लेटर निकाला और सीमांकन कराने के लिए गया, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं, पहला पूरक मेरा है कि क्या 10 तारीख को सीमांकन वहां कर दी गई ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के बाद विभाग सजगता के साथ 10.02.2026 को अंचल अमीन को प्रतिनियुक्ति कर

सीमांकन का कार्य पूर्ण कराया गया । सीमांकन के दौरान किसी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी । वर्तमान में उक्त स्थल पर कोई स्थाई या अस्थाई संरचना नहीं है । महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी जानकारी दूं कि सभी अतिक्रमण को समाहर्ता द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में हटाया जाता है। यह बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के द्वारा धारा 3 के अंतगत की जाती है और अंचल अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, अपर समाहर्ता एवं समाहर्ता द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है ।

टर्न–6 / मुकुल / 12.02.2026

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं कि सीमांकन कर दी गयी है और किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं हुई है, मैं पूरी तौर पर दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके अमीन वहां पर गये, लेकिन वहां कोई सीमांकन नहीं कर पाया और बिना सीमांकन किये हुए नक्शा को वह नापकर के चले आये और उसके आधार पर वह रिपोर्ट दिया है । ऐसी रिपोर्ट जिन्होंने दी है, क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई शब्द बहुत आसान होता है लेकिन जो जमीन पर मेहनत करता है उसका पूरा, हमने तो अब आदेश भी दिया है कि उसको वीडियो बनाया जायेगा ताकि कल कोई उससे बात इधर–उधर न कर सके और अगर जो इस तरह की डिटेल उनके पास होगी तो उपलब्ध करायेंगे, जो जमीन पर सही रूप से काम करता है, मैं उसपर कार्रवाई नहीं उसे पुरस्कृत करूंगा, गलत करेंगे तो जरूर कार्रवाई करूंगा ।

अध्यक्ष : श्री रामविलास कामत ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है, मेरा पूरक इसलिए है कि मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि डी0पी0आर0 वह दिनांक–24.07.2023 को लेटर दिया सी0ओ0 को पहला, दूसरा दिया दिनांक–03.08.2023 को और अभी कितना है, तीन साल बीत गया, तीन साल बीत गया और उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाया, कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, कोई बात तो होगी । सर, आखिरी मैं पूछ लेता हूं, माननीय मंत्री जी मेरा आखिरी सप्लीमेंट्री यह है कि क्या उस भूमि पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत के माध्यम से उसका चहारदीवारी से घेराबंदी वह कराने के लिए ये आदेश देना चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का घेराबंदी का काम है क्या ? माननीय सदस्य पुराने हैं....

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रोटेक्शन की बात कह रहा हूं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : देखिए, मैं तो कह दिया कि कोई दावा आपत्ति ही नहीं कर रहा है, अमीन जाकर के वहां सीमांकन कर चुका है और आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो हमने तो विस्तार से पढ़ा कि मेरे विभाग के अंदर सिस्टम है अंचलाधिकारी का, अनुमंडल पदाधिकारी का, अपर समहर्ता का, समहर्ता का आप किसी के पास अपील करें, अगर जो प्रॉब्लम होगी तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नई सरकार की नई पहल में पूरी मॉनिटरिंग हो रही है । माननीय सदस्य यह आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर गड़बड़ी करेंगे तो बख्शे नहीं जायेंगे लेकिन सही लोगों को हम दंडित भी नहीं करेंगे ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका हो गया, बहुत क्लीयर है । श्री रामविलास कामत।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न सं0–822, श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या–42, पिपरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिला अन्तर्गत किशनपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय महिपट्टी में ''हर घर नल का जल'' योजना अन्तर्गत 04 अदद स्टैण्ड पोस्ट से शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है । साथ ही, उक्त विद्यालय में 03 अदद चापाकल अधिष्ठापित है । जिसमें 01 अदद चापाकल बंद था, जिसे मरम्मति कर चालू करा दिया गया है । वर्तमान में 03 अदद चापाकल चालू अवस्था में है।

खंड–2 कंडिका–2 का विषय शिक्षा विभाग से संबंधित है । तदालोक में विभागीय पत्रांक–239, दिनांक–11.02.2026 द्वारा शिक्षा विभाग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु स्थानांतरित किया गया है ।

खंड–3 उपरोक्त खंड–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको उत्तर मिला है तो पूरक पूछ लीजिए । आपकी आवाज आ रही है । शांति–शांति ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला हुआ है, उत्तर में जो दिया गया है अध्यक्ष महोदय, किशनपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय महिपट्टी में ''हर घर नल का जल'' योजना अन्तर्गत 04 अदद स्टैण्ड पोस्ट से शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है । दूसरा खंड है अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए, आपको उत्तर मिल गया है।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, उसी में हम पूरक प्रश्न पूछने जा रहे हैं कि साथ ही उक्त विद्यालय में 03 अदद चापाकल अधिष्ठापित है। जिसमें 01 खराब था, बंद था ठीक करा दिया गया है जलापूर्ति की जा रही है । अध्यक्ष

महोदय, हर घर नल के जल योजना अंतर्गत जो जल की सप्लाई दी जाती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपके विद्यालय का प्रश्न है ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, अभी जनक बाबू बता रहे थे, पम्प संचालक जो होते हैं सबसे पहले तो वे पम्प चलाना नहीं चाहते हैं, वे कहते हैं कि हमको भुगतान समय पर.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वहां मत जाइये, आपका प्रश्न है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शुद्ध पेयजल आपूर्ति बाधित है, इसकी चर्चा की कीजिए ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि विद्यालय का समय संचालन का जो है 10 बजे से 4 बजे तक है और पम्प संचालक कहा करते हैं कि हमको पानी 7 बजे से 9 बजे तक ही देना है, इस पीरियड में पानी देता है विद्यालय संचालन के समय में जलापूर्ति नहीं हो पाती है तो क्या मंत्री महोदय जिन विद्यालय में नल–जल योजना के अंतर्गत पानी दी जा रही है शुद्ध पेयजल, उसको 10 बजे से 5 बजे तक पानी देने का आदेश देना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री रामविलास कामत : दूसरा अध्यक्ष महोदय, जवाब में दिया गया है कि चापाकल भी लगवाया गया है और उससे भी पानी दी जा रही है पेयजल, लेकिन अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला और खासकर के किशनपुर प्रखंड बाढ़ प्रभावित इलाका है.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उसपर नहीं जाइये, विद्यालय के बारे में बताइये ।

श्री रामविलास कामत : वहां 15 फीट पर पानी मिलता है, चापाकल का पानी लौह युक्त होता है और उससे बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो मैं चाहता हूं कि शुद्ध पेयजल विद्यालयों में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाए ताकि बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाये रखा जा सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री । माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पम्प संचालन का समय जो माननीय सदस्य ने कहा है वह सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक है और दोपहर का 1 बजे से लेकर 2 बजे तक है और शाम में फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जलापूर्ति की जाती है और माननीय सदस्य ने जो प्रधानाध्यापक का प्रमाणपत्र भी फोल्डर में लगाकर रखा गया है और साथ ही जो पूरक सामग्री के रूप में उन्होंने 4 अदद चापाकल का स्टैंड पोस्ट का फोटोग्राफ भी संलग्न है और माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि 4 अदद स्टैंड पोस्ट जो है शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है साथ ही, उक्त विद्यालय में 3 अदद चापाकल अधिष्ठापित भी है । जिसमें

से 1 चापाकल बंद था जिसकी मरम्मति कराकर चालू करा दिया गया है । वर्तमान में 3 चापाकल चालू अवस्था में है ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, हमारी चिंता सिर्फ एक विद्यालय के लिए नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं–नहीं आपने प्रश्न में एक विद्यालय के लिए ही कहा है।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, वह तो....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरे बिहार पर मत जाइये ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, वह तो हम प्रतीक के रूप में बताये हैं लेकिन....

अध्यक्ष : आपने अपने क्षेत्र का कहा है ।

श्री रामविलास कामत : जिन विद्यालयों में नल–जल योजना से.....

अध्यक्ष : श्री शुभानंद मुकेश ।

श्री रामविलास कामत : महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो कहा है अपने क्षेत्र के विद्यालय के बारे में तो माननीय मंत्री जी ने उसकी चर्चा की है, उस पर हम चाह रहे थे माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था बनाइये ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें फोटो भी संलग्न है माननीय सदस्य को हमने भेज दिया है जिसमें पानी चलता हुआ फोटो लगा हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप एक काम कीजिए कि पानी सप्लाई का समय जो है वह जिस समय विद्यालय खुलता है उस समय नहीं है, वहां पर एक सिनटैक्स एक लगा दीजिए कि पानी उसमें स्टोर रहे ताकि बच्चों को दिक्कत न हो । इसको आप दिखवा लीजिए ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : जी बिल्कुल अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसकी व्यवस्था हो जायेगी आप इसकी चिंता मत कीजिए।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–823, श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या–155, कहलगांव)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 (1) उत्तर अस्वीकरात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना–382, दिनांक–22 अगस्त, 1991 के आलोक में सुलतानगंज से कहलगाँव तक विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन आश्रयी क्षेत्र घोषित है, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन है ।

(2) अधिसूचित आश्रयी क्षेत्र घोषित होने के कारण गंगा नदी के प्रश्नगत भाग पर मत्स्य शिकारमाही पर पहले से ही रोक है ।

(3) बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा 13 के आलोक में नदियों में चार सेंटीमीटर (04 cm) से कम का फासा जाल (गिलनेट) का प्रयोग नदियों में प्रतिबंधित है, ताकि मत्स्य बीज/अंगुलिकाओं को नदियों में

सुरक्षित किया जा सके । यह प्रावधान गंगा नदी सहित अन्य बहती नदियों पर लागू है । उक्त प्रावधान के आलोक में महीन जाल के प्रयोग को रोकने हेतु प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी, भागलपुर का पत्रांक–955 दिनांक–12.06.2025 द्वारा जिला प्रशासन, भागलपुर से अनुरोध किया गया है ।

खंड–2 उक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन इसमें खाली नियम का हवाला दे दिया गया है कि जिला मत्स्य पदाधिकारी, भागलपुर को पत्रांक–955 दिनांक–12.06.2025 दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, भागलपुर और सबौर क्षेत्र में बिहार मत्स्य के इस अधिनियम का घोर उल्लंघन हो रहा है, जीरो साइज के जालों का प्रयोग हो रहा है और मछलियों के अंडे और जिससे गंगा की जीव वैद्यता और कहलगांव.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, कहलगांव के स्थानीय मछुआरों की जीविका का संकट है, क्या सरकार बतायेगी कि पिछले छः महीने में विभाग ने कितनी छापेमारी की और कितने अवैध जाल जब्त कर संबंधित लोगों पर एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना–382, दिनांक–22 अगस्त 1991....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जवाब के बजाय कार्रवाई क्या हुई इसके बारे में बता दीजिए ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है तो इसको हम दिखवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह था कि पेट्रोलिंग की.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने आपकी बातों को संज्ञान में लिया है, कहा है कि जांच कराकर कार्रवाई की जायेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–824, श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या–5, लौरिया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 अस्वीकारात्मक है।

समाहर्त्ता, प0 चम्पारण से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि लौरिया स्थित साहु जैन (+2) विद्यालय की जमीन के अतिक्रमण से संबंधित कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

खंड–2 उपर्युक्त खंड में उत्तर स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और मैं संतुष्ट हूं और मैं माननीय मंत्री जी के संदर्भ में चार पंक्ति कहना चाहता हूं और आपकी इजाजत हो तो आपके बारे में भी चार पंक्ति कहना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी,

आपके कर्मों में जलवानिगार है,
आपके कर्मों में जलवानिगार है,
भू राजस्व विभाग में आया निखार है,
लग जाए सारी दुआएं आपको मेरी ,
आप जैसे ही लोगों से बढ़ता बिहार है ।

(व्यवधान)

श्री विनय बिहारी : और अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : शांति–शांति ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, सारा देश जानता है कि आप ऐसे महामानव हैं जो 9 बार शहरी क्षेत्र से लगातार सदन में आने वाले इस पूरे देश में आप प्रथम व्यक्ति हैं, आपको तो पद्मश्री के लिए अनुशंसा करनी चाहिए आप जैसे लोगों को पद्मश्री प्राप्त हो ।

क्रमशः

टर्न–7 / सुरज / 12.02.2026

(क्रमशः)

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय आपके लिये चार पंक्ति :

दिल में समाकर दिल में विश्वास बनाते हैं,
अपनी धरती और अपना आकाश बनाते हैं,
यहां कौन है जो आकर जाएगा नहीं
लेकिन आप जैसे लोग तो इतिहास बनाते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्य अपने प्रश्न का जवाब सुन लें ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, जवाब जो मुझे मिला है, वह संतोषजनक है । वह साहुजैन उच्च विद्यालय का मामला है और वह अतिक्रमित है । उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये मैंने इस सवाल को सदन में लाया था ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं । अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–12 फरवरी, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री अजय कुमार, स०वि०स०, श्री संदीप सौरभ, स०वि०स०, श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स०, श्री अरूण

सिंह, स०वि०स०, श्री अमरेन्द्र कुमार, स०वि०स०, श्री अजय कुमार, स०वि०स०, श्री सुरेन्द्र प्रसाद, स०वि०स०, श्री गौतम कृष्ण, स०वि०स०, ।

आज दिनांक–12 फरवरी, 2026 को सदन में वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद–विवाद एवं मतदान निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–176(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, आज पूरे देश के मजदूरों ने हड़ताल किया । उनका जो श्रम कानून था उसको बदलकर चार संहिता में लाकर सिमटा दिया और उसके लिये मैं कार्य स्थगन लाना चाहता हूं ।

महोदय, आजादी के बाद मजदूरों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हेतु सरकार ने कुल 44 श्रम कानून बनाये थे । इन कानूनों में संगठित और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा और यूनियन बनाने का मौलिक अधिकार दिया था । परंतु वर्तमान केन्द्र की सरकार ने इन 44 कानून को समेटकर केवल 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया है । इन संहिताओं के लागू होने से मजदूरों के वेतन, मानदेय और पारिश्रमिक में कटौती की आशंका बढ़ी है, यूनियनों के अधिकार सीमित हुये हैं और असंगठित क्षेत्र के मजदूर पूरी तरह असुरक्षित हो गये हैं । इसी कारण से पूरे देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के यूनियनों ने अखिल भारतीय हड़ताल का आज आह्वान किया है ।

आज दिनांक–12.02.2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर राज्य के मजदूरों के हित की रक्षा हेतु अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो, यह मेरा प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री अजय कुमार : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मसला है ।

## शून्यकाल

अध्यक्ष : बैठ जाइये प्लीज । माननीय सदस्य श्री ललन राम ।

श्री ललन राम : अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के पलामू जिलान्तर्गत हड़ियाही डैम से बटाने दाएं नहर तक पानी औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा, देव, मदनपुर बटाने नहर का कार्य अधूरा है । झारखंड सरकार से पहल कर बटाने नहर का कार्य पूरा करते हुए खेतों की सिंचाई की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी पासवान : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड रेफरल अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के नहीं होने से रोगियों को अन्यत्र भटकना पड़ता है । अल्ट्रासाउंड मशीन है लेकिन टेक्निीशियन के अभाव में बंद है ।

अतः उक्त अस्पताल में उपरोक्त दोनों पदों पर यथा शीघ्र प्रतिनियुक्ति हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री विमल राजवंशी : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला अंतर्गत रजौली विधान सभा के सवैया टांड पंचायत में ''वन विभाग'' द्वारा एन0ओ0सी0 देते हुए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री पप्पु कुमार वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला के करपी प्रखंड के करपी बाजार में मुख्य सड़क (एन0डी0आर0) में हाई स्कूल करपी से सहदेव यादव कॉलेज तक सड़क के दोनों तरफ नाला निर्माण का सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री उदय बाबू आपने जो शून्यकाल दिया है उसको 50 शब्दों में देना है, आपका 80 शब्द है । भविष्य में ध्यान रखेंगे । अब आप अपनी सूचना को 50 शब्दों के अंदर में पढ़ लीजिये ।

श्री उदय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिला के शेरघाटी प्रखंड अंतर्गत शेरघाटी रिंग रोड से गुरूकुल के पास से ग्राम महमदपुर शिव मंदिर के पास बुढ़िया नदी पर पुल नहीं रहने के कारण लगभग 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है।

अतः मैं सरकार से बुढ़िया नदी पर पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री विष्णु देव पासवान : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत दरौली विधान सभा में गुठनी प्रखंड के गुठनी नगर पंचायत में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण असमाजिक तत्वों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती श्वेता गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिले में रेलमार्ग, हाइवे एवं प्रमुख सड़कों के निर्माण हेतु भू–अर्जन प्रक्रिया लंबित रहने से विकास कार्य बाधित है ।

अतः भू–अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने, विशेष व्यवस्था लागू करने तथा लंबित परियोजनाओं के समयबद्ध पूरा कराने हेतु सरकार से त्वरित ठोस कार्रवाई की मांग करती हूं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड–बिक्रमगंज, पंचायत–शिवपुर के आजाद टोला के अतिपिछड़ा, महादलित परिवार आज भी सड़क के नाम पर पगडंडी एवं वर्षा के दिनों में पानी व कीचड़ भरे रास्तों से आने–जाने को मजबूर है। । मैं उक्त टोला को सड़क से जोड़ने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, कहलगांव स्थित एन0टी0पी0सी0 संयंत्र से निकलने वाली फ्लाईऐश से आसपास की पंचायतों में वायु–जल प्रदूषण गंभीर हो गया है। कृषि भूमि बंजर और गंभीर रोग बढ़ रहे हैं । प्रदूषण के खतरे को कम

करने हेतु पर्यावरण मानकों का कड़ाई से पालन करने के लिये मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती बिनिता मेहता : अध्यक्ष महोदय, कौआकोल प्रखंड अंतर्गत सोखोदेवरा गांव में स्थित रेफरल अस्पताल 1984 में विधिवत् रूप से स्थापित किया गया था । लेकिन यह अस्पताल डॉक्टर और दवाई के अभाव में बंद हो गया । अभी बी0एम0पी0 कैंप चल रहा है ।

अतः अनुरोध करती हूं कि बी0एम0पी0 कैम्प को दूसरे जगह शिफ्ट कर पुनः रेफरल अस्पताल चालू कराया जाए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा के नारायणपुर प्रखंड में अवस्थित मध्य विद्यालय चौहद्दी का पुराना चार कमरा बहुत ही जर्जर है । कभी भी दुर्घटना घट सकती है ।

अतः मैं पुराने कमरों की मरम्मतीकरण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत कचहरीपुर गांव में वर्ष 2020 में स्लुईस गेट के साथ पक्का नाला निर्माण प्रस्तावित था । किंतु अब तक नाला नहीं बनने से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है ।

अतः सरकार से खेतों तक पक्का नाला निर्माण की मांग करती हूं ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड–भितहां में किसी भी एस0बी0आई, पी0एन0बी0 एवं अन्य राष्ट्रीय बैंक की शाखा नहीं है, जिस कारण लघु उद्योग, व्यापार बढ़ाने सहित बैंक के माध्यम से लेन–देन करने में काफी कठिनाई होती है । मैं सदन के माध्यम से सरकार से राष्ट्रीयकृत बैंक खोलने की मांग करता हूं ।

टर्न–8 / धिरेन्द्र / 12.02.2026

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिसकर्मी राज्यवासियों की सुरक्षा में लगे रहते हैं लेकिन सरकार की गलत ट्रांसफर नीति के कारण उन्हें घर से 400–500 किलोमीटर दूर ड्यूटी करनी पड़ती है । सरकार नई ट्रांसफर नीति बनाकर पुलिसकर्मियों को घर से 100–120 किलोमीटर की दूरी पर ट्रांसफर करने की मांग करता हूँ ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र स्थित बैधनाथपुर अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र का 06 बेड वाला भवन निर्माण कार्य रूका हुआ है । साथ ही, अस्पताल में डॉक्टर एवं कर्मियों की कमी है । अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त कर उक्त अस्पताल का भवन बनाने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती देवंती यादव : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ग्रस्त अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज विधानसभा में पथ निर्माण विभाग के द्वारा जयनगर से घूरना सड़का की निविदा संख्या–118224, दिनांक–21.11.2025 को आमंत्रित की गई थी । जिसका अविलम्ब निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करके कार्य प्रारंभ कराने की मांग सरकार से करती हूँ ।

श्री नागेन्द्र चंद्रवंशी : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत नोखा विधानसभा के नासरीगंज प्रखंड में ग्राम पडुरी से जमालपुर तक सोन नदी में बाढ़ आने के कारण लगातार कटाव होता है । इससे जनजीवन प्रभावित होता है । कटाव को रोकने हेतु सेफ्टीवॉल बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, 18 वर्षों से माध्यमिक, उच्च–माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन बहाली नहीं होने से लाइब्रेरी साइंस के 06 लाख अभ्यर्थी बेरोजगार हैं । जून, 2025 में बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष नियमावली प्रकाशित होने के बावजूद लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का विज्ञापन नहीं आया ।

अतः सरकार से तत्काल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा आयोजित करने और बहाली करवाने की मांग करता हूँ ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा राज्य के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का प्रावधान है लेकिन गया जिलांतर्गत टिकारी प्रखंड के ग्राम+पंचायत–शिवनगर के ग्राम–मोकारिम चक एवं कोंच प्रखंड अंतर्गत श्री गाँव पंचायत के ग्राम–नेवधी व ग्राम+पंचायत+ग्राम–खजुरी में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी अब तक सरकार द्वारा नहीं करायी गयी है ।

अतएव उपर्युक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी शीघ्र करायी जाय ।

श्री अविनाश मंगलम : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलसर गांव में अब तक कई हत्याओं की घटनाएं घट चुकी हैं जिससे क्षेत्र में भय का माहौल है । जन–सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सरकार से मांग है कि बेलसर गांव में अविलंब पुलिस चौकी की स्थापना की जाय ।

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मिथिला के महान दानी राष्ट्रनिर्माता एवं संविधान सभा के सदस्य रहे दरभंगा के महाराजाधिराज स्व॰ डॉ॰ कामेश्वर सिंह को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करने की सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ ।

मो॰ कमरूल होदा : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत ए॰एम॰यू॰ शाखा तथा निर्माणाधीन पुलिस लाईन के निकट एन॰जी॰टी॰ की रोक के बावजूद खनन पदाधिकारी किशनगंज द्वारा व्यापक पैमाने पर करोड़ों रुपये का अवैध खनन कराया जा रहा है ।

अतः मैं अवैध खनन को रोकने, दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग करता हूँ ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड अंतर्गत गांधी मैदान में स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2010–11 में दी गयी थी । अभी तक निर्माण कार्य नहीं किया गया है । मैं सरकार से इसकी जाँच करा कर स्टेडियम का निर्माण यथाशीघ्र कराने की मांग करता हूँ ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति–2020 के तहत स्नातक कोर्स 03 साल के बदले 04 साल हो गया है जिससे फीस 1000 से बढ़कर 3600 रुपये प्रति सेमेस्टर हो गया है । वित्तीय संकट के कारण छात्र पढ़ाई छोड़ रहे हैं । मैं सरकार से केरल की तरह यू॰जी॰ से पी॰जी॰ तक फ्री शिक्षा देने की मांग करता हूँ ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज एवं मदनपुर प्रखंड में उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण छात्र–छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ।

अतएव रफीगंज एवं मदनपुर में प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाय ।

मोहम्मद मुर्शिद आलम : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखण्ड के ग्रामपंचायत रामनगर के सुरकिया नदी में हाट गांव मदरसा के निकट जर्जर पुल है । कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है ।

अतः उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती अनीता : माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज प्रखंड के ग्राम–गंगटा, महदेवा, जोरानी, लक्ष्मीपुर, भागलपुर, बालाचक, गोपालपुर, बेलदरिया, गोनुविगहा, भागवतविगहा, मननचक, किशनगंज, ठेरासराय, टाड़ापर, मिल्की, पोखरपुर, मुरारविगहा, गड़ेरीविगहा तथा नगर परिषद् वारिसलीगंज के पटेलनगर, प्रभुनगर, विशनपुर, नागपुर में प्राथमिक विद्यालय नहीं है ।

अतः उक्त ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करवाने की मांग करती हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय उपमुख्यमंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य मो॰ कमरूल होदा जी, किशनगंज के संदर्भ में बता रहे थे अवैध खनन के बारे में तो वह लिखित में हमें उपलब्ध करा दें । कोई अगर वीडियो है या डिटेल है तो वह भी हमें उपलब्ध करायें, उस पर त्वरित एक्शन होगा ।

मो॰ कमरूल होदा : महोदय, उपलब्ध करा देता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती निशा सिंह ।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत आजमनगर प्रखंड के महानंदा बांध से भाया कनहरिया दमदमा को जोड़नेवाली सड़क पर महानंदा बांध के समीप पूल निर्माण का कार्य जमीन अधिग्रहण के चलते वर्षों से लंबित है ।

जल्द जमीन अधिग्रहण कर पूल निर्माण की मांग मैं सरकार से करती हूँ ।

श्रीमती कविता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र प्रखंड फलका में वर्तमान में एक ही पी॰एस॰एस॰ के माध्यम से पूरे प्रखंड में विद्युत आपूर्ति की जा रही है, अत्यधिक लोड के कारण बराबर बिजली ट्रिप की समस्या बनी रहती है ।

अतः फलका प्रखंड के मोरसंडा एवं पाठिया तथा कोढ़ा प्रखंड के रौतारा में नए पी॰एस॰एस॰ का निर्माण कराने की मांग करती हूँ ।

श्री बबलू कुमार उर्फ बबलू मंडल : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया स्थित आर्य कन्या +2 अल्पसंख्यक विद्यालय में शिक्षकों का अभाव है । विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति द्वारा की गई शिक्षक बहाली की अनुमोदन फाईल जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया के स्तर पर लगभग एक वर्ष से लंबित है । उक्त फाईल के शीघ्र अनुमोदन की मांग करता हूँ ।

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, बिहार में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,225 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित है । इसके बावजूद राज्य के कई जिलों में किसानों से लगभग 1,750 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जा रही है । सरकार से मांग करता हूँ कि मक्का की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित की जाए ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, लौरिया नगर पंचायत अंतर्गत अशोक स्तंभ के पास लौरिया नरकटियागंज राज्य उच्च मार्ग में वर्षों से पुल निर्माण कार्य लंबित है। बरसात के दिनों में आवागमन बाधित हो जाता है । सदन के माध्यम से इस पुल के शीघ्र निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

टर्न–9 / अंजली / 12.02.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो, तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी ।

(व्यवधान)

होगा । माननीय सदस्या, श्रीमती शालिनी मिश्रा जी की सूचना पढ़ी गई है । माननीय मंत्री ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्रीमती शालिनी मिश्रा, श्री मंजीत कुमार सिंह एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–25.11.2022 को चतुर्थ कृषि रोड मैप के सूत्रण पर हुई बैठक में गन्ना उत्पादक जिलों में जल–जमाव क्षेत्र के आकलन हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया,

इस समिति में कृषि विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, गन्ना उद्योग विभाग एवं जल संसाधन विभाग के सदस्य शामिल थे । उक्त के आलोक में विभिन्न जिला पदाधिकारी द्वारा समिति का गठन किया गया एवं जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण द्वारा समिति का संयुक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । तदोपरांत 8 योजनाओं का सूत्रण किया गया है । इस क्रम में विभाग द्वारा विशेष पहल करते हुए राज्य में चीनी उत्पादन के लिए गन्ना की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गन्ना उद्योग विभाग एवं गन्ना मिलों के प्रतिनिधिगण के बीच निरंतर समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है । अभी तक 134 योजनाओं का चयन किया गया है जिसमें 105 योजनाओं की सूची संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा को उपलब्ध कराया गया है । इस योजना के कार्यान्वयन को 66103.50 एकड़ गन्ना कृषि क्षेत्र को जल–जमाव से मुक्त किया जा सकेगा । शेष गन्ना कृषि क्षेत्र में सर्वे कार्य वर्तमान में प्रगति पर है । सर्वेक्षणोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

विभाग द्वारा वृहद् अवधि में भी गन्ना कृषि क्षेत्र के जल–जमाव से मुक्ति करने हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है । इसमें मुख्यतः सिकरहना, दायां तटबंध का निर्माण कार्य एवं मखाना नदी पर तटबंध निर्मित्त सम्मिलित है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि लगभग 66 हजार एकड़ जमीन को जल–जमाव से मुक्त करने के लिए 14 योजनाओं का चयन किया गया है और इसमें इन्होंने कहा जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि बाकी जिले भी इसमें थे । पूर्वी चंपारण में लगभग 13700 एकड़, समस्तीपुर में 16500 एकड़, इसके अलावा गोपालगंज, सिवान, बेगूसराय जैसे क्षेत्र भी बड़ी मात्रा में प्रभावित हैं और टोटल गन्ना सिंचित जो क्षेत्र है, लगभग ढाई लाख एकड़ भूमि जल–जमाव से प्रभावित रहती है, तीन लाख एकड़ में से ढाई लाख एकड़ जल–जमाव से प्रभावित रहती है, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि सिर्फ 66 हजार एकड़ 14 योजनाओं से पूरे बिहार का समाधान नहीं हो सकता, खासकर इन जिलों का जो गन्ना सिंचित क्षेत्र हैं, बाकी जगहों के लिए क्या योजना है माननीय मंत्री जी बताएं ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने यह भी कहा कि शेष गन्ना कृषि क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है, सर्वेक्षणोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । सर्वे चल रहा है, प्रक्रिया में है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय मंत्री महोदय, आग्रह पूर्वक कहना चाहती हूं कि यह सर्वेक्षण वर्ष 2022–2023 में शुरू हुआ था, अभी वर्ष 2026 हो गए हैं, तीन साल से सिर्फ सर्वेक्षण हो रहा है, हम सबों के क्षेत्र में लगभग 45 से 50 परसेंट जो क्षेत्र है, मानसून में गन्ना सिंचित क्षेत्र जल–जमाव से प्रभावित होते हैं और

किसानों को बहुत नुकसान होता है, तो इसकी एक समय–सीमा तय होनी चाहिए कि कब तक हमलोग यह सर्वेक्षण पूरा कर लेंगे ? नेवर इंडिंग तो नहीं हो सकता माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जल्द ही करा लिया जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा भी इसमें है ।

अध्यक्ष : पूछ लीजिए, आपका भी क्वेश्चन है ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार रूप से जवाब दिया है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें सारे जिला पदाधिकारी को यह निर्देशित किया गया कि दिनांक–15.12.2022 तक डी0पी0आर0 बनाकर और जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करा दें, ताकि जो गन्ना परिक्षेत्र है, जो जल से प्रभावित है और बिहार में इतनी बंद चीनी मिलों को सरकार ने चलाने का निर्णय भी लिया है और गन्ना का उत्पादन भी जल–जमाव के कारण बिहार में अब कम हो गया है, तो जब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और 15.12.2022 को ही सारे जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जो विभिन्न विभाग सम्मिलित थे उन लोगों को जब डी0पी0आर0 बनाने का और जमा करने का आदेश हुआ तो वर्ष 2022 के बाद अब तक लंबित क्यों है ?

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : इनके बाद पूछ लीजिएगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 25.11.2022 चतुर्थ कृषि रोड मैप के सूत्रण पर बैठक हुई थी, चतुर्थ रोड मैप तो अब प्रारंभ हो रहा है ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा चीनी मिल है, पांच चीनी मिल पश्चिमी चंपारण में है । लखनी चौर का एक मामला है, लखनी चौर में जल–जमाव की समस्या के चलते लाख एकड़ का यह चौर है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सर्वे हो रहा है, हो जाएगा ।

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि हो जाएगा । माननीय सदस्य, श्री शुभानंद मुकेश । अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री शुभानंद मुकेश, अनिल सिंह एवं अन्य आठ सभासदों से प्राप्त <u>ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।</u>

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय ''राज्य सरकार द्वारा 1 अगस्त, 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान की जा रही है, जो एक सराहनीय कदम है । किन्तु ज्ञातव्य है कि इस तिथि से पूर्व के जो

उपभोक्ता आर्थिक तंगी के कारण बिजली बिल जमा नहीं कर पाए थे, उन पर विभाग द्वारा आज भी भारी विलंब अधिभार (Surchare) और चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है ।

अत्यंत खेद का विषय है कि पूर्व की बकाया राशि के कारण कई गरीब उपभोक्ताओं को वर्तमान में ''125 यूनिट फ्री बिजली'' योजना के लाभ से वंचित रखा जा रहा है अथवा उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं इससे सरकार की जन–कल्याणकारी योजना का मूल्य उद्देश्य बाधित हो रहा है ।

यदि सरकार एक 'एकमुश्त समाधान योजना' (OTSS) लाकर पुराने बकाए पर चक्रवृद्धि ब्याज एवं अधिभार (Surchare) को पूर्णतः माफ कर देती है और मूल राशि को किस्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान करती है तो इससे न केवल लाखों गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी बल्कि सरकार का वर्षों से फंसा हुआ राजस्व (Revenue) भी वापस प्राप्त हो सकेगा।

अतः एक प्रभावी राहत योजना (Scheme) के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली माह जुलाई, 2025 से खपत से दी जा रही है । इस योजना का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही है । बकायेदार उपभोक्ताओं को बकाया की राशि उनके अनुरोध पर किश्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है । वर्तमान में बकाए के भुगतान हो, एकमुश्त समाधान योजना विचाराधीन नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अनिल जी, बोलिए । रोमित जी, आप बैठ जाइए ।

श्री अनिल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार ने 01 अगस्त, 2025 को यह योजना लाई है, इससे बिहार के सभी उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिला है लेकिन इसके कारण जिसके यहां ड्यूज है, साउथ और नार्थ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लगभग जहां भी, जिसके यहां ड्यूज है, उनके घरों की बिजली काट दी गई है, लोग आदि हो गए हैं महोदय, यह सत्यता है और इसके कारण जब वे लोग किसी तरह से बिजली को यह करते हैं तो उस पर भूतलक्षी प्रभाव से एक साल पीछे से उनपर चार्ज फ्रेम किया जाता है और इस तरह से साउथ और नार्थ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उपभोक्ताओं का शोषण कर रही है । इसलिए क्या मंत्री महोदय ऐसा कोई नियम या प्रभावी तरीके से लागू कराना चाहते हैं कि कैंप लगाकर ब्लॉक में, पहले भी आप कैंप कराते थे, कैंप लगाकर 15 दिन में हर ब्लॉक में जिनकी शिकायत है, वे शिकायत लेकर जाएं और वे करें और साथ ही साथ ओ0टी0एस0एस0 के

माध्यम से जो गरीब परिवार है, एक–एक व्यक्ति के ऊपर, एक–एक लाख रुपए तक का बिल है महोदय, जिसको देना बस में नहीं है और उसके कारण बिजली विभाग का कनेक्शन भी वहां नहीं हो पाता है । तो आज के दिनों में एक समय था कि आप पी0डी0एस0 के माध्यम से केरोसिन तेल देते थे, आज तो वह भी नहीं है, तो क्या उन घरों में रोशनी नहीं जले, क्या सरकार इस मामले में उन झोपड़ियों के अंदर भी बल्ब जले, इसके लिए कौन सी व्यवस्था करना चाहती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

टर्न–10 / पुलकित / 12.02.2026

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, किस्तों में भुगतान की सुविधा तो है लेकिन जो लोग बिजली जलाते हैं और बिल भुगतान नहीं करते हैं तो यह मुश्किल काम उसका माफ करना या कोई नियम बनाना ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें ।

श्री अनिल सिंह : सरकार से यही हम लोगों ने संज्ञान में सरकार के लाया है कि ओ0टी0एस0 के माध्यम से वो जिनके यहाँ ड्यूज है वो देने को भी तैयार हैं, ये एकमुश्त सेटलमेंट करके लें । लेकिन जो एक साल का सरचार्ज फ्रेम करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सब लोग मत बोलिये । माननीय सदस्य को सुनिए ।

श्री अनिल सिंह : उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं बताया । जो साउथ–नार्थ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी किसी के यहाँ रेड मारती है, तो वह एक साल भूतलक्षी प्रभाव से उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किए जाते हैं । सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया । मैं सरकार से यह जवाब चाहूंगा ।

अध्यक्ष : रोमित जी, आप भी पूछ लीजिए, एक ही बार जवाब हो जाएगा।

श्री रोमित कुमार : महोदय मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज कम से कम माफ कर दिया जाए । जिसके पास दो वक्त की रोटी नहीं है, मिट्टी का मकान है, जो एकदम गरीब तबका का है, उसके पास एक लाख रुपया देने का पैसा नहीं है। तो वो चाहे तो छोड़ देगा केस क्योंकि व्यर्थ जा रहा है और पुलिस तो उस पर केस भी कर रही है । उससे कोई फायदा सरकार को कुछ हो नहीं रहा है । किसी हालत में वो देने की स्थिति में नहीं है । मेरी सरकार से मांग है कम से कम चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर दिया जाए । मूल पैसा वो देने के लिए तैयार है, किश्तों में उसको कर दिया जाए ।

अध्यक्ष : श्री विनय बिहारी जी को भी सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

शांति से सुन लीजिये, इनका भी सुन लीजिये । एक बार जवाब दे दीजियेगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, जो माननीय सदस्य का जो ब्याज का सुझाव है, उस पर विचार करेंगे ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मैं वही बोल रहा हूँ कि बिजली उपभोक्ताओं के साथ इंसाफ होना चाहिए । उनके ब्याज का पैसा माफ होना चाहिए...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा अभी सरकार विचार करेगी । अब माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार अपनी सूचना को पढ़ें ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री ने कहा है, आप सबों की जो राय आई है कि जो ब्याज माफ करने के बारे में सरकार निश्चित तौर पर समीक्षा कर कार्रवाई करेगी ।

(व्यवधान)

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा उस पर माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, मैं उस पर माननीय मंत्री जी का जवाब चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, किसी के यहां रेड लगती है । अगर 500 यूनिट वह जला रहा है तो 12 गुना 500 मतलब 6000 यूनिट के चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। इस पर मैं माननीय मंत्री महोदय का आश्वासन चाहता हूं ।

अध्यक्ष : निश्चित रूप से सरकार सारी बातों को देखेगी, जो आपने सुझाव दिया है ।

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : अलग से लिख कर के दे दीजिएगा ।

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : महोदय, इसी संबंध में मेरा भी विषय है कि जो बिजली काटी जा रही है लेकिन लोगों को उसका एक प्रॉपर नोटिस ढंग से नहीं जा रहा है। अभी कहीं–कहीं घरों में बच्चों का एग्जामिनेशन भी हो रहा है जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। महोदय, उसके साथ में जिस तरह से जो फाइन लगाया जा रहा है उसपर मेरा आग्रह होगा क्योंकि 2017 में उस पर बात की गयी थी ।

अध्यक्ष : उसको सरकार देखेगी । संज्ञान में आ गया है, सरकार देखेगी ।

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : महोदय, वह 2017 में फाइन माफ किया गया था ।

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए । प्रमोद बाबू, अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री प्रमोद कुमार, कृष्ण कुमार ऋषि एवं अन्य इक्कीस सभासदों से प्राप्त <u>ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (योजना एवं विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।</u>

श्री प्रमोद कुमार : माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना को माननीय विधायक ऐच्छिक योजना के अनुसार क्षेत्र अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षणिक निबंधित संस्थान, खेल सामग्री विद्यालय, पुस्तकालय का निर्माण,

तोरण द्वार, पौराणिक मंदिर का सौंदर्यीकरण, विवाह भवन, हाई लाइट, दलित बस्ती के पहुँच पथ, छोटे पुल, ह्यूम पाईप पुल के लिए भूमि अधिग्रहण कर मिट्टी भराई, ईंटकरण, कुआं सफाई, सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन, जल संचयन योजना, पोखर सफाई, पर्यावरण, जन सुविधा आदि विकास के कार्य योजनाओं में सम्मिलित कर विकसित कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नौ परियोजनाएं सम्मिलित हैं मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में । 1. सामुदायिक भवन का निर्माण ।

2. सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण, सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय भवनों का निर्माण ।

3. स्टेडियम में जिम, खेल सामग्री एक लाख से कम की राशि के क्रय की योजना ।

4. मंदिर चहार दीवारी निर्माण (धार्मिक न्यास परिषद से पंजीकृत) ।

5. चिल्का, फॉल, चेक डैम, चेक वॉल का निर्माण ।

6. शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में उन गली/नली/संपर्क पथों का कार्य जो वर्तमान में किसी अन्य कार्यक्रम, मद योजना के तहत क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है ।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत पेयजल स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार ।

8. माननीय विधान मंडल सदस्यों की प्रतिवर्ष अनुमान्य राशि के अधिकतम 15 प्रतिशत राशि से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित अनुमान्य योजना की सूची से आच्छादित राज्य सरकार के सभी विभागों की योजना का जीर्णोद्धार एवं मरम्मती ।

9. छोटे पुल–पुलिया एवं कल्वर्ट के निर्माण की योजना शामिल है ।

सामाजिक शैक्षणिक निबंधन संस्था, खेल सामग्री विद्यालय, तोरण द्वार, पौराणिक मंदिर का सौंदर्यीकरण, विवाह भवन, हाई लाईट, ह्यूम पाइप पुल के लिए भूमि अधिग्रहण कर मिट्टी भराई, कुआं सफाई, सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन, जल संचय योजना, पोखर सफाई, पर्यावरण, जन सुविधा आदि विकास से संबंधित कार्य योजना शामिल करने का प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बताइये ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, एन0डी0ए0 सरकार है...

(व्यवधान)

सुनिए भाई, एन0डी0ए0 सरकार के हम सभी हैं और हमारे वरिष्ठ मान्यवर नेता हैं, आदरणीय हैं । महोदय, उत्तर प्रदेश में एन0डी0ए0 सरकार है,

मध्य प्रदेश में एन0डी0ए0 सरकार है, राजस्थान में है, दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र में और हिमाचल प्रदेश में है । महोदय, मेरे पास उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन है । अगर आपका आदेश होगा तो हम इसको पढ़ देंगे ।

महोदय, बगल के पड़ोसी राज्य हम ही लोगों से कटा हुआ झारखंड राज्य की यह महोदय पुस्तिका है । छत्तीसगढ़ की भी गाइडलाइन है हमारे पास, वहाँ के माननीय विधायक का दिया हुआ निबंधित विद्यालय का है ।

महोदय, अब मान लिया जाए कि डी0ए0वी0 स्कूल में हम गए और डी0ए0वी0 स्कूल में एक समारोह में हम विधायक हैं, हमसे उद्घाटन कराया गया, पुरस्कार वितरण कराया गया, और हमसे कह दिया गया कि विधायक जी एक पुस्तकालय बना दीजिए, एक चबूतरा बना दीजिए, एक शौचालय बना दीजिए विद्यालय में । महोदय, जिसके लिए बिहार सरकार ने अपनी जमीन देकर डी0ए0वी0 खुलवाया है, यही पटना में और इसी तरह समाज सेवी लोग अपना दान देकर मठ मंदिर की जमीन पर बहुत सारी संस्थाएं, हॉस्पीटल, स्कूल खुले हुए हैं । अब कोई नौजवान आया और कहता है कि आप चलिए क्रिकेट के खेल का उद्घाटन करने के लिए । हुजूर, हम विधायक हैं और हमसे उद्घाटन कराते हैं, हमें चीफ गेस्ट बनाया जाता है और कहते हैं कि एक बैट–बॉल के लिए अनुदान दे दीजिये तो हम टुकुर–टुकुर ताक रहे हैं । 4 करोड़ की राशि लेकर के भी हम टुकुर–टुकुर ताक रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, एन0डी0ए0 सरकार है और हम आपका संरक्षण चाहते हैं । सभी माननीय विधायक आपका संरक्षण चाहते हैं।

(व्यवधान)

महोदय, आप हम लोगों के संरक्षक हैं । हम लोगों के गार्जियन, अभिभावक हैं । विभिन्न राज्यों की गाइडलाइन का कागज हम फ्लोर पर रखते हैं । महोदय, विभिन्न राज्यों के गाइडलाइन मंगा ली जाए । अगर उस गाइडलाइन में देख लिया जाए क्योंकि एन0डी0ए0 सरकार का कहना है एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान और यह एक देश, एक निशान, एक प्रधान की बात हो रही है । एक इलेक्शन, एक नेशन, एक पेंशन, एक राशन और एक कार्ड की बात कर रहे हैं । अब बिहार इससे महोदय वंचित हो जाएगा तो यह घोर अन्याय की बात होगी ।

अध्यक्ष : वंचित नहीं होगा ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, यहां हमारे नेता हैं । हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं और स्टेट से गाइडलाइन मंगा ली जाए ।

अध्यक्ष : बिलकुल, माननीय मंत्री जी को दे दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, एक देश, एक निशान, एक प्रधान है । महोदय, हम हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं, हम लोगों के संरक्षक हैं।

(व्यवधान)

आप महोदय जो निर्णय लेंगे ।

अध्यक्ष : आपके हम कस्टोडियन हैं ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, सुन लीजिए । हम लोग कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य को सुन लीजिए । सरकार खड़ी हो रही है । सुन लीजिए, आपकी बात को कहना चाह रही है सरकार ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : प्रमोद बाबू, जब आप मंत्री बनते हैं तो सारी बातें भूल जाते हैं और जब मंत्री नहीं बनते हैं तो तरह–तरह की बात करते हैं, यह ठीक तरीका नहीं है । हम इसको दिखवायेंगे ।

टर्न–11 / हेमन्त / 12.02.2026

श्री प्रमोद कुमार : इस गाइडलाईन को देखा जाय। महोदय, एक पेड़ लगा दिये, लेकिन पेड़ की जाली नहीं लगा सके।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हां, वापस ले लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार : हमने वापस लिया। हम लोगों के संरक्षक है।

अध्यक्ष : बोलने में गलती हो गयी।

श्री प्रमोद कुमार : बोलने में गलती हो गयी। भाव वही है। महोदय, आप के ही माध्यम से...

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय का आश्वासन हो जाय कि विभिन्न राज्यों की गाइडलाईन मंगाकर देख लिया जाय। महोदय, अपने स्तर से देख लिया जाय।

अध्यक्ष : हां, बिल्कुल।

श्री कृष्ण कुमार जी।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, मेरा आपसे आग्रह होगा कि फरवरी में ही विधान सभा सत्र खत्म हो रहा है। मार्च, अप्रैल से शादी–विवाह का लगन शुरू हो जायेगा, तो हम लोग शादी–विवाह में जहां जायें विवाह भवन, सभी जगह सरकारी विवाह भवन नहीं बना है। गरीब आदमी बड़ा होटल बुक करके शादी–विवाह नहीं करता है। माननीय मंत्री महोदय हमारे गार्जियन है, आदेश दिया जाय कि विवाह भवन बनाओ, छोटा–छोटा पुल बनवाओ। महोदय, समय नजदीक आ रहा है। इसी आने वाले वित्तीय वर्ष में हो जायेगा, तो यही अपेक्षा रखते हैं मंत्री जी से।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने भी सारे राज्यों के संबंध में जो प्रमोद जी ने चर्चा की है, कहा है कि निश्चित तौर पर समीक्षा करके इन प्रस्तावों को लागू करने का प्रयास किया जायेगा।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे।

## शेष शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष : श्री अभिषेक रंजन जी, आपकी सूचना 83 शब्दों में है। भविष्य में 50 शब्दों के अंदर देंगे। पढ़िये।

श्री अभिषेक रंजन : अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग के पत्रांक 930, दिनांक 22.01.2026 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि M/S Goswami Security Service Pvt. Ltd. का लाइसेंस निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत रद्द किया जा चुका है तथा अवैध रूप से निजी सुरक्षा कारोबार करने पर दंडात्मक प्रावधान लागू है। इसके बावजूद संबंधित एजेंसी द्वारा बेतिया जीएमसीएच में कार्य जारी रखने की सूचना मिल रही है।

अतः सरकार से मांग है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दोषियों पर अविलंब कार्रवाई की जाये।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला अंतर्गत महिषी विधानसभा क्षेत्र के नौहट्टा प्रखंड कोसी बांध के अंदर डाहार से भेलाही (रामजी टोला) जाने वाली मुख्य सड़क में डरहार घाट पर बीच कोसी नदी में पुल निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री बशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड करगहर में बड़हरी सुदूर इलाका है, यहां डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण छात्राओं एवं छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है।

बड़हरी में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने हेतु सरकार से मांग करता हूं।

प्रो0 नागेन्द्र राउत : अध्यक्ष महोदय, सुरसंड विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर पंचायत, सुरसंड में तीन जलमीनार हैं, परंतु एक भी सुचारू रूप से चालू नहीं है। आने वाले जल संकट से निपटने के लिए तीनों जलमीनार को चालू कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं।

श्री रामानन्द मंडल : अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा विधान सभा अन्तर्गत राजकीय बुनियादी विद्यालय किरणपुर की स्थापना 1950 को हुई थी, विद्यालय महात्मा गांधी के वृद्धा योजना के तहत तालीम के नाम से जाना जाता है, भवन जर्जर हो गया। सरकार से उक्त भवन को नए सिरे से बनाने की मांग करता हूं।

श्री रोहित पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणी खंड एवं भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में जलजमाव की समस्या बनी हुई है। आम नागरिकों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः शीघ्र समुचित सीवरेज व्यवस्था एवं नाला निर्माण कार्य कराकर जलजमाव की समस्या का समाधान किया जाय।

श्रीमती छोटी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, छपरा विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा से गंभीर जलजमाव है। रिवीलगंज, फकुली, जमुना मठिया सहित कई गांवों में

धान की फसल नष्ट और गेहूं बुआई प्रभावित हुई है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। क्षेत्रों को कृषि आपदा घोषित कर शीघ्र मुआवजा व जल निकासी की व्यवस्था की जाए।

मो0 सरवर आलम : महोदय, राज्य के मदरसों में विगत 5–7 वर्षों से बहाली बंद होने के कारण सैंकड़ों मदरसे शिक्षक–विहीन हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 2022 में नियमावली जारी करने के बावजूद प्रक्रिया ठप्प है। माइनॉरिटी बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकते हुए सरकार अविलंब बहाली शुरू करने की कृपा करें।

श्री गुलाम सरवर : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत बायसी प्रखण्ड में प्राथमिक विद्यालय बद्दू टोला काजल में 471 बच्चे नामांकित हैं। विद्यालय में सिर्फ 3 कमरा है, रसोईघर, चहारदीवारी, शौचालय नहीं हैं। जिससे पठन–पाठन में काफी कठिनाई होती है। उक्त विद्यालय में 5 कमरा, शौचालय, चहारदीवारी की मांग करता हूं।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार राज्य के 1128 कोटि मदरसा एवं 531 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकोत्तर कर्मियों को पंचम वेतनमान 01.03.1989 एवं षष्टम वेतनमान 01.04.2007 से अंतर राशि देने का निर्णय लिया गया है तथा शिक्षा विभाग द्वारा आवंटन हेतु संचिका वित्त विभाग को भेजी गयी है।

अतः अंतर राशि भुगतान अविलंब हो इसकी मांग सरकार से करता हूं।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के मंझली गांव के कुम्हरा पोखरा के सौन्दर्यीकरण–सह–अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, बगहा विधान सभा अंतर्गत एन0एच–727 से कौलाची, सिक्टौलगढ़हिया, कोल्हूआ पकड़ी होते हुए मैरोगंज मेन रोड तक सड़क को चौड़ीकरण के साथ मजबूतीकरण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के केसरिया में स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहां स्थित केसरिया बौद्ध स्तूप की सुरक्षा हेतु स्थाई सुरक्षा कर्मियों की बहाली, परिसर की साफ–सफाई एवं रखरखाव के लिए स्टाफ की नियुक्ति तथा बेहतर प्रबंधन हेतु प्रवेश टिकट निर्धारित करने की सरकार से मांग करती हूं।

श्री नन्द किशोर राम : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत पिपरा चौक से जुड़ा पकड़ी पथ में त्रिवेणी नहर मुख्य कैनाल के सभी पतले पुलों तथा उप वितरणियों के पुल की चौड़ाई बहुत कम है जिसके कारण हमेशा भयानक दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

अतः सड़क के अनुरूप पुल बनवाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री समृद्ध वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सिकटा निर्वाचन क्षेत्र में भारत–नेपाल सीमा सड़क का निर्माण अधूरा होने और पूर्ण हो चुके हिस्सों के क्षतिग्रस्त होने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से, सरकार अविलंब सड़क का निर्माण पूर्ण कराए तथा क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत सुनिश्चित करे।

टर्न–12 / संगीता / 12.02.2026

श्री आनन्द मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला अंतर्गत बक्सर प्रखंड के कमरपुर पंचायत में करीब 150 एकड़ भूमि वर्षा के कारण लगभग पूरे साल जलमग्न रहती है, जिससे उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती । इससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है । जल निकासी की स्थायी समाधान हेतु मांग करता हूं ।

श्रीमती मनोरमा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेलागंज विधानसभा अंतर्गत बेलागंज प्रखंड में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण गरीब, दलित परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा की पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं ।

अतः मैं सरकार से बेलागंज प्रखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना करने की मांग सदन के माध्यम से करती हूं ।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार खेमका ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री राजेश कुमार मंडल ।

श्री राजेश कुमार मंडल उर्फ ईश्वर मंडल : अध्यक्ष महोदय, प्रथम बार सदन में बोलने का जो मौका दिया उसके लिए आभार । साथ ही, अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार का आभार प्रकट करता हूं । साथ ही, सभी माननीय का हार्दिक अभिनन्दन, चंदन–वंदन और उससे पहले मैं अपने ग्रामीण विधान सभा के सभी मतदाताओं जिनके मतदान फलस्वरूप मैं आज विधान सभा में खड़ा हूं, उनका हार्दिक अभिनन्दन, चंदन–वंदन और प्रणाम करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत मनीगाछी प्रखण्ड में आवासीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण अति पिछड़ा, पिछड़ा एवं महादलित परिवार की बालिकाएं अध्ययन से वंचित हो रही हैं ।

अतः मनीगाछी प्रखंड में आवासीय बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने की मांग करता हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड के गायघाट SH–54 तोरणद्वार से खीरवा बाजार, महनबा बाजार होते हुए NH–28 सेमरा तक सड़क क्षतिग्रस्त व संकीर्ण होने से दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

अतः जनहित में उक्त पथ को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करते हुए उच्चीकरण, चौड़ीकरण कर निर्माण करावें ।

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार कार्ड की बढ़ती उपयोगिता को लेकर नये कार्ड बनवाने, संशोधित कराने, जिसमें पता एवं मोबाईल नंबर सहित कई अन्य शामिल हैं, के लिए औरंगाबाद विधानसभा में भी पर्याप्त मात्रा में कर्मियों के साथ उससे संबंधित संसाधन सहित आधार केन्द्र संचालित कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–13 / यानपति / 12.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, आज जल संसाधन विभाग की अनुदान की मांग पर वाद–विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर देने के लिए भी समय दिया जायेगा :–

| | |
|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी | – 66 मिनट |
| जनता दल यूनाइटेड | – 63 मिनट |
| राष्ट्रीय जनता दल | – 18 मिनट |
| लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) | – 14 मिनट |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | – 04 मिनट |
| हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा | – 04 मिनट |
| ए0आई0एम0आई0एम0 | – 04 मिनट |
| राष्ट्रीय लोक मोर्चा | – 03 मिनट |
| सी0पी0आई0 (एम॰एल॰)(एल॰) | – 01 मिनट |
| सी0पी0आई0 (एम॰) | – 01 मिनट |
| बहुजन समाजवादी पार्टी | – 01 मिनट |
| इंडियन इंक्लूसिव पार्टी | – 01 मिनट |

.....

कुल– 180 मिनट

.....

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 7127,35,01,000 / –(सात हजार एक सौ सत्ताइस करोड़ पैंतीस लाख एक हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार, श्री मो0 कमरूल होदा, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री सतीश कुमार सिंह यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ये सभी व्यापक हैं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर

सकते हैं । माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार का प्रस्ताव प्रथम है अतएव माननीय सदस्य राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री राहुल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रुपये से घटाई जाय ।''

महोदय, बिहार में बाढ़ की विभीषिका और सुखाड़ दोनों हमलोगों ने हमेशा देखा है और अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले मैं दो लाईन भी बोलना चाहता हूं–

''हर साल बाढ़ का मंजर वही पुराना है,
तटबंध टूटा, गांव डूबा दर्द सयाना है,
खर्च हुआ करोड़ों नतीजा कहां है,
जनता पूछे यह बजट किस बात का बहाना है ।''

महोदय, हम जानते हैं कि जल संसाधन विभाग सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं है । यह हम सब के बिहार की जीवन रेखा है यह हम सब के नित्य दैनिक जन–जीवन की एक आधारशिला है । साथ ही, अगर विकास की बात हम करते हैं तो विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, जिसके बिना विकास की कोई भी बात करना बेमानी है । महोदय, जनता की अपेक्षा होती है कि उनके खेत में पानी पहुंचे और वह जो पानी पहुंचे उनके खेत में, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के सरकारी प्रावधानों के हिसाब से पहुंचे, लेकिन पानी महोदय पहुंच कहां रहा है । एक तरफ हमारा उत्तर बिहार जलमग्न रहता है तो दक्षिण बिहार सूखा में व्यस्त रहता है और इसमें अगर विभाग काम नहीं कर पा रही है, पिछले 21 वर्षों से आपकी सरकार है। आजादी के 79–80 साल हो गए हैं, इस 79–80 साल में एक तिहाई समय आपने इस राज्य में, 33 परसेंट इस राज्य में आपकी सरकार रही है तो आपको तो जवाब देना चाहिए कि एक तिहाई समय आपकी सरकार रही तो आपकी जवाबदेही कहां है ? महोदय, पानी पहुंचाने के लिए तटबंध मजबूत चाहिए । आपके सारे तटबंध चाहे किसी क्षेत्र में हों, चाहे दक्षिण बिहार की जमींदारी बांध के हों, उत्तर बिहार के तटबंध हों सारे तटबंधों की स्थिति खराब रहती है और नतीजा यह होता है कि जब पानी आता है तो पानी दोनों तरफ बहने लगता है । फसलों का नुकसान होता है तो आपने, जो उसके मेंटेनेंस में हैं कितने खर्च किए हैं कितने खर्च का प्रावधान है, यह विस्तृत रूप से बिहार की जनता को आपको बताना चाहिए । महोदय, जमींदारी बांध की बात करते हैं तो विगत 10 वर्षों से प्रॉपर मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ है जब जरूरत होता है दो–चार कि0मी0 में काम करके और खानापूर्ति करके काम बंद कर दिया जाता है । आपने इसका देखा होगा महोदय, पिछले वर्ष बाढ़ के समय में पानी आया, गया में भी

आया, जहानाबाद में भी आया, सकूराबाद हो, फल्गू का इलाका हो, सब जलमग्न हो गया, तटबंध टूट गए लेकिन विगत 15 वर्षों से तटबंध पर कोई भी काम नहीं हुआ था । तो पहले से कोसी में भी तटबंध टूटा, कोसी में तो हर साल, 2008 के बाद हमलोग देख रहे हैं, सरकार हर साल चुनाव में जाती है उसी तटबंध पर, विगत 11 वर्षों से तो आपकी दोनों जगह सरकार है । आप बार–बार कहते हैं कि नेपाल के चलते बिहार में बाढ़ की समस्या रहती है । 11 वर्षों से आपकी सरकार है, आपने कौन से काम किए । राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर नेपाल में आप बात क्यों नहीं कर सकते हैं कि आप जो भी व्यवस्था करनी हो, वह आपलोग क्यों नहीं करते । हमेशा, जो आपने सड़कें बनाई हैं तो महोदय मैं गलत नहीं कहूंगा, जो भी बिहार में सड़कें बनी हैं, जो भी उत्तर बिहार में जब बाढ़ आता तो सब आश्रय स्थल के रूप में तीन महीना के लिए तब्दील हो जाती हैं । यह बात अगर गलत है तो सरकार इस पर जवाब दे । महोदय, बाढ़ नियंत्रण के लिए बाढ़ नियंत्रण निस्सरण प्रमंडल भी बना है । उसमें सिर्फ खानापूर्ति हो रही है । महोदय, मैं जिस जगह से आता हूं, पिछले समय बाढ़ में पानी आया इनका प्रमंडल चूंकि हमारे यहां माइनर इरिगेशन का भी काम होता है, जल संसाधन का भी काम होता है, पानी भर गया, वह एरिया माइनर इरिगेशन में था आपका प्रमंडल काम करने से मना कर दिया । अब तो माइनर इरिगेशन के पास अलग से इसके प्रमंडल हैं नहीं यह काम तो आपको करना चाहिए । इसीलिए तो आपने अलग से ड्रेनेज के लिए प्रमंडल बनाया । तो क्या माइनर इरिगेशन बिहार सरकार से अलग है, इसपर भी उनको करना चाहिए नहीं तो उनको सुझाव लेना चाहिए कि अगली बार से माइनर इरिगेशन से भी जो क्षेत्र सिंचित होते हैं वहां भी बाढ़ की समस्या होगी तो जल संसाधन विभाग उसको देखेगा और करेगा । महोदय, हमलोग जानते हैं कि जहानाबाद हो, गया हो, मोरहर, बलदइया, फल्गू, दरधा हर जगह पर बाढ़ आ रही है और यह बाढ़ का एक मुख्य कारण है गाद की सफाई । महोदय, गाद जमा है, इधर की भी नदियों में गाद जमा है और उत्तर बिहार के नदियों में भी गाद जमा है और गाद की क्या समस्या है कि मुख्यमंत्री इस पर हमेशा बोलते रहते हैं लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है । विगत 6 वर्षों से मोरहर नदी में, दरधा नदी में गाद की सफाई की योजना बनी हुई है लेकिन अभीतक उसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई, काम नहीं हुआ तो इनको बताना चाहिए । क्या दक्षिण बिहार में यह काम नहीं करना चाहते हैं । महोदय साथ ही...

(व्यवधान)

नहीं–नहीं, आप नहीं कह सकते हैं, मंत्री बोलेंगे । मंत्री आपको नहीं बनाया गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोगों को भी समय मिलेगा । बैठ जाइये ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, गाद की सफाई में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये ।

श्री राहुल कुमार : आप देखते हैं नन साइंटिफिक तरीके से ये लोग काम करने की चेष्टा कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : आपको समय मिलेगा ।

श्री राहुल कुमार : जब भी गाद की सफाई हो तो साइंटिफिक तरीके से सफाई हो लेकिन यह काम नहीं हो रहा है । आप अलग–अलग कंपनियों को काम दे दे रहे हैं, अभी आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है पूरा का पूरा फल्गू का बालू उठाकर वह लोग लेकर चला गया, खनन विभाग को उसका लॉस हुआ, अनसाइंटिफिक तरीके से वो लेकर चले गए । उसका कारण हुआ कि जो तटबंध हैं भारथू के सामने, बाजिदपुर के सामने वह विभिन्न जगहों पर टूटे हैं तटबंध और भारी नुकसान हुआ । किसानों को कोई मुआवजा तक नहीं मिला । यही स्थिति सकूराबाद में भी रही तो यह इनकी दिक्कत हो रही है । महोदय, मोरहर नदी में सम्मत बीघा वियर, चैनपुरा वियर, सेंधवा वियर, नसरतपुर वियर आदि जो वियर बने हैं, बने हुए भी आज 15 साल हो गया । उनके बांध पर कोई काम नहीं किया गया उनसे निकलनेवाली जो वितरणियां हैं, उन वितरणियों का स्थिति खराब हो गया है । पानी जितना जाना चाहिए वह पानी नहीं जा पा रहा है । महोदय, तटबंध बनाने के नाम पर ये लोग जियो बैग का यूज करते हैं । महोदय, जियो बैग के बारे में कोई भी सदस्य यहां बैठे होंगे एक बार अगर उस पर जानवर चढ़ जाता है तो एक सीजन के बाद तो वह फट जाता है । महोदय, वह तो सिर्फ खाओ–पकाओ योजना बनकर रह गया है । अब बोल्डर पिचिंग का काम कीजिए, अन्य चीजों का आप यूज कर रहे हैं किसानों के लिए आप बोल्डर पिचिंग नहीं करा सकते हैं । तो आवश्यकतानुसार अलग–अलग जगहों पर खासकर के दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में बोल्डर पिचिंग का काम करना चाहिए, नदियां सूखी रहती हैं आज के समय में, काम विस्तृत रूप से हो सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं है । अब हम माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, हम उनके साथ भी थे, हम आलोचना नहीं करते हैं । 2011 में नीतीश कुमार जी का सभा हुआ जहानाबाद के सिकरिया में, नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि पंतित में वियर बनेगा । वियर बना भी, एक इंच पानी भी अभीतक नहीं गया है । 2015 में वियर बन गया, एक इंच पानी अभीतक उससे पटवन नहीं हुआ । हम गए थे हमने रिक्वेस्ट किया माननीय मंत्री जी

से भी रिक्वेस्ट किया, पदाधिकारी भी गए थे वहां पर खुद उन्होंने कहा कि नहीं ।

(क्रमशः)

टर्न–14 / मुकुल / 12.02.2026

क्रमशः

श्री राहुल कुमार : बराज बनना चाहिए, बराज बनने के बाद अरवल, जहानाबाद, पटना तीन जिलों में काम हो सकता है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य योजना इनकी नहीं बन पाई है महोदय, तो मैं चाहूंगा कि इस पर ये विस्तृत कार्य, कम से कम अपने मुख्यमंत्री की बात को तो रखें, 2011 की घोषणा है लेकिन आज तक नहीं पहुंचा है सिकरिया में मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई लेकिन आज तक नहीं हुआ तो इस पर आप क्या करना चाहते हैं ? महोदय, ये विस्तृत रूप से ये सिर्फ और सिर्फ एक पानी खेतों तक पहुंचाने की योजना नहीं रह गयी, इससे अनेक नदियां जिसमें ढारू नदी, मोरहर नदी, गंगहर नदी, दरधा नदी अनेक नदियां जो हैं वे पुनर्जीवित भी सकती हैं तो आप नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए ये कार्यक्रम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, इस पर भी आपको विशेष बात बतानी चाहिए । महोदय, हम जब भी बात कहते हैं, अब भाजपा के लोग यहां पर बैठे हैं पंतित भगवान विष्णु की वह जगह है जहां पर पहली बार बावन अवतार ने राजा बलि पर अपना पैर रखा था और वहीं पर मैं बराज बनाने की बात कर रहा हूं । महोदय, अगर आपके अंदर कार्य करने की चेष्टा है तो कम से कम उसको पर्यटन के रूप में भी उसको विकसित किया जा सकता है तो जब भी आप कॉस्ट बैनीफिट रेश्यो बनाएं तो उसमें उस चीज को भी सम्मिलित करें कि भाई उससे पर्यटन का भी विकास होगा तो उससे भी तो सरकार को आमदनी होगी, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाए । महोदय, सात निश्चत–3 पर ही यह पूरा बजट बना हुआ है । इनके सात निश्चय–3 में तीन, चार निश्चय जो हैं विस्तृत रूप से सिर्फ यह विभाग अगर ये काम कर ले तो किये जा सकते हैं इस विभाग में वह क्षमता है कि पलायन भी रोक सकता है, रोजगार भी बढ़ा सकता है और सबको सम्मान की जिंदगी जो हमारे बिहारी मजदूर महाराष्ट्र में और जो अन्य राज्यों में पीटे जाते हैं उसकी भी संभावना कम होगी और बिहार में उनको ये किया जा सकता है । महोदय, तिलइया ढाढर परियोजना....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप संक्षेप कीजिए, आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट । तिलइया ढाढर परियोजना आज तक लम्बित है महोदय, इस पर तो इनका कोई कार्य योजना नहीं आ रहा है, सिर्फ सरकार का हर खेत को पानी पहुंचाने का जो इनका है वह सिर्फ कागजों में रह जा रहा है । महोदय, इनको अपने सारे जो मेन कैनाल है, ब्रांच कैनाल है, डिसब्यूट्री कैनाल है इनको एक रिपोर्ट हर साल देनी चाहिए कि किस कैनाल

में कितना पानी गया, कितनी सिंचाई हुई और कितने प्रतिशत में सिंचाई हुई ताकि इसमें ये लोग काम करें । महोदय, एक विशेष आग्रह भी है कि ये कम से कम एक अधिनियम लाकर सिंचाई प्रबंधन, कृषकों की भागीदारी हेतु एक अधिनियम लाकर यहां पर ये करें ताकि जो किसानों की समस्या है उसको वे खुद सुलझा सकें । महोदय, अन्य विषय भी इसमें आने हैं लेकिन एक विशेष रूप से जानकारी मैं सरकार को देना चाहूंगा कि आज गिलोटिन में जो विभाग हैं सिविल विमानन विभाग का, वी0टी0सी0एल0एफ0 क्लब वन एयर का एक जहाज है, दसॉल्ट एवियेशन का दिनांक–05.06.2025 को कौन से पदाधिकारी उस प्लेन में आये थे.

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया आप अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री राहुल कुमार : और क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी आई0ए0एस0 ऑफिसर क्या चार्टेड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं ।

अध्यक्ष : श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

श्री राहुल कुमार : सरकार को इस पर जांच करके बताना चाहिए कि बिहार सरकार का एक पदाधिकारी जो है चार्टेड प्लेन में घूम रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप अब बैठ जाएं, आपका समय समाप्त हुआ । श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

श्री राहुल कुमार : और सरकार उस पर चुप बैठी है । महोदय, बस एक सेकंड, अंतिम है महोदय । महोदय, बीच में डिस्टर्ब भी किया गया था । महोदय, सरकार की, हम देखते हैं कि हमारे यहां जो सोन उच्च स्तरीय मुख्य नहर में से 268 में से फरीदपुर वितरणी एक निकलती है । महोदय, आज आजादी के इतने साल बाद तक उस वितरणी में आज तक नीचे पानी नहीं आया तो मैं आग्रह करूंगा कि सरकार उसको भी दिखवा ले, इन सारी चीजों पर विस्तृत रूप से ध्यान देना चाहिए ।

अध्यक्ष : श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग सहित अन्य की मांग के समर्थन में बोलने के लिख खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय,

''कुर्सी नहीं जिम्मेवारी का भार उठाया है,
जनता के हर भरोसे को दिल से निभाया है,
राजनीति हमारे लिए सिर्फ सत्ता नहीं,
सेवा का एक पवित्र रास्ता बनाया है ।''

अध्यक्ष महोदय, आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास एवं सबका साथ–सबका विकास और सबका विश्वास तथा सबके प्रयास के साथ काम करने वाली एक मजबूत सरकार काम कर रही है, जिसमें सभी वर्गों, सभी धर्मों के और सभी लोगों का कल्याण करने

वाली यह सरकार है। अध्यक्ष महोदय, आज बिहार में युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने वाली सरकार चल रही है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सड़क, पुल–पुलिया सभी क्षेत्रों में काफी काम हुआ है और अब साफ–साफ बिहार में बदलाव दिखाई दे रहा है । बिहार में एन0डी0ए0 सरकार से पहले का जो बिहार था उसमें क्या था, न सड़क की व्यवस्था ठीक थी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक थी, न शिक्षा की व्यवस्था ठीक थी, न विधि–व्यवस्था ठीक थी बिहार में सिर्फ लूट, हत्या, अपहरण । स्कूल था तो शिक्षक नहीं, अस्पताल था तो डॉक्टर नहीं, हमलोग मुजफ्फरपुर से आते हैं उस समय मुजफ्फरपुर से पटना आने के लिए हमलोगों को दिनभर लग जाता था लेकिन आज वातावरण बदला है । पहले जंगल राज लोग कहते थे, जंगल राज, उस जंगल राज से कम नहीं था, लेकिन आज न्याय के साथ विकास हो रहा है अध्यक्ष महोदय, लेकिन 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और मरहूम उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के कुशल नेतृत्व में काम करने का मौका मिला तो बिहार कितना बदल गया है जो बाहर के लोग पहले के बिहार को देखा था और आज के बिहार को देखता है तो उन्हें काफी आश्चर्य होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना चलाकर एवं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना चलाकर एवं सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलकर ग्रामीण इलाके के छात्र–छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रोत्साहित करने का काम किया है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी काफी बदलाव आया है । सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गये हैं जिससे प्रतिभावान बिहार के छात्र–छात्राओं को बाहर जाकर पढ़ने से रोकने का काम किया गया है, आज बिहार के किसी कोने से पांच घंटा में राजधानी में पहुंचते हैं लोग इस तरह की सड़क बनाई गयी है यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का संकल्प है जिसपर काम हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, हमलोग ग्रामीण इलाका कुढ़नी मुजफ्फरपुर से आते हैं और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुजफ्फरपुर कुढ़नी ही नहीं पूरे बिहार में ग्रामीण इलाके की सड़कों का हाल आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हुआ है । कल ही इस सदन में माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे माननीय सदस्यों को कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक की सड़क बनवाने का काम नहीं किया जा रहा है, सभी जगह सड़क बनवाने का काम हो रहा है । हर घर बिजली पहुंचाने का जो संकल्प था माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, हर घर बिजली पहुंचाया जा रहा है, पहले क्या हाल था हमलोग ग्रामीण इलाके से आते हैं । महोदय, जब मोबाइल का चार्ज कराना होता था तो लोग शहर में आते थे चार्ज कराने के लिए, लेकिन आज हर घर

बिजली पहुंच गया है और उस बिजली से भी हमारे विपक्ष के साथी को तकलीफ होती थी और लोगों में भ्रम फैलाते थे इतना बढ़िया बिजली व्यवस्था होने के बाद कि जब स्मार्ट मीटर लगा तो लोगों ने भ्रम फैलाया कि मीटर ज्यादा चलता है, बिल ज्यादा आता है, गरीबों का ज्यादा हक मारा जाता है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट बिजली ही फ्री कर दिया । इसीलिए मैं साथी सदस्य को बताना चाहता हूं कि बिहार के बदलाव को भी आपलोग देखिए । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह हमलोग गांव में घूमते थे, जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान जाते थे तो ग्रामीण इलाके के वृद्धजन, दिव्यांगजन किस तरह से कल्पते थे, कहते थे कि बवुआ 400 में काम न चलई झी, हम सभी लोग एक हजार रुपया की आशा रखते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों बैठे हैं, हमलोगों ने आग्रह किया था कि 1000 रुपया कम से कम किया जाए लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 100 रुपया और बढ़ाकर के 1100 रुपया बिहार के लोगों को पेंशन के रूप में देने का काम कर रहे हैं, यह है बिहार ।

क्रमशः

टर्न–15 / सुरज / 12.02.2026

(क्रमशः)

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पेंशन के साथ–साथ हमलोग आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से बिहार में बदलाव आया है । पेंशन ही नहीं और भी बिहार में जिस तरह से विकास हो रहा है, उसको पूरी दुनिया देख रही है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन सभी 6 तरह के लोगों को 11 सौ रुपया देने का काम किया है । विपक्ष के लोग बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर पर भी भ्रम फैलाते थे उसको भी खत्म करने का काम किया गया है । बिहार से व्यापारी और उद्योगपति बाहर चले गये थे, पलायन कर गये थे । जो यहां स्थिति थी 2005 से पहले हमलोग भी व्यापारी वर्ग से आते थे । बहुत सारे व्यापारी व्यापार बंद करके बिहार से बाहर दिल्ली और दूसरे जगह चले गये । लेकिन आज जो स्थिति बिहार की बनी है, यहां जो बिहार में सुशासन का राज जो कायम हुआ है इसकी वजह से उद्योगपति और व्यापारी भी यहां अपना व्यापार कर रहे हैं और उद्योग भी लगा रहे हैं । इससे हमारे बिहार के बच्चों को रोजगार भी मिल रहा है, युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और श्रमिकों को काम भी मिल रहा है । जीविका दीदीयों को लखपति बनाने का काम किया गया है । साथी लोग कहते हैं, 10 हजार का नाम आते ही उनके पेट में दर्द होने लगता है । मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चलाकर किस तरह से एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10 हजार रुपया दिया गया है और उससे हमारी बहन लोग छोटा–छोटा काम भी शुरू की हैं । सरकार का संकल्प है कि जो 10 हजार से काम शुरू किये हैं, उनको 2 लाख

रुपया अतिरिक्त और भी मदद करने की योजना बनी है और उनको मिलने वाला है । इस तरह से हम आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर महिला सशक्तिकरण की ओर हमलोग काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, हम पर्यटक की दृष्टिकोण से भी काफी काम कर रहे हैं। बिहार में पर्यटक भय के वातावरण में आना नहीं चाहते थे लेकिन आज पर्यटक लोग भी आ रहे हैं और पर्यटक के बहुत सारे केन्द्र भी खोले गये हैं उस पर भी बहुत सारा काम हो रहा है । आज हम जल संसाधन पर बोलने के लिये खड़ा हुये हैं । मैं बोलना चाहता हूं कि जल संसाधन मंत्री महोदय तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि इस सदन में सारे सदस्य बैठे रहते हैं, हम भी बैठे रहते हैं । कोई भी प्रश्न आता है तो न नहीं कहते हैं । सारे काम को या तो कहते हैं कि कर दिये हैं या हो रहा है । इस विभाग पर कटौती या किसी तरह की बात तो उठना ही नहीं चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न जिलों में प्रगति यात्रा के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा से संबंधित 50 अदद योजनाओं की घोषणा की गयी थी आज घोषणा पर काम हो रहा है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कहते हैं, वह करते हैं, वह हो भी रहा है । अध्यक्ष महोदय, उन 50 घोषणाओं में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के तहत सरकार द्वारा हर संभव माध्यम से, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का निश्चय किया गया है । संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में जल संसाधन विभाग के लिये चयनित 604 अदद योजनाओं से 119063 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के पुर्नस्थापन के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 597 अदद योजनाएं पूर्ण कर ली गयी है ।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में चयनित योजनाओं के अतिरिक्त 774 अदद योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनसे कुल 5.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के पुर्नस्थापन लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 756 अदद योजनाएं पूरी कर 5.23 लाख हेक्टेयर सिंचाई का काम पूर्ण किया जा रहा है । उसी तरह वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से राज्य में कुल संभावित सिंचाई क्षमता लाखों हेक्टेयर के विरूद्ध मार्च तक काम किया गया है । इसी तरह वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से खरीफ, रबी और गरमा के सिंचाई हेतु 28.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । 2025–26 में खरीफ सिंचाई के लिये 23.78 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है । नदी जोड़ योजना के तहत कोशी–मेची लिंक परियोजना के प्रथम भाग पूर्वी कोशी मुख्य नहर का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस परियोजना की कुल लागत राशि रुपया 82. 32 करोड़ है । कोशी–मेची लिंक परियोजना क्रियान्वयन से बाढ़ की विभीषिका

के सम्मन के साथ–साथ अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार जिले के 2. 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहार हमेशा देश के बाहर से आने वाली नदियों के बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित होता था लेकिन डबल इंजन की सरकार ने, केन्द्र और राज्य की सरकार ने मिलकर काफी काम किया है, जिसके कारण अब बाढ़ से काफी हद तक लोगों को निजात मिल रहा है, जिसके कारण राज्य को जान–माल की विभिषिका से बचाने के लिये सरकार काम कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार सभ्यता और संस्कृति के राज्य के रूप में जाना जाता है । जिसमें सिमरिया घाट बिहारवासियों के लिये काफी आस्था का केन्द्र है जहां से लोग पवित्र गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम, अशोक धाम एवं अन्य मंदिरों में जाकर भोले बाबा पर जलाभिषेक करते हैं, उसका भी जीर्णोद्धार किया गया है, उसके लिये भी काफी काम किये गये हैं । सिमरिया घाट धाम का सीढ़ी घाट निर्माण कराकर सौंदर्यीकरण किया गया है । उसी तरह आस्था का केन्द्र सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर के समीप गंगा नदी तट पर उत्तरवाहिनी धार में चैनल एवं सीढ़ी घाट बनवाया गया है, जिससे लाखों कांवरिया भाईयों को काफी सुविधा मिल रही है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज राज्य की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उस तरह से पहले हमलोग बिहार से बाहर जाते थे तो अपने आप को बहुत लज्जित महसूस करते थे । लेकिन आज बिहार से बाहर जाकर के अपने आप को बिहारी कहने में मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण विभाग द्वारा विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कराया गया है जैसे सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र, बिहार संग्रहालय, सरदार पटेल भवन, महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र, बोधगया, राज्य अतिथि गृह, बोधगया, बापू परीक्षा परिसर, पटना, बेतिया में वाल्मिकी नगर सभा, तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान केन्द्र संग्रहालय, दरभंगा तारामंडल, पटना का उन्नयीकरण, नियोजना भवन, गर्दनीबाग पटना में मंत्रिगण हेतु 20 डूप्लेक्स आवास...

अध्यक्ष : अब संक्षेप करें ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : चतुर्थ वर्गीय कर्मियों हेतु 432 टाइप ए आवास पदाधिकारियों को । इस तरह से बिहार की गरिमा को बढ़ाने के लिये, बिहार को भव्य बनाने की दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय लगातार काम कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुये इतना बताना चाहते हैं कि जब दुनिया बिहार देखने आयेगी तब

दुनिया बिहार को जानेगी । मैं इसके साथ धन्यवाद करता हूं । जय हिंद, जय बिहार ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राज कुमार राय ।

श्री राज कुमार राय : अध्ययक्ष महोदय, आज आप ने मुझे बजट सत्र 2026 के अवसर पर जल संसाधन विभाग के अनुदान की मांगों पर सरकार के पक्ष में बोलने का अवसर दिया । इसके लिये मैं आपका हृदय की अनंत गहराईयों से आभार प्रकट करता हूं तथा सदन के सर्वमान्य नेता और बिहार विकास के नायक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं दोनों उप मुख्यमंत्री तथा अपने विधान सभा हसनपुर क्षेत्र की महान जनता को कोटि–कोटि आभार व्यक्त करता हूं ।

(क्रमशः)

टर्न–16 / धिरेन्द्र / 12.02.2026

...क्रमशः....

श्री राज कुमार राय : महोदय, जिनकी असीम कृपा से मुझे तीसरी बार सदन में आने और अपनी बात रखने का अवसर प्रदान हुआ है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ ईच्छा शक्ति और महान कार्य कुशलता से पूरी दुनिया में बिहार विकास का नया मॉडल कायम हुआ और लोग सीना ठोक कर कहते हैं कि हाँ मैं बिहारी हूँ । जहाँ बिहारी कहलाना शर्म की बात होती थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी विभागों में समावेशी विकास के कारण अब बिहारी कहलाना शर्म नहीं, गर्व की बात है । महोदय, हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार जी की यह पंक्ति कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि–

कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता,
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों ।

महोदय, यह पंक्ति दृढ़ निश्चय, मेहनत और सकारात्मकता का प्रतीक है जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही साबित कर दिया है । महोदय, 20 वर्ष पहले बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, बिहार में लोग पहले भययुक्त समाज जीता था 20 वर्ष पहले लेकिन आज जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति के बल पर बिहार आगे बढ़ा है । महोदय, लोग त्राहिमाम थे । महोदय, आज मुझे जिस विभाग पर सदन में सरकार के पक्ष में बोलने का अवसर दिया गया है। महोदय, इस विभाग में सिर्फ खानापूर्ति की जाती थी । प्रतिवर्ष किसान बाढ़ और सुखाड़ के कारण दुःख और तथाकथित प्राकृतिक आपदा से त्रस्त रहते थे ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, जबसे बिहार में हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन से शासन पर बैठे, उस दिन से समस्याओं की नहीं बल्कि उनके कारणों का उपाय ढूंढकर बिहार को बाढ़ और सुखाड़ से लोगों को उबारने का सतत् प्रयास किया गया है ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न जिलों में प्रगति यात्रा के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा से संबंधित 50 योजनाओं की घोषणा की गयी । घोषित 50 अदद योजनाओं में से 46 अदद योजनाओं कुल राशि–9753.44 करोड़ का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें से 05 अदद कार्य पूर्ण कर लिया गया है । 38 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है । एक अदद कार्य निविदा एवं दो अदद कार्य एकरारनामा के प्रक्रियाधीन है ।

महोदय, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के तहत सरकार द्वारा हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने का निश्चय किया गया है । संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में जल संसाधन विभाग के लिए चयनित 604 योजनाओं में से 01 लाख 18 हजार 05 सौ 78 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है । राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में चयनित योजनाओं के अतिरिक्त 714 अदद योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है जिनसे कुल 5.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई पुनर्स्थापन कराया जा चुका है । सात निश्चय–3 के अंतर्गत वर्ष 2025–2030 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम आगे बढ़ाने हेतु योजनाओं का चयन प्रक्रियाधीन है जिसे चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जायेगा ।

महोदय, बिहार और झारखण्ड राज्य की संयुक्त परियोजना अंतर्गत बिहार भू–भाग के औरंगाबाद एवं गया जिले में उत्तर कोयल जलाशय योजना का अवशेष कार्य 1367.61 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है । योजना के कार्यान्वयन से बिहार राज्य के 38,801 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित की जा सकेगी । इससे बिहार राज्य में उत्तर कोयल जलाशय योजना की सिंचन क्षमता 56,720 हेक्टेयर से बढ़कर 95,521 हेक्टेयर हो जायेगी । इससे बिहार राज्य अंतर्गत औरंगाबाद जिले के 08 तथा गया जिले के 04 प्रखण्ड लाभान्वित होंगे । वर्तमान में योजना की प्रगति 16 प्रतिशत है । योजना को जून, 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है । पूर्वी गंडक नहर प्रणाली गंडक फेज–2 योजना के तहत अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का कार्य प्रगति में है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन की ओर मुखातिब हों ।

श्री राज कुमार राय : महोदय, इसके तहत कुल 1.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई सृजन का लक्ष्य है । महोदय, सम्प्रति 1,783.33 करोड़ रुपये की योजना प्रगति में है । योजना का लाभ मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले के कृषकों को प्राप्त

होगी। वर्तमान योजना की भौतिक प्रगति 29 प्रतिशत है । उत्तर बिहार के गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिला में 1.58 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन एवं 1.47 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन के उद्देश्य से 2061.82 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली, सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग ई॰आर॰एम॰ योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । वर्तमान में योजना की भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत है । योजनान्तर्गत अब तक 100.5 हजार हेक्टेयर का पुनर्स्थापन तथा 75.35 हजार हेक्टेयर का सृजन अब तक किया जा चुका है । महोदय, जल–जीवन–हरियाली योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की महत्वाकांक्षी गंगाजल आपूर्ति योजना के द्वितीय चरण में नवादा एवं बिहारशरीफ को गंगाजल उपलब्ध कराने हेतु 1110.27 करोड़ की राशि से मधुबन जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति में है । दक्षिणी बिहार के पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण इस शहर की बढ़ती जनसंख्या एवं भू–गर्भ जल के गिरती स्तर के कारण पर्याप्त जल की उपलब्धता की आवश्यकता थी । इस कमी को दूर करने हेतु मानसून अवधि में गंगा नदी से उद्‌वह कर अधिशेष जल को पाईप लाईन के माध्यम से जल शोधन के पश्चात् जल आपूर्ति का लक्ष्य है । इस योजना से शहरों में 2051 तक आंकलित जनसंख्या को प्रति व्यक्ति 135 लीटर प्रतिदिन के अनुसार जल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा । मधुबन जलाशय के निर्माण कार्य का प्रगति 8.0 प्रतिशत है । नदियों को जोड़ने की योजना एवं मृत नदियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य के तहत पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले में 130.89 करोड़ की लागत राशि से बागमती–बुढ़ी गंडक, बेलवाधार नदी जोड़ योजना समस्तीपुर जिला में 120.96 करोड़ रुपये की लागत से बागमती नदी–बुढ़ी गंडक नदी को जोड़ने की शांतिधार योजना एवं गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिले में.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास दो मिनट का वक्त है । अपने क्षेत्र की भी समस्या इसी में रखें ।

श्री राज कुमार राय : महोदय, 69.89 करोड़ रुपये की लागत राशि आकलन की गई है । महोदय, वर्ष 2005 से पहले बिहार में बाढ़ की त्राहिमाम थी, उससे हमलोगों का इलाका, बाढ़ इलाका है,

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति रखें ।

श्री राज कुमार राय : महोदय, बाढ़ इलाके में जबसे माननीय मुख्यमंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी की असीम कृपा से कार्य कुशल, आज उत्तर बिहार में बाढ़ से मुक्ति मिली है । जहाँ हमलोगों का हसनपुर विधान सभा है वहां प्रतिवर्ष बाढ़ आया करता था और जबसे मुख्यमंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी की असीम कृपा से उस इलाके के जो भी करेह नदी, दर्जिया–फुहिया बांध, बुढ़ी गंडक बांध, कोशी बांध, उन सभी को समुचित ढंग से उन्होंने ऊंचीकरण और

मजबूतीकरण किया है, जिससे उस इलाके में बाढ़ से निजात मिली है । महोदय, आज जो हमलोग देख रहे हैं, यहां हमलोग कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है जो दर्जिया–फुहिया बांध था, उस समय उन्होंने घोषणा की थी, उसको पूरा करने वाले जल संसाधन मंत्री आज सदन में बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की असीम कृपा से आज उत्तर बिहार का जो हम देख रहे हैं दर्जिया–फुहिया बांध, इन्होंने बनाकर उस इलाके को बाढ़ से निजात दिलाया । आज वहां के हजारों लोगों को जो सुख–सुविधा मिली है....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री राज कुमार राय : महोदय, प्रतिवर्ष वहां बाढ़ आया करता था और खतरा से खाली नहीं था । वहां पर माननीय हमारे नेता बैठे हुए हैं,

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो गया है ।

श्री राज कुमार राय : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए वहां 12 स्पैन की स्लूईस गेट बनाकर उस इलाके को बाढ़ से मुक्ति दिलायी है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री राज कुमार राय : महोदय, एक मिनट । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मात्र एक मिनट में, अपने नेता के सामने अपने इलाके की कुछ मांग रखना चाहता हूँ। बैठे हुए हैं हमारे जल संसाधन मंत्री जी, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि आपने तो इस इलाके में अच्छे से काम किये हैं और.....

...क्रमशः....

टर्न–17 / अंजली / 12.02.2026

(क्रमशः)

श्री राज कुमार राय : महोदय, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन होगा सदन के माध्यम से और उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से, वहां करेह नदी के दोनों तटबंध लगभग 70 किलोमीटर पूर्वी तटबंध जो दर्जिया, फूहिया से सिरनियाँ तक है और हायाघाट से लेकर करांचीन खगड़िया तक जाती है । महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप दोनों तटबंध को ऊपरी भाग में...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं माननीय सदस्य ।,

श्री राज कुमार राय : पक्कीकरण कराने से उस इलाके के हजारों ग्रामीण लोगों को लाभ मिलेगा, यातायात बहाल होगा, धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री आबिदुर रहमान । माननीय सदस्य, आपके पास 4 मिनट का वक्त है ।

श्री आबिदुर रहमान : सभापति महोदय,

उपाध्यक्ष : उपाध्यक्ष महोदय कहिए ।

श्री आबिदुर रहमान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमें कहना यह है कि भीम नगर बांध जो नॉर्थ बिहार को जोड़ने वाला बांध है, आज वह प्यासा है, उसके पास पानी नहीं है, जो अपनी प्यास को बुझा सके । उसी तरह से नॉर्थ बिहार में चाहे अररिया हो, पूर्णियां हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, इसी तरह से सारी बांधे प्यासी हैं और सारी नदियां, नाला पटवन के लिए कहीं भी एक बूंद पानी नहीं है, उसके लिए एफिडेविट करके भी मैं देता हूं, जलालगढ़ वितरणी, कस्बा वितरणी हो और उसी तरह से हमारा 1987 में जो नहर टूटा, कई बार हमने हाउस में लिखकर दिया, आज तक वह नहीं बना और उसके बाद वह बांध महिसाकोल–झमटा के बीच में है, वर्ष 1987 से अब तक इतना लंबा अवधि हो चुका है, तीन बार हम लिखकर दिए हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और जो भी बांध जहां भी है, हमारे यहां जो भी नहर की सफाई हुई, आज तक उसमें पानी का कहीं कोई उपाय नहीं है और जो भी लोग खेती करते हैं, खेती के बाद कोई भी असर उसका कहीं कुछ नहीं है और कोसी बैराज का जहां–जहां मकान है, एक–एक मकान की एक–एक ईंट पब्लिक के द्वारा उखाड़कर लेकर चला गया, कई बार हमने हाउस में लिखकर दिया, चाहे वह ईंटा हो, मकान हो, चौखट हो, खिड़की हो, किबाड़ हो, उसी तरह से चंदरदय में यार्ड बना हुआ है उसका भी सारा उसी तरह से हाल है । अररिया में कोई भी अफसर नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को छोड़कर के कहीं कोई अफसर नहीं है, वहां भी सारा ईंटा, मकान, चौखट, किबाड़, खिड़की खोलकर लेकर चला गया है । उसका कोई निगेहबान नहीं है । उतना ही नहीं, हमारे यहां तीन–चार बार फ्लड, चार साल से हम कंटीन्यू लिखकर दे रहे हैं, बेलवा पंचायत में 9, 10, 11 एवं 12 के हर बार लोग विलीन खेती करके आते हैं, सारा खेती उड़कर चला जाता है, जिस तरह अपना बच्चा को जन्म देकर जन्म से मर जाने के तरह लोग जीवनयापन करते हैं । लोग जो भी फसल करते हैं उस फसल की तरह लोग तमाम तरस करके रह जाते हैं । इतना ही नहीं बेलवा और कई जगह ऐसे हैं जहां सिंचाई के बगैर कहीं एक बूंद पानी भी नहीं है और जो लोग कह रहे हैं, चाहे जो भी एफिडेविट करके दे रहे हैं, जाल के वितरणी में, एक वितरणी में सिर्फ पानी है उसका लिंक में कहीं कोई पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सारा नहर, वितरणी सब अपने प्यासा, भूखा मर रहा है, उसकी उच्च स्तर से जांच करवा कर देख लें, इससे आम सिंचाई से लोगों को फायदा होगा और आने वाला समय में किसान की कमर में ताकत होगी और फसल लेकर अपने घर आ सकें । इतना ही नहीं, जब बाढ़ आती है, तो लोग तीन महीने तक अपने बांध पर रोड के किनारे रहते हैं, इस बाढ़ में लोग परेशान रहते हैं, परेशानी से लोगों को निजात मिल सकें, उसी तरह से हमेशा पनार नदी में दोनों साइड में बाढ़, रिंग बांध की जरूरत थी, कई बार सरकार आश्वासन देती है, आज तक इस पर

कोई विचार नहीं हुआ, आज तक बांध का कोई सवाल नहीं है और इस बांध से लगभग हजारों हेक्टेयर जमीन लोगों की बर्बाद हो रही है, बर्बादी से लोगों को निजात मिले । इसको देखा जाए, हमारे मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी बैठे हुए हैं, इस पर विचार किया जाए, जहां भी सिंचाई विभाग का अपना–अपना मकान है, उस मकान की सारी ईंट उखाड़कर चला गया, कहीं कोई सुनने वाला नहीं, न कोई देखने वाला है और हमारे नॉर्थ बिहार में जहां भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, ताकि लोग नहर को...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है । कृपया आप आसन ग्रहण करें ।

श्री आबिदुर रहमान : नहर पर लोग चल रहे हैं और जितने भी छोटे–छोटे कैनाल हैं, सब को जोतकर जमीन की तरह बराबर कर दिया है, उसमें कहीं कोई सिंचाई नहीं हो रही है ।

उपाध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाएं ।

श्री आबिदुर रहमान : अपनी बातों को विराम देता हूं । जय हिंद, जय भारत ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी । आपके पास 5 मिनट का वक्त है ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : उपाध्यक्ष महोदय, आज जल संसाधन विभाग के अनुदान के पक्ष में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । साथ ही, मैं जननेता हम सबों के प्रेरणास्रोत एवं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को सादर नमन करता हूं । साथ ही साथ, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, साथ ही, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष–सह–केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के प्रति भी मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं तथा एन0डी0ए0 के समस्त शीर्ष नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं । विशेष रूप से मैं अपने चेनारी विधान सभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं का हृद्य से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आशीर्वाद रूपी मत के कारण मुझे आज इस सदन में अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ है ।

महोदय, मैं बाबा गुप्तेश्वर नाथ एवं बाबा रोहितेश्वर धाम की पावन भूमि से आता हूं, मैं बाबा गुप्तेश्वर नाथ एवं बाबा रोहितेश्वर जी को प्रणाम करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं, चेनारी विधान सभा क्षेत्र के साथ–साथ बिहार का और विकास हो और बिहार जल्द से जल्द विकसित राज्य की श्रेणी में पहुंचे । मैं संत शिरोमणि गुरू रविदास जी एवं संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा डॉ भीम राव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा ।

महोदय, जल संसाधन विभाग द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रगति यात्रा निकली थी, सभी जिलों में लगभग हजारों–करोड़ों योजनाओं

का सौगात उन्होंने दिया । आज लगभग 90 परसेंट कार्य पूर्ण की स्थिति में है । महोदय, आत्मनिर्भर बिहार की सात निश्चय–2 के तहत सरकार द्वारा हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का निश्चय लिया गया है । महोदय, सात निश्चय–3 के अंतर्गत 2025 से 2030 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम आगे बढ़ाने हेतु योजनाओं का चयन प्रक्रियाधीन है, अभी हमारे कई सहयोगी, कई साथी कह रहे थे कि हमारे यहां बाढ़ है, यह है और इनसे हम आग्रह करेंगे कि इस तरह की योजनाएं अपने जिले को सुपुर्द करें, माननीय मंत्री जी से मिलकर दें ताकि आने वाले समय में उनके हर खेत की जो सिंचाई की व्यवस्था है वह सफल हो सके । राज्य के कई जिलों में करोड़ों की लागत से नहर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग का कार्य कराया जा रहा है । महोदय, बिहार में कई बड़े–बड़े जलाशयों का निर्माण कराया जा रहा है, जिस योजना के अंतर्गत हजारों हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित की जा सकेगी । इस तरह की कइ परियोजनाएं पूरे बिहार में चल रही हैं । राज्य के कई जिलों में पंप हाउस एवं लिंक नहर का निर्माण कार्य करोड़ों की लागत से पूर्ण किया जा रहा है । इस तर्ज पर रोहतास एवं नौहट्टा प्रखंड के कृषि योग्य भूमि के लिए भी पंप हाउस एवं लिंक नहर का निर्माण कराने की मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । राज्य के कई जिलों में करोड़ों की लागत से नहर प्रणाली अंतर्गत पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य कराया जा रहा है । जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत राज्य के कई हिस्सों में नदी के उपलब्ध सतही जल का उपयोग करते हुए करोड़ों की लागत से पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति में है । महोदय, राज्य के नदियों के किनारे निर्मित बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों तथा विभिन्न नदियों के किनारे गांवों एवं शहरों की सुरक्षा हेतु बाढ़, 2026 के पूर्व कराए जाने वाली कई कटाव निरोधक तथा बाढ़ सुरक्षात्मक योजना प्रक्रिया में है । इन योजनाओं को पूर्ण हो जाने से आगामी संभावित बाढ़ एवं कटाव जल–जमाव की सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी । मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में भी रखना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

रहती है भाई ।

उपाध्यक्ष : मात्र डेढ़ मिनट का वक्त आपके पास है । अपनी समस्या रखें ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : महोदय, मैं सामाजिक समरसता के द्योतक सनातन के उच्च आदर्शों के प्रतिपालक यशस्वी सत्यवादी हरिशचंद्र के पुत्र राजाधिराज रोहित के पवित्र स्थल रोहतासगढ़ के प्रतिनिधित्व करता हूं । महोदय, सर्वविदित है कि हमारे यहां हृदय तल में बसने वाली रोहतासगढ़ के वन–बंधुओं की समस्या अनेकों हैं । रोहतासगढ़ के पास बसने वाले वन–बंधुओं तथा अन्य लोग आज भी बेहतर सिंचाई सुविधा के लिए वंचित हैं । आज विनम्र भाव से इस सदन में

इन लोगों के मौलिक अधिकार के वास्ते याचना करता हूं कि इनके विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाए ।

मारे नेता चिराग पासवान जी का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन का जो मूल मंत्र है, हमारे बाबा साहब भीम राव अंबेडकर की परिकल्पना थी कि वंचित लोग और क्षेत्र का विकास समानता पूर्वक हो और भेदभाव न हो । लेकिन हमारे चेनारी विधान सभा का पूरा भाग विकास के हर पैमाने से काफी दूर होता चला गया है । महोदय, इस क्षेत्र की वेदना का इजाफा करता है । आज सरकार को अनुकूल रूप से अपने संवेदनशीलता का निर्वहन करने की जरूरत है । महोदय, मुझे और हमारी जनता को गर्व है कि चेनारी विधान सभा का प्रतिनिधित्व सामाजिक न्याय के पुरोधा दलित, आदिवासी, पिछड़े, सवर्ण, अल्पसंख्यक तथा ट्रांसजेंडरों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांत वर्तमान में संचालित है । जिस पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) है । महोदय, रिहंद जलाशय से होकर आने वाली सोन नहर, नौहट्टा, रोहतास, तिलौथु तथा डेहरी अंचल से होकर गुजरती है ।

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं । अपना आसन ग्रहण करें ।

टर्न–18 / पुलकित / 12.02.2026

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : महोदय, सर्वविदित है कि...

उपाध्यक्ष : आपका समय पूरा हो गया है ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : महोदय, एक मिनट दिया जाए । सोन नदी का जो पानी है वह पूरे 10 जिलों को मिलता है लेकिन जिन एरिया से यह नदी गुजरती है, जहाँ से जल जमाव यहाँ होता है– डेहरी, तिलौथु और रोहतास, नौहट्टा । इन क्षेत्रों को पानी नहीं मिल पाता है । मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इन जगहों पर भी सिंचाई की व्यवस्था के लिए किसी भी तरह की उच्चस्तरीय पाइपलाइन की व्यवस्था करके या सिंचाई की कोई भी व्यवस्था वहां दी जाए ।

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : महोदय, एक मेरे यहाँ कदवन जलाशय की बहुप्रतीक्षित परियोजना थी जो कि आज पाइपलाइन में है महोदय..

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं । अपना आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री मो0 तौसीफ आलम । आपके पास में चार मिनट का वक्त है ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन विभाग के खिलाफ और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026–27 के बिहार बजट में जल संसाधन विभाग के लिए 127 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

महोदय, वर्तमान सरकार 20 वर्ष से बाढ़ से बचाव और कटाव विरोधी कार्य कराने में विफल रही है तथा सरकार अब तक बाढ़ जैसी भीषण आपदा से बचाव के लिए सेटेलाइट पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है ।

महोदय, बिहार की मुख्य चुनौती बाढ़ की समस्या, कटाव की समस्या, सुखाड़ की समस्या है । इसके निदान के लिए सरकार ने पूरे संसाधनों को बर्बाद कर दिया है । फ्लड फाइटिंग के नाम पर पूरे तौर पर जल संसाधन विभाग के पैसों की व्यापक पैमाने पर लूट हुई है । यह सरकार कोसी जल प्रलय से भी सीख नहीं ले पाई है । कोसी जल प्रलय जिसमें हजारों–हजार लोग मारे गए, हजारों–हजार एकड़ की जमीन बर्बाद हो गई ।

महोदय किशनगंज जिला, कनकई नदी, महानंदा, मेची तथा बूढ़ी कनकई नदी में नेपाल से आने वाले पानी के कारण प्रभावित होता है । खासकर टेढ़ागाछ, दिघलबैंक तथा बहादुरगंज, कोचाधामन एवं कई इलाका, जैसे बायसी विधानसभा है, जैसे अमौर विधानसभा है, जैसे कोचाधामन विधानसभा है ।

महोदय मैं कुछ क्षेत्रों को गिनाना चाहता हूँ, जैसे हमारे बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत, बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत, पंचायत महेशभतना– पहटगांव जो आधा गाँव नदी में कटकर चला गया है । खारी टोला, केकाहाट– ये तीन गाँव महेशभतना पंचायत में कटकर नदी में चले गये हैं । लौचा पंचायत– सतमेरी गाँव, बोचागारी गाँव, युनूस टोला लौचा गाँव । उसके बाद बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत निशन्द्रा पंचायत में– खारी बसती, मुसलडंगा, कब्रिस्तान, मुसलडंगा गाँव, निशन्द्रा घाट ये सभी गांव पूरे कटाव में है ।

यही बहादुरगंज प्रखंड, मोहम्मद नगर पंचायत अंतर्गत– मोमीन टोला, जानकी भिट्टा । इसी तरह से दिघलबैंक प्रखंड में पथरघट्टी पंचायत अंतर्गत– ग्वालटोली, कमरखोद गोवाबाड़ी, पथरघट्टी बालूबाड़ी और एक पथरघट्टी कचना गाँव है, जो पूरा गाँव का गाँव कट कर नदी में विलीन हो गया है । आज तक वह गाँव रोड पर है ।

टेरागाछ प्रखंड अंतर्गत मटियारी पंचायत– मटियारी गाँव, मटियारी हाट, झासा धापर टोला, उसके बाद सुहीया हाट मस्जिद के निकट पूरा कटाव में है । झुनकी, डाकपोखर ।

इसी तरह से कोचाधामन प्रखंड में नदियों से पूरा कटाव में है। जिस तरह से महानंदा नदी है– पिछला पंचायत, बेलग पंचायत, दौला पंचायत, बगलबारी पंचायत, महिनगाँव पंचायत– ये सभी कोचाधामन विधान सभा में आता है । इसी तरह से बलरामपुर विधान सभा का कटाव में है– चेचौरा गाँव, कस्बा टोली, नेजरा बाड़ी, कुचिया मोड़, टेगरापाड़ा गांव, अदमपुर धनारा, सिरपटोल गांव ।

इसी तरह से बायसी विधान सभा में ताराबाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 में बहुत ही तेजी से बरसात से नदी का कटाव हो रहा है । खासकर हरिणतोड़ पंचायत के माला हरिणतोड़ गाँव, पहाड़िया गाँव में नदी कटाव हो रहा है । तीसरा असजा मोब्बेया पंचायत के चनकी, बेलबारी एवं कई गाँव ऐसे हैं जो इस विधान सभा में पूरा कटाव में है ।

महोदय, खासकर सीमांचल में जितनी भी नदिया हैं । सारी नदियों से बरसात के समय में पूरा कटाव होता है । महोदय, मैं चाहूंगा कि 20 वर्षों से जो ये जियो–टैगिंग का काम होता है, मैं चाहूंगा कि इसका बोल्डर पिचिंग अगर करा दिया जाए तो हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय खत्म हो गया । अब आप बैठ जाएं ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : महोदय, हमेशा ये जो बांस काट करके जिओ–टैगिंग से हम लोगों के यहां हर साल काम कराया जाता है । लेकिन सिर्फ खानापूर्ति होती है। महोदय, पदाधिकारी की ओर बंदर–बांट हो जाता है इसे समझिये । अगर बोल्डर पिचिंग हो जाए तो हमेशा के लिए झमेला खत्म हो जाएगा । हम लोग दो महीने तक बाढ़ में फंसे हुए रहते हैं । खासकर बहादुरगंज विधानसभा में आप जाएंगे, बहादुरगंज प्रखंड में महेशभतना गाँव डूबा हुआ रहता है, दो महीना डूबा हुआ रहता है । यह सोचने वाली बात है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : महोदय मैं मंत्री जी भी यहीं हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप जिओ–टैगिंग नहीं करके आप बोल्डर पिचिंग का काम कराइये, हमेशा के लिए समाधान निकल जाएगा । माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी वर्ष 2013 में हमारी शादी में गए थे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ । लेकिन मैं कहूंगा कि जल संसाधन में बहुत ही पिछड़ा हुआ हमारा इलाका है, कोसी, सीमांचल है । मैं चाहूंगा कि...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी । आप अपना पक्ष रखें । गागर में सागर भर दीजिए । आपके पास एक मिनट का वक्त है ।

श्री संदीप सौरभ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को प्रस्ताव है उसमें हम सच्चाई को एक शेर के माध्यम से कहेंगे कि–

'' नहरें सूखी, योजना डूबी, कागज पर बहती धार,
हर जवाब में 2005, यही एन0डी0ए0 सरकार ।।''

महोदय, कदवन जलाशय, जल संसाधन की बात चल रही है, तीन–चार दशकों से कदवन जलाशय की मांग चल रही है । शाहाबाद, मगध और पाटलिपुत्र का जो इलाका है, जिसे हम लोग धान का कटोरा कहते हैं, वर्तमान में सोन नहरों से लगभग 9 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो रही है ।

कदवन जलाशय अगर बन जाए, तो यह 18 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई तक मामला चला जाएगा । इसके चलते जो समस्याएं आ रही हैं, मैं अपने क्षेत्र पालीगंज विधानसभा की बात करूंगा । पालीगंज विधानसभा में सोन नहर की दो नहरें– 9 नंबर नहर, 10 नंबर नहर और एक डोरवा लाइन– तीन नहरें वहां से चलती हैं । लेकिन स्थिति यह बनी हुई है कि किसी भी नहर में अंतिम छोर तक पानी कभी पहुँचता ही नहीं है । शुरुआत में एक–चौथाई जगह तक पानी पहुँचता है, उसके बाद कोई पानी नहीं पहुँच रहा है। महोदय, 25 साल बाद 2023 में उन नहरों की पहली बार उड़ाही हुई, 25 साल तक मामला रुका हुआ था । 2023 में उड़ाही होती है और 2026 तक आते–आते वह पूरी नहर दोबारा से भर जाती है, गाद वहां जम जाती है । सरकार से हम मांग करेंगे कि उन नहरों का जल्द से जल्द सरकार पक्कीकरण कराए ताकि उस इलाके में किसानों को सिंचाई का माध्यम मिल सके ।

महोदय, दूसरा मुद्दा है कि....

उपाध्यक्ष : अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, एक मिनट दिया जाए, हम अपने क्षेत्र का मामला रख रहे हैं । कनपा से लेकर महाबलीपुर तक सोन नहर की जो मेन लाइन है उस पर जल संसाधन के पुल बने हुए हैं । लेकिन दिन–रात उन पुलों पर अवैध बालू के ट्रक का आवागमन हो रहा है जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है । इस संबंध में कई बार हम प्रयास किए, कार्यपालक अभियंता ने सोन नहर प्रमंडल को लिखा, अधीक्षण अभियंता को लेटर लिखा, अधीक्षण अभियंता ने मुख्य अभियंता को लिखा और पिछले दो–ढाई सालों से यह सब चल रहा है और उस पर बालू का आवागमन कंटीन्यूअस जारी है। उस पर बैरिकेडिंग लगाने की मांग हम लोग कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, आधा मिनट और समय दे दीजिए । इसके अलावा पालीगंज में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनका जबरदस्त तरीके से नदियों से कटाव ग्रस्त हैं। समदा गाँव है जहाँ पर अभी पुल बन रहा है, समदा गाँव में जबरदस्त कटाव वहां पर पुनपुन नदी से हो रहा है ।

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं ।

श्री संदीप सौरभ : गौसगंज कब्रिस्तान के पास कटाव है । चिकसी नट टोला में कटाव है, देवरिया में और दुल्हिन बाजार के डुमरी गाँव में लगातार कटाव हो रहा है वहां कटाव रोधक कार्य सरकार द्वारा कराया जाए ।

टर्न–19 / हेमन्त / 12.02.2026

उपाध्यक्ष : श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी। आपके पास एक मिनट का वक्त है।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। महोदय, कैमूर जिला में 2018–19 में 92 करोड़ की लागत से लगभग 42 किलोमीटर तक फैली कर्मनाशा मुख्य नहर का पक्कीकरण दो साल में होना था, लेकिन सात साल बीत जाने के बाद काम आधा भी पूरा नहीं हुआ। जो काम हुआ, उसमें भी दरारें पड़ गयी। इसके बावजूद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदारों को आधी राशि का भुगतान कर दिया। महोदय, जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रूपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गये, लेकिन अभी तक दोषियों पर जांच करके कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करते हुए, काम को पूर्ण कराया जाए। साथ ही, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आने वाली गरहाचोबे नहर, करागर राजवाहा का पक्कीकरण नहीं होने से सिंचाई के समय पानी अंतिम टेल तक नहीं पहुंच पाता है। महोदय, इसके अलावा नहर टूटने से हर साल किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उक्त नहर का पक्कीकरण कराने का भी काम करें। महोदय, दुर्गावती प्रखंड के लरमा पंप कैनाल और विश्वकर्मा पंप कैनाल की मोटर और पंखी बहुत पुरानी हो चुकी है। सिंचाई के समय हमेशा बैठ जाती है।

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जायें।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, 10 सेकेंड। दोनों पंप कैनाल की मोटर एवं पंखी बदलने का मैं अनुरोध करता हूं। साथ ही, हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जमुनिया गंगाजल उद्भव योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 24 सितंबर 2025 में हुआ था, लेकिन पांच महीने...

उपाध्यक्ष : अब आप आसन ग्रहण करें।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, बस पांच सेकंड। पांच महीने होने के बाद भी अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जायें।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : उत्तरप्रदेश सरकार गंगा नदी में लिफ्ट लगाने और कैनाल लगाने के लिए.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार। आपके पास में एक मिनट का वक्त है।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, अभी तक नहीं मिली है, सहमति, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तरप्रदेश सरकार से सहमति प्राप्त...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं, आपका समय हो गया है।

श्री अजय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाए हुए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। जल संसाधन विभाग की ओर से आज जो बात रखी गई, उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन बिहार की सच्चाई है कि पूरा उत्तर बिहार डूब जाता है और दक्षिण बिहार सूखे की चपेट में रहता है। कोई एक

नीति जल संसाधन विभाग को बनानी चाहिए कि जहां फ्लड में डूब जाता है, उस पानी को सूखा के इलाके में पहुंचाने की व्यवस्था अगर करे, तो शायद बिहार की तरक्की हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं समस्तीपुर के संदर्भ में, समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक जो खानपुर के नजदीक दरभंगा जिला के अधवारा समूह की नदियों को उसमें जोड़ने की व्यवस्था जल संसाधन विभाग ने की है, लेकिन मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ऐसे ही बाढ़ के समय में, बरसात के समय में अब तक तीन बार गंडक नदी का बांध टूट चुका है। पानी का इनपुट अगर गंडक में दिया जा रहा है, तो आउटपुट भी दलसिंह सराय के रास्ते उसको ले जा कर गंगा में जोड़ें तब वह बांध बच पाएगा। दूसरी बात आपको विभूतिपुर के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है और वह काम किया है, बलान में जो गाद थी, उस गाद को निकाल करके ताकि बाढ़ न हो पाए और जल संचय भी हो पाए ताकि किसान को उससे फायदा होगा। लेकिन वहीं हमको लगता है कि शायद चूक हो गई कि बलान के बगल में बहती नदी है, जो पूरे समस्तीपुर, विभूतिपुर, उजियारपुर होते हुए बेगूसराय के एक हिस्से को, वह सिंचाई के लिए एक उत्तम साधन है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य..

श्री अजय कुमार : सर, 30 सेकंड हम खत्म कर रहे हैं। उसकी भी गाद को निकालने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और उसमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, चेक डैम टाइप की, ताकि उसमें मत्स्य पालन का भी इंतजाम हो पाए। आखिरी बात कह रहा हूं कि अनगार से लेकर सिंघिया और फिर सिंघिया पुल से लेकर नरहन तक गंडक नदी के दायां तटबंध को कालीकरण करने का..

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जायें।

श्री अजय कुमार : मैं धन्यवाद देता हूं कि नरहन से लेकर करयक तक जो है, इन्होंने अभी स्वीकृति दी और काम भी शुरू हो रहा है। मैं इसी मांग के साथ कि उसको भी पूरा किया जाए।

उपाध्यक्ष : विपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं, माननीय सदस्य। आपने तारीफ की।

माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी। एक मिनट का वक्त है।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, मुझे पता है। मेरा चेहरा ही ऐसा है कि एक मिनट से ज्यादा मिल ही नहीं सकता। लेकिन, आज भर मेरे चेहरे को इग्नोर करके दो मिनट का समय दिया जाए। कुछ जानने और सीखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, जमुई के एक छोटे से गांव कसबाई गांव पतौना है, जहां मेरा जन्म हुआ है। यह गांव तीनों तरफ से नदी से घिरा हुआ है और बचपन में मैंने देखा है कि उन नदियों में किस तरह से बाढ़ उफना करती थी, लेकिन 90 के दशक से ये नदियां सूख गईं। हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो, बालू का

जो अधिक खनन है, वह कारण हो सकता है, लेकिन गर्मी के दिनों में हमारा गांव ड्राई स्टेट बनता जा रहा है। गया ड्राई स्टेट बन जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित रहे हैं और मैंने देखा है, इनका भाषण सुना है, किस तरह से इन्होंने सदन में उठाया था कि दाल की कमी क्यों हो रही है, टाल में पानी की वजह से। दूसरी तरफ कोशी की विभीषिका, जो हर साल लाखों, हजारों गांव के किसानों की सैकड़ों, दर्जनों एकड़ की जमीन के मालिक को भूमि विहीन बनाकर रोड के बांध पर जमा कर दिया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं, मतलब सीखने की है कि क्या इस विभीषिका को अपॉरचुनिटी में हम बदल सकते? क्या जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने गंगा को उल्टी बहा दिया? यह पानी जो एक्सेसिव, यह बड़ा मुश्किल है, मैसिव वाटर फ्लो है, क्या उस पानी को हम डाइवर्ट करके साउथ के तरफ रिजर्वायर वाटर स्ट्रक्चर बनाते हुए इन छोटी–छोटी नदियों में जोड़ सकते हैं, ताकि ये जीवित हो सके और उससे जुड़े हुए कैनाल जीवित हो सके और कुछ वाटर को रिजर्वायर के रूप में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सर ? मेरी चिंता है, अगर यह सब हम लोग कर सकें। नेपाल से कोई वाटर ट्रीटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पर चिंता हमारी है। बहुत–बहुत धन्यवाद, महोदय।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शंकर प्रसाद जी। आपके पास में आठ मिनट का वक्त है।

श्री शंकर प्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही, मैं जन–जन के नेता, गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपनी पारू विधानसभा की महान जनता का, जिनके आशीर्वाद से आज मुझे इस गरिमामयी सदन एवं उनकी आवाज बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महोदय, मेरा परिचय मेरा क्षेत्र है। मुजफ्फरपुर जिला उत्तर बिहार की धड़कन है और मेरी पारू विधानसभा इसका वह ऐतिहासिक स्तंभ है, जिसने लोकतंत्र को सींचा है। वैशाली की सीमा से सटा यह क्षेत्र न केवल लीची और केले की मिठास के लिए जाना जाता है, बल्कि यह क्रांतिकारी और मेहनतकश किसानों की गौरवशाली धरती रही है। महोदय, लेकिन अफसोस है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इस क्षेत्र को वह प्रशासनिक हक और विकास की रफ्तार नहीं मिली, जिसका वह हकदार है। महोदय, आपकी अनुमति से मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं–

''बस्तियां जल गईं, पर वह मुस्कुराते रहे,
कागजों पर तरक्की के किस्से सुनाते रहे,

लोग सड़कों पर मरते रहे, भूख की खातिर
और वह महलों पर बैठकर जश्न मनाते रहे।''

अध्यक्ष महोदय, यह बजट आंकड़ा का माया जाल है जिसमें गरीब की थाली है और किसान का खेत प्यासा है। कागजी सिंचाई बनाम सूखी नहरें, सरकार का दावा है कि उसने 70 प्रतिशत से 75 प्रतिशत खेती की जमीन को सिंचाई के दायरे में ला दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उत्तर बिहार बाढ़ की विभिषिका झेलता है, और दक्षिण बिहार सुखाड़ की मार। यदि 75 प्रतिशत जमीन सिंचित है, तो किसान आज भी मानसून के भरोसे क्यों है ? प्रदेश के सारे नलकूप बंद पड़े हैं। विकास के नाम पर केवल वेतन और पेंशन। बजट 2026–27 का गणित बेहद चिंताजनक है। कुल बजट का लगभग 64.86 प्रतिशत हिस्सा अधिकारियों के वेतन, पेंशन और प्रशासनिक खर्चों में जा रहा है। विकास कार्यों के लिए मात्र 35 प्रतिशत राशि आवंटित है। जब सारा पैसा तनख्वाह में खर्च होगा, तो बुनियादी ढांचा कैसे बनेगा ? अपनी जिम्मेदारी से भागती सरकार, नदियों को जोड़ने जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार पूरी तरह केंद्र पर निर्भर है। सरकार के पास न तो कोई स्पष्ट समय सीमा है और न ही कोई ठोस रोड मैप। यह केवल अपनी विफलताओं को ढकने का एक तरीका है। उम्मीद के भरोसे किसानों का भविष्य। बिहार सरकार ने 51895 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की उम्मीद लगा रखी है। पूरा बजट 16वें वित्त आयोग की प्रत्याशा पर टिका है। प्रश्न यह है कि यदि यह सहायता प्राप्त नहीं हुई तो क्या बिहार की सिंचाई योजनाएं ठप हो जाएंगी ? कृषि में उत्पादन बढ़ा, पर किसान पिछड़ा। सरकार उत्पादन में तीन गुना वृद्धि का दावा करती है, लेकिन किसान आज भी महंगा डीजल जलाकर निजी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई करने को मजबूर है। विभाग की नहरें खेतों तक पानी पहुंचाने में विफल रही हैं। योजनाओं की कछुआ चाल 2025–26 के बजट में अधूरे वादे को 2026–27 में दोहराया जा रहा है। सरकार का 35 हजार निजी नलकूप लगवाने का निर्णय खुद इस बात का प्रमाण है कि उनकी नहर प्रणाली पूरी तरह से विफल हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के उस दुखती रग की बात करूंगा जिसे बाया नदी कहते हैं। यह नदी कभी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर के लिए मां के समान थी। यह केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि उत्तर बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी।

(क्रमशः)

श्री शंकर प्रसाद (क्रमशः) : उपाध्यक्ष महोदय, बाया ड्रेनेज योजना सरकारी वादाखिलाफी, पूर्व सांसद स्वर्गीय शिवशरण सिंह जी की दूरदर्शिता के कारण तत्कालीन सरकार ने बाया ड्रेनेज योजना को जन्म दिया था । इसके तहत कंटूर बांध बना, जलनिकासी की व्यवस्था हुई और सिंचाई से हजारों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता था लेकिन आज क्या स्थिति है, यह योजना ठंढे बस्ते में है । सरकार के बजट दस्तावेजों में दावा किया गया है कि प्रमुख सिंचाई परियाजनाओं के अंतर्गत 70.5 प्रतिशत भूमि को आच्छादित किया गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यह सच है तो बाया नदी के तटवर्ती किसान आज सिंचाई के लिए बूंद–बूंद पानी को क्यों तरस रहे हैं । सरकार बताए कि इस योजना में कितना काम हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ और इसे अचानक बंद क्यों कर दिया गया इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए । बाढ़ और तबाही का मैनेजमेंट, विडंबना देखिए, बाया नदी आज दोहरी त्रासदी झेल रही है । गर्मी में यह नदी मर जाती है जिसमें भूगर्भ जलस्तर नीचे गिर जाता है लेकिन जैसे ही बरसात आती है जल निकासी और ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त होने के कारण यह नदी पारू, साहेबगंज और वैशाली के तमाम प्रखंडों में तबाही का तांडव मचाती है । किसानों की फसलें जलमग्न हो जाती हैं । महोदय, किसान अपनी जमा पूंजी बीज और खाद में लगा देता है लेकिन जल संसाधन विभाग की लापरवाही से उसकी फसल पानी में बह जाती है । बजट 2026–27 में सरकार स्वीकार करती है कि बाढ़ और सुखाड़ संरचनात्मक चुनौतियां हैं लेकिन समाधान के लिए केवल केंद्र की प्रत्याशा में बैठी है । क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं । बजट में कटौती का प्रहार, महोदय वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट विश्लेषण से पता चलता है कि जल संसाधन और कृषि जैसे सामाजिक विकास से जुड़े विभागों में योजना मद में भारी कटौती हुई, शिक्षा विभाग के योजना मद में 4 हजार 4 सौ करोड़ रुपये, जल संसाधन विभाग के योजना मद में 1 हजार 2 सौ करोड़ रुपये की कटौती की गयी । जब मुख्य सिंचाई और सुरक्षा परियोजना का बजट ही काट दिया गया तो पारू के किसानों को बाढ़ से कौन बचाएगा । क्या सरकार चाहती है कि किसान खेती छोड़कर पलायन कर जाए ? अध्यक्ष महोदय, अब मैं उस विभाग की बात करूंगा जो पूरे राज्य का इंजन है लेकिन यह इंजन अब केवल अपने ही रख–रखाव पर सारा ईंधन खर्च कर रहा है । गैर–योजनागत खर्च का बढ़ता बोझ बजट 2026–27 के आंकड़े चीख–चीखकर कह रहे हैं कि बिहार का वित्तीय प्रबंधन पटरी से उतर चुका है, कुल व्यय में स्कीम व्यय केवल 35.14 प्रतिशत है जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय वेतन, पेंशन, ब्याज में 64.86 परसेंट चला जाता है । महोदय, सरकारी कर्मियों के वेतन का खर्च महज दो साल में लगभग दोगुना हो गया । 2024–25 में यह 37 हजार 286 करोड़ था अब यह 70 हजार 220 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना भाषण समाप्त करें माननीय सदस्य ।

श्री शंकर प्रसाद : सर, एक मिनट । हम अपने क्षेत्र की मांग, सर, एक मिनट में खत्म करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट 2026–27 पुराने वादों की नई पैकिंग है इसमें पारू क्षेत्र के...

उपाध्यक्ष : आप क्षेत्र की समस्या रखे हैं ।

श्री शंकर प्रसाद : किसानों के लिए कोई नाव नहीं है, प्यासे खेतों के लिए कोई पानी नहीं है । यह बजट केवल घोषणाओं का केंद्रीकरण और स्थापना व्यय का विस्तार है । हम मांग करते हैं कि बाया ड्रेनेज योजना को ठंढे बस्ते में डालने की उच्चस्तरीय जांच हो और इसे वैज्ञानिक तरीके से पुनः शुरू किया जाए । बाया नदी के गाद की सफाई करवायी जाए एवं हर एक किलोमीटर पर जल संचय के लिए गेट बनाया जाए जिसमें किसानों को गर्मी के दिनों में सिंचाई करने हेतु जल मिल सके । सरैया प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र सिंचाई अजीतपुर के केनाल में अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचता है और जगह–जगह उसे बाधित किया गया है उसे किसान हित में शीघ्र दुरूस्त किया जाय ।

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं माननीय सदस्य ।

श्री शंकर प्रसाद : धन्यवाद सर ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सिंह जी ।

श्री शंकर प्रसाद : सर, एक मिनट, कृपया एक मिनट दे दिया जाय सर ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आलोक जी आप रूक जाइए एक मिनट ।

श्री शंकर प्रसाद : साथ ही, पारू चौक से तालखजुरी नाला जो बुढ़ी गंडक रेवा में मिलती है इसका जीर्णोद्धार एवं पक्कीकरण करायी जाय एवं नाला के बगल से पक्की सड़क साथ–साथ बनाया जाए जिसमें पारू, रेवा तक की दूरी करीब 5 किलोमीटर कम हो जाएगी । जल संसाधन विभाग योजना मद में...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं ।

श्री शंकर प्रसाद : करीब 1 हजार 2 सौ करोड़ की राशि वापस ली जाए और इसे सुरक्षा में लगाया जाय, धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : श्री आलोक कुमार सिंह जी, आपके पास में 3 मिनट का वक्त है ।

श्री आलोक कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से जल संसाधन विभाग की अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हूं । सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी इस दूरदर्शी जनकल्याणकारी बजट के लिए धन्यवाद देता हूं । जल संसाधन विभाग का बजट केवल विभागीय प्रधान नहीं है । यह बिहार के किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बाढ़ सुरक्षा तथा पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है । पहला, सिंचाई विस्तार हर खेत तक पानी का संकल्प । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ सिंचाई है । सरकार की हर खेत तक पानी, सिंचाई का पानी योजना इस दिशा में ऐतिहासिक पहल है

। इस योजना के अंतर्गत कुल 604 योजना चयनित की गई है जिनका लक्ष्य 1 लाख 19 हजार 63 हेक्टेयर क्षेत्र के सिंचाई पुनर्स्थापन का है । अब तक 597 योजना पूर्ण हो चुकी है, जिससे 1 लाख 18 हजार 578 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा बहाल की गई है । अतिरिक्त 774 योजना के क्रियान्वयन से कुल 5 लाख 46 हजार हेक्टेयर क्षेत्र का कार्य प्रगति पर है । अब तक कुल 756 योजनाओं से 5 लाख 23 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित की जा चुकी है । यह सरकार की प्रतिबद्धता और कार्यक्षमता का स्पष्ट प्रमाण है । मेगा परियोजना कोशी मेची लिंक ऐसी ऐतिहासिक योजना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार बड़े स्तर की सिंचाई योजना पर भी तेजी से कार्य कर रही है । कोशी मेची लिंक परियोजना जिसकी कुल लागत 6 हजार 2 सौ 82 करोड़ है, उसके प्रथम भाग के अंतर्गत 2 हजार 6 सौ 82 करोड़ की राशि से कार्य प्रारंभ हो चुका है । इससे अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में लगभग 2 लाख 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी । इस प्रकार वेस्टर्न कोसी केनाल प्रोजेक्ट की कुल लागत 7 हजार 832 करोड़ है जिससे प्रथम चरण में 3 हजार 4 सौ 84 करोड़ से कार्य शुरू किया गया है और इसे मार्च, 2029 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । बाढ़ नियंत्रण बिहार की सुरक्षा की प्राथमिकता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है । जल संसाधन विभाग का एक बड़ा दायित्व बाढ़ सुरक्षा भी है । सरकार द्वारा बांका एवं मुंगेर क्षेत्र में बाढ़ अवरोध कार्य हेतु 1866 करोड़ की...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट का वक्त है आपके पास में ।

श्री आलोक कुमार सिंह : अंत में, सबसे पहले समापन के अंत में अपने क्षेत्र में रोहतास जिला में सोन नदी में जिस तरह से गंगा नदी में तटबंध पर उसको रोड बनाकर सोन के किनारे तटबंध बनाकर बचाया जाय और साथ ही दिनारा विधान सभा में जल संसाधन विभाग से आग्रह करूंगा कि 2 हजार बिगहा जमीन...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं ।

श्री आलोक कुमार सिंह : और अंत में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी की तरफ से आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा की तरफ से इस बजट के अनुदानों की मांग का मैं समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी साहब, आपके पास में 4 मिनट का वक्त है।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : बहुत–बहुत धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय । आज जल संसाधन विभाग की ओर से लाए गए बजट सत्र का हम समर्थन करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम अपने क्षेत्र भगवान महावीर की जन्मस्थली सिकंदरा और लछुआड़ की जनता को, साथ ही अपने नेता श्री जीतन राम मांझी जी को । आज जल संसाधन विभाग है और हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि हम जिस

क्षेत्र से आते हैं वह क्षेत्र रेन–शेडो एरिया में पड़ता है, कारण अल्पवृष्टि होने के कारण वहां सिंचाई और पानी पीने की घोर समस्या है । हम अलीगंज की अगर बात करते हैं, अलीगंज में इस बार भी इतनी कम बारिस हुई है कि एक खेत से दूसरे खेत में पानी नहीं जा पाया है और अभी से ही लोग पानी के लिए त्राहिमाम हैं । दूर–दूर से पानी लाकर पीने का काम कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करेंगे कि वहां के लोगों को पीने की पानी की सुविधा अत्यंत आवश्यक है ।

(क्रमशः)

टर्न–21 / यानपति / 12.02.2026

(क्रमशः)

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : अध्यक्ष महोदय, हम यह भी मांग करेंगे कि हाथीदह से जिस प्रकार से आपने फल्गु नदी में पानी पहुंचाया, बोध गया में पानी पहुंचाया, नवादा में पानी पहुंचाया

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

नवादा से अलीगंज की दूरी बहुत कम है, हम आपसे निवेदनपूर्वक मांग करेंगे कि गंगा का पानी वहां पहुंचाकर लोगों को पानी पीने की सुविधा अगर मुहैया करा दिया जाता है तो वहां के लोग बहुत आपको कीर्ति देंगे, बहुत यश के भागी बनेंगे । साथ ही हम कहेंगे कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य होने के कारण 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं । सिकंदरा विधान सभा का क्षेत्र मैदानी है, मैदानी होने के कारण वहां जब अल्पवृष्टि बारिश होती है वहां उपज नहीं हो पाता है लोग पलायन करते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, युवा दूसरे कार्यों में लिप्त होते हैं । किसान मजदूर जो हैं दूसरे राज्य में काम करते हैं और वहां जो समस्याएं आती हैं उसके निराकरण में जद्दोजहद करनी पड़ती है । इसलिए अति आवश्यक है । चूंकि आज जल संसाधन है और वहां कई डैम हैं, सारा डैम चाहे वह सिरखिंडी डैम है, अमृति डैम है, कैलाश घाटी का डैम है और अभी जो बांध बनाया जा रहा है वह कुंड घाट में जो अभी कार्य चल रहा है वहां पानी भी नहीं है । वह पानी एकमात्र खैरा के गही डैम में है जो 63 हजार एकड़ भूमि में जल संग्रहण होता है...

अध्यक्ष : कृपया संक्षिप्त करें, संक्षिप्त में कर लीजिए।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : 63 हजार एकड़ वर्गफीट में जल संग्रहण खैरा के गही डैम में संग्रहित होता है । अगर उस खैरा डैम से पानी अलीगंज को दिया जाय तो निश्चित रूप से वहां सिंचाई की व्यवस्था के साथ–साथ लोगों को पानी पीने की सुविधा बरकरार रहेगी । हम आपके माध्यम से यह भी कहेंगे कि नवादा के नाटी नदी से अलीगंज में पानी आता है जो कैनाल बनाई गई है, पूर्वी

कैनाल गाद से भर गया है । अगर उस गाद की सफाई करा दी जाय तो निश्चित रूप से अलीगंज के कुछ पंचायतों में पानी मिलेगा ।

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा ।

सरकार का उत्तर

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज ही हमने इस सदन में जल संसाधन विभाग की मांग पेश की थी और आपकी अध्यक्षता में उस पर लगातार पिछले लगभग डेढ़ घंटे से हमारे माननीय सदस्यगण विमर्श कर रहे हैं । सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है । मुझे संतोष है अध्यक्ष महोदय कि अधिकांश सदस्यों ने इस विभाग से लेकर इस सरकार के काम काज की सराहना की है और साथ ही हमारे कुछ विपक्ष के सदस्यों ने आलोचनात्मक भाषा का इस्तेमाल भी किया है । उस आलोचनात्मक भाषा में कहीं कुछ सुझाव भी थे, कहीं हमने भाषा की तल्खी में उनकी मजबूरी का भी अनुभव किया है । इसलिए महोदय जो उनके सुझाव थे उनको तो मैं ग्रहण करता हूं और उन पर समय पर कार्रवाई करने का उनको भरोसा दिलाता हूं, लेकिन उनकी भाषा में जो तल्खी या मजबूरी झलक रही थी, खासतौर से हमारे युवा साथी जब कटौती प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो विभाग में उनको कभी किसी काम की उपलब्धि ही नजर नहीं आई थी तो मैं मजबूरी महोदय इसलिए कहता हूं कि कभी–कभी जगह की मजबूरी होती है।

(व्यवधान)

आप तो महोदय...

अध्यक्ष : बैठिए, प्लीज बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सुनेंगे तो हम सब कुछ बतायेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आपलोगों ने जितने प्रश्न उठाए हैं मैं सबों का एक–एक करके उत्तर देने के लिए तैयार हूं, केवल धैर्य से सुनिएगा, कुछ देर के बाद चले मत जाइयेगा ।

अध्यक्ष : सुन लीजिए, जाइयेगा मत, सुनियेगा लास्ट तक ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसलिए मैंने कहा, आप तो सर्वजीत जी और हमारे और युवा साथी के बीच में बेकार बोलते हैं, महोदय, इसलिए...

(व्यवधान)

युवा कह रहे हैं हम । हम कहां कह रहे हैं जवान नहीं हैं । युवा कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं । आप इसको भी समझिए इसलिए महोदय मैंने कहा कि हम मजबूरी समझते हैं कि हमारे युवा साथी चंद वर्ष पहले भी इधर भी हमलोगों के साथ थे और उस समय इसी सदन में हमने उनके मुंह से इसी विभाग की भूरि–भूरि प्रशंसा सुनी है । इसलिए हमको लग रहा था कि जगह की मजबूरी होती है । किसी जगह पर होने के औचित्य को प्रमाणित करने के लिए कोई बात लोग यकीन करे न करे, बोलना पड़ता है, तौसीफ जी कैसे बोल रहे थे, बोल रहे थे, पहला लाइन बोले कि हम सरकार के विपक्ष में खड़े हैं लेकिन उनके भाषण को आगे बढ़ते–बढ़ते उनके दिल और ईमान ने उनको रोकने में असमर्थ हो गया नाकाबिल रहा, आखिर उनके जुबान से निकल ही गया कि हम मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं मेरी शादी में गए थे । महोदय, इसलिए मजबूरी में कभी–कभी कोई बात कहनी पड़ती है हमलोग भी बुरा नहीं मानते हैं । उनकी मजबूरी समझकर खुले दिल से ग्रहण कर लेते हैं । महोदय, जो मूल रूप से हमारे विभाग के कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, उपलब्धियां हैं, जो अगले वर्ष हमलोग करने वाले हैं उनकी चर्चा हमने अपने अभिभाषण की जो प्रिंटेड प्रति बांटी है उसमें है । इसलिए मैं सिर्फ चंद हमारे माननीय सदस्यों ने जो बातें उठाई हैं उसी पर मैं टिप्पणी कर देता हूं । वर्ना उस नीति के बात में जो इसमें भी अभिभाषण में है फिर वह बात छज जायेगी। हमारे संदीप जी ने चर्चा की है, कदवन जलाशय की तो आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कदवन जलाशय बनाने में दो–तीन राज्यों में डूब क्षेत्र, दो–तीन राज्यों में विस्तार हो जा रहा था इसके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही थी तो उसको रूपांतरित करके, मॉडिफाई करके हमने इंद्रपुरी जलाशय उसको बनाया और इंद्रपुरी जलाशय में हमलोगों की योजना भी मंजूर हो गई थी लेकिन आपको याद होगा कि बाणसागर एग्रीमेंट जो है जो सोन के पानी के बंटवारा से संबंधित है, यह 1973 का समझौता है जो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन तीनों राज्यों के बीच बाणसागर समझौता 1973 में हुआ था और उस समझौते के तहत हमें बिहार को 7.75 एम0ए0एफ0 मतलब मिलियन एकड़ फीड कहते हैं इतना पानी मिलना था और हमलोग इंद्रपुरी जलाशय जब बनाने लगे तो तब तक झारखंड अलग हो गया 2000 ई0 में अब हमलोग चूंकि जो इसका डूब क्षेत्र है, इस जलाशय का झारखंड में भी थोड़ा पड़ता है, उनसे हमने अनुमति या अनापत्ति मांगी तो उनलोगों ने मना कर दिया कहा कि इस 7. 75 एम0ए0एफ0 जो बिहार का हिस्सा मिला था उस समय 1973 में इसको पहले बिहार झारखंड के बीच बांट लीजिए तब हमलोग एन0ओ0सी0 देंगे और यह मामला 2000 से लगातार लंबित चला आ रहा था तो हमको संदीप जी को ही नहीं, सर्वजीत जी को ही नहीं, पूरे सदन को बताते हुए प्रसन्नता

हो रही है कि इस मामले में बिहार सरकार ने लगातार अपना पक्ष मुस्तैदी से रखते हुए अंत में जो पिछले वर्ष 10 जुलाई को जो गृहमंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय काउंसिल यानी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो बैठक हुई थी उसमें ये बात तय हो गई कि 7.75 में उनलोगों को सिर्फ 2 एम0ए0एफ0 मिलेगा और 5.75 एम0ए0एफ0 पानी बिहार के हिस्से में आयेगा और यह बात फंसी हुई थी हम धन्यवाद देना चाहते हैं गृहमंत्री, भारत सरकार को जिनके सकारात्मक हस्तक्षेप के कारण यह अंतिम निर्णय हमलोग ले सके, हमारे उपमुख्यमंत्री सम्राट जी ।

टर्न–22 / मुकुल / 12.02.2026

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिना अनुमति के मत बोलिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी तिलइया ढाढर के बारे में दो शब्द जरूर बोलें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, डिस्टर्ब नहीं कीजिए । माननीय सदस्य, मंत्री जी बोलेंगे, अभी समय है बोला जायेगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम तिलइया ढाढर पर भी बता देते हैं कि तिलइया ढाढर पर आप झारखंड सरकार के हिस्सा हैं और आपने वहां से हमलोगों को कोई एन0ओ0सी0 कहते–कहते झारखंड ने जब नहीं दिया तो जैसे हमलोगों ने कदवन जलाशय के बदले इन्द्रपुरी जलाशय बनाया है उसी तरीके से तिलइया ढाढर को तिलइया को छोड़कर हमलोग अब ढाढर सिंचाई परियोजना बना रहे हैं यह भी हम आपको बता देना चाहते हैं । महोदय, इसलिए हमलोग तो ईमानदारी से बिहार के किसानों की सेवा करना चाहते हैं और अभी केन्द्र सरकार मदद कर रही है इसलिए एक से एक महत्वपूर्ण योजनाओं का हम क्रियान्वयन कर रहे हैं । अभी हमारे बिजेन्द्र बाबू बैठे हैं ये भी बहुत दिन से लगे हुए थे कोसी मैची लिंक, अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे । आप वहां भूमि अधिग्रहण काम करा दीजिए, आप उत्तर–पूर्वी इलाका बराबर सीमांचल–सीमांचल बोलते हैं न, सीमांचल के चारों जिले अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया इसमें इस योजना से महोदय, किसानों को भारी लाभ मिलेगा क्योंकि 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचन सुविधा हमलोग उपलब्ध करा सकेंगे और जहां तक बाढ़ के समय में जल अंतरण की बात है जो गुप्ता जी बोल रहे थे, जो पानी को आप दूसरी जगह ट्रांसफर, स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं । आप आज बोल रहे हैं हमलोग इस तरह के प्रस्ताव पर वर्षों से काम कर रहे हैं और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार की मदद से महोदय कोसी मैची लिंक परियोजना की स्वीकृति दी जा

चुकी है, क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है और कोसी मेची लिंक इतना महत्वपूर्ण है कि कोसी की बाढ़ से जितनी विभीषिका आती थी, बाढ़ के समय में उसके पानी का हम वहां से अंतरण मेची नदी के माध्यम से महानंदा होते हुए गंगा तक उस पानी को पहुंचा देंगे यह उस योजना का स्वरूप है महोदय ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि ये महानंदा बेसिन को भी एक्सप्लेन कर दें ।

अध्यक्ष : ईमान जी, पहले पूरी बात सुननी चाहिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम महानंदा बेसिन का भी बता देंगे । महोदय, महानंदा बेसिन की ये बात कह रहे हैं इनको पता है वह कम से कम दो दर्जन नदियों का वह समागम है महानंदा, पूरे उत्तर–पूर्व में, पूरे क्षेत्र में महोदय, नेपाल की तराई से लेकर बंगाल के कोने तक करीब 18 नदियां आकर तब महानंदा नदी का निर्माण होता है उसमें छोटी–छोटी नदियां हैं सब आप जानते हैं और उन नदियों पर छोटी नदियों पर और उद्‌गम स्थल पर ही बांध बनाना संभव नहीं होता है इसीलिए आप देखे होंगे कि महानंदा जो हमलोगों की बांध परियोजना है उसको फेजवाइज करके नीचे से बनाना शुरू किये हैं, क्योंकि ऊपर में तो 18 नदियों का जाल है और ऊपर में इतना फ्लैश फ्लड आता है, एक साथ बारिश हुई, एक साथ बढ़ जाता है और महोदय, बाढ़ अभी कोई हमारे साथी कह रहे थे कि बाढ़ का इतना दिन से क्या इंतजाम हुआ । अरे भाई, बाढ़ को.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिना अनुमति से, ईमान जी, ईमान जी । माननीय सदस्य, प्लीज बिना अनुमति के मत खड़े हों, आप आसन से अनुमति लीजिए, बीच में खड़े न हों ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, बाढ़ की चर्चा करने से पहले हम जरूर चाहेंगे कि सब लोगों को बिहार की भौगोलिक अवस्थिति जिसे ज्योग्राफिकल लोकेशन कहते हैं वह भी समझना चाहिए कि हमारा जो मध्य बिहार है वही लॉ एरिया है, नीचा है जो पेट कहते हैं और उत्तर में भी ऊंचा है और दक्षिण में भी ऊंचा है । उत्तर में नेपाल से लेकर हमलोग बंगाल तक चले जाते हैं दक्षिण में झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक चले जाते हैं और ये हमारा भूगोल है कि कहीं भी बारिश होती है नेपाल में, कहीं भी बारिश होगी झारखंड में और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अगर दक्षिणी, पश्चिमी हिस्से में बारिश होगी तो वह सारा पानी बिहार आना है और अंत में गंगा नदी के माध्यम से मास्टर ड्रेन होकर उसको बंगाल की खाड़ी में जाना है, यह हमारी अवस्थिति है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समझें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, बराबर हमारे साथी ब्लेम करते रहते हैं । महोदय, हमलोग नेपाल को दोष नहीं देते हैं, लेकिन उसका दोष एक मायने में जरूर है

कि वह हमलोगों को जो हमारे साथी उसके स्थायी निदान की बात कह रहे हैं वह जो स्थायी उसका निदान हो सकता है उच्च स्तरीय डैम, हाई लेवल डैम जिसके लिए महोदय, बागमती में भी, कमला में भी, कोसी में भी सब जगह जो जगह है वह आइडेंटिफाईड है, हमलोग उस दिशा में प्रयत्न करना चाहते हैं लेकिन नेपाल सरकार सहयोग नहीं दे पाती है, शायद उसकी भी मजबूरी है । वहां पर इतनी राजनीतिक अस्थिरता रहती है और हमेशा किसी नदी का उद्‌गम स्थल पहाड़ी इलाके में होता है जहां पर नेपाल सरकार, कारगर प्रशासन का असर वहां पर नहीं रहता है, हमलोग अपने को बचाने के लिए महोदय, जो नेपाल क्षेत्र में काम करते हैं हमलोग को भी वहां के लोकल स्थिति को दूसरे, तीसरे तरीके से मैनेज करना पड़ता है, नेपाल का प्रशासन उतना मदद नहीं कर पाता है महोदय, इसलिए हमलोगों को दिक्कत है, क्योंकि यह हमारी भौगोलिक अवस्थिति का परिणाम है कि हमलोग नहीं कर पाये हैं, नहीं तो हमलोग शुरू से करना चाह रहे हैं और जहां पर हम कर सकते हैं वहां पर हमलोगों ने किया है और अभी सिंचन क्षमता की जहां तक बात है, हम सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि हमारा जो अल्टीमेट इरिगेशन पॉटेंशियल है जिसको अंतिम सिंचन क्षमता कहिये 53.53 है और इसमें अभी तक हमलोग करीब 42, 43 लाख हेक्टेयर पहुंच चुके हैं, 53 में से 42, 43 लाख और हमको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम 2005 की बात नहीं करेंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस 20 साल के शासनकाल में हमलोगों ने उतनी अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित कर ली है जितना शुरू से लेकर उस समय तक की सरकारों ने किया उतना हमलोगों ने 20 सालों में इतनी उपलब्धि हासिल कर ली है, इसकी हम कैसे नहीं चर्चा करेंगे और महोदय, बाढ़ के बारे में हमने कह दिया है और बाढ़ के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने एक से एक उसका अनोखा निदान किया है, अभी हमारे कई साथी बोल रहे थे कि बाढ़ के समय में उस पानी को लिफ्ट करके, उद्‌वह करके आज पानी बोध गया, गया जी हुजूर आपके क्षेत्र में भी पीने का पानी, रबड़ डैम, एक से एक नवाचार में उसका निदान हो रहा है....

अध्यक्ष : गंगा जल ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमलोग और भी जगह, सब जगह कर रहे हैं और हमारे साथी रोहतास, कैमूर के लोग भी बोल रहे थे, भाई हमलोग वहां भी औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम को हमलोग सोन का पानी पीने के लिए उपलब्ध करवायेंगे, उसी तरीके से कैमूर में दुर्गावती जलाशन का पानी पीने देंगे हमलोग मोहनिया को और भभुआ को । इसलिए महोदय, चारों तरफ हमलोग काम कर रहे हैं, बाढ़ प्रबंधन के मामले में भी, सिंचन क्षमता के मामले में भी और लगातार हम किसानों को सिंचाई दे रहे हैं महोदय, इसलिए हम सदन से

अनुरोध करते हैं कि जल संसाधन विभाग की मांग को सर्वसम्मति से पारित करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रुपये से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये 7127,35,01,000/– (सात हजार एक सौ सत्ताइस करोड़ पैंतीस लाख एक हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–12 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या–48 है । अतः सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक–13 फरवरी, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।